तृतीय माला, खण्ड १२—अंक ३१

शुक्रवार, २५ जनवरी, १९६३
५ माघ, १८८४ (शक)

लोक-सभा
वाद-विवाद

(तीसरा सत्र—द्वितीय भाग)

3rd Lok Sabha

(खण्ड १२ में अंक २७ से अंक ३१ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

एक रुपया (देश में)

चार शिलिंग (विदेश में)

विषय-सूची

प्रश्नों के मौखिक उत्तर-- पृष्ठ

तारांकित प्रश्न* संख्या ४८५ से ४९१, ४९३, ४९२, ४९४ और ४९७ से ५०६

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ४९५ से ४९६ और ५०७ से ५१४ ४९८--५०२

अतारांकित प्रश्न संख्या १०८७ से ११४१ . ५०३–२८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना . ५२८–२९

(१) हथकरघे के कपड़े का स्टाक जमा हो जाना और उसके फलस्वरूप हथ करघा बुनकरों का बेरोज़गार हो जाना

(२) उप-निर्वाचन कराने के बारे में

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . ५२९--३२

प्राक्कलन समिति . . . ५३३

नवां और दसवां प्रतिवेदन

महा-प्रशासक विधेयक-- ५३३

प्रवर समिति का प्रतिवेदन

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने के बारे में कोलम्बो सम्मेलन की प्रस्थापनाओं के बारे में प्रस्ताव--

श्री जवाहरलाल नेहरू . . . . . ५३३—५३

दिल्ली किराया नियंत्रण (संशोधन) विधेयक-- . . ५५३--५७

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार करने का प्रस्ताव

श्रीमती चन्द्र शेखर ५५३–५४

श्री दाजी ५५४–५५

श्री नरसिम्हा रेड्डी ५५५

श्री अ० ना० विद्यालंकार ५५५

श्री नवल प्रभाकर . . . . . ५५५—५७

अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों को उचित स्तर पर बनाये रखने के बारे में प्रस्ताव ५५७—७७

श्री व० बा० गांधी ५५७-५८

श्री रंगा ५५८-५९

श्री करुथिरमण ५५९

---

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

[कृपया मुख पृष्ठ ३ पर देखिये

लोक-सभा

शुक्रवार, २५ जनवरी, १९६३

५ माघ, १८८४ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

मोटरगाड़ियों का निर्माण

†*४८५. श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में मोटरगाड़ियों के निर्माण का पुनरीक्षित कार्यक्रम क्या है ;

(ख) मोटरगाड़ियों के समान वितरण के लिये और उनकी कमी के कारण उत्पन्न होने वाले कदाचारों को दूर करने के लिये क्या व्यवस्था की गई है ; और

(ग) ट्रकों तथा अन्य वाणिज्यिक गाड़ियों और टयूब तथा टायरों की मांग कितनी है और उसे किस प्रकार पूरा किया जायेगा ?

†इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी): (क) तीसरी योजना के १,००,००० गाड़ियों के लक्ष्य में, अर्थात ६०,००० वाणिज्यिक गाड़ियां, १०,००० जीपें और ३०,००० यात्री कारें, कोई पुनरीक्षण नहीं किया गया है।

(ख) यात्री कारों का वितरण और विक्रय का नियंत्रण मोटर गाड़ी (वितरण तथा विक्रय) नियंत्रण आदेश, १९५९, द्वारा किया जाता है जो १ मई, १९५९ से लागू है। तथापि, वाणिज्यक गाड़ियों और जीपों के वितरण तथा विक्रय पर इस प्रकार का कोई संविहित नियंत्रण नहीं है परन्तु इन गाड़ियों के निर्माताओं को दूसरी बातों के साथ साथ यह भी देखने के निर्देश दिये गये थे कि उनकी गाड़ियां व्यापारियों के पास पंजीयन-क्रम के अनुसार बेची जायें तथा पंजीयन तभी किया जाए जब कि संभरण आदेश के साथ २,००० रुपये की एक बैंक गारंटी हो।

(ग) तीसरी पंचवर्षीय योजना में वाणिज्यिक गाड़ियों (ट्रक तथा बसें) का लक्ष्य न्यूनाधिक उतना ही है जितनी कि इन गाड़ियों के लिये मांग है। ट्रकों और बसों का निर्माण

†मूल अंग्रेजी में

2596 (Ai) LSD—1.

करने वाले वर्तमान यूनिटों को मांग में अपेक्षित वृद्धि को पूरा करने के लिये योजना में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार अपनी संस्थापित क्षमता का विस्तार करने के लिये लाइसेंस दे दिये गये हैं / दिये जा रहे हैं ।

जहां तक मोटरगाड़ियों के टायरों और ट्यूबों का प्रश्न है, वर्तमान उत्पादन देश की मांग पूरा करने के लिये पर्याप्त है । तीसरी योजना में टायरों और ट्यूबों का लक्ष्य, जो मूलत: प्रत्येक का ३.७ लाख निर्धारित किया गया था, बाद में प्रत्येक का ४.५ लाख कर दिया गया था । वर्तमान यूनिटों को अपनी संस्थापित क्षमता बढ़ाने के लिये लाइसेंस दिये गये हैं / दिये जा रहे हैं तथा निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिये कुछ नये यूनिटों को भी क्षमता स्थापित करने के लिये लाइसेंस दे दिये गये हैं / दिये जा रहे हैं ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या आपात स्थिति का भी जीपों और ट्रकों के निर्माण कार्यक्रम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा ? क्या ट्रकों के लिये अमरीका से विशेष सहायता का समाचार निराधार है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्) :** मैंने योजना में दिये गये निर्माण कार्यक्रम का उल्लेख कर दिया है । मैंने प्रतिरक्षा आवश्यकताओं के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है । यदि माननीय सदस्य को उस विषय में जानकारी चाहिये तो वह प्रतिरक्षा मंत्रालय से प्रश्न करें ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं कि क्या प्रतिरक्षा मंत्रालय का अपना पृथक निर्माण कार्यक्रम है अथवा इन्हीं यूनिटों को, जो मेरे माननीय मित्र के नियंत्रण में हैं इस कार्यक्रम में लगा दिया जायेगा । मैं विशेष रूप से विशेष सहायता के बारे में पूछना चाहता हूं ।

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम् :** वर्तमान यूनिटों को प्रतिरक्षा उत्पादन के लिये प्रेरित किया जा रहा है परन्तु क्या जानकारी दी जानी है इसका निर्णय प्रतिरक्षा मंत्रालय करेगा । इसलिये मैं माननीय सदस्य को सुझाव दूंगा कि वह प्रतिरक्षा मंत्रालय से प्रश्न करें ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या माननीय मंत्री जानते हैं कि प्रश्न के भाग (ख) में उल्लिखित कारों में से कुछ कारें अधिक अधिमूल्य पर बिक रही हैं और यदि यह उनके ध्यान में आया है तो उन्होंने स्थिति को सुधारने के क्या उपाय किये हैं ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम् :** बाजार में अधिमूल्य लेने का सम्बन्ध केवल टाटा मर्सीडीज बेंज ट्रकों से है और माननीय सदस्य जानते हैं कि कुछ क्षमता प्रतिरक्षा प्रयोजनों की ओर मोड़ दी गई है ।

†**श्री श्यामलाल सर्राफ :** क्या मैं जान सकता हूं कि क्या भारतीय निर्माताओं के एजेंटों द्वारा असैनिक आबादी की खपत के लिये अभ्यंश रखा जाता है या कारों के अभ्यंश में कोई कटौती हो गई है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम् :** कारों में कटौती हो गई है । हम ट्रकों के निर्माण पर अधिक बल दे रहे हैं । इसलिये कारों के निर्माण में कमी हो सकती है और कटौती का होना अनिवार्य है ।

†**श्री श्यामलाल सर्राफ :** मैं वर्तमान स्थिति जानना चाहता हूं । आज कल कारें तो प्राय: समाप्त ही हो गई हैं, विशेषत: वे कारें जो देश में बनती हैं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या कारों के संभरण को बनाये रखा जाता है या नहीं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : मैंने कहा था कि अधिक बल ट्रकों के निर्माण पर दिया जा रहा है, विशेषत: आपातस्थिति के कारण। उस सीमा तक कारों का तुरन्त निर्माण कार्यक्रम सीमित कर दिया गया है। अत: वहां तक तो कमी होना अनिवार्य है।

†**श्री शिवनंजप्पा** : क्या सरकार के ध्यान में यह आया है कि क्या देश में बनने वाले मोटर-गाड़ियों के पुर्जों के स्तर में बहुत गिरावट आ गई है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : वह एक अलग प्रश्न है और मैं अभी उसका उत्तर नहीं दे सकता।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या मैं जान सकती हूं कि क्या ट्रक और कारें शत प्रतिशत भारत में ही बनते हैं ? अथवा, कितनी विदेशी मुद्रा का उपयोग किया जा रहा है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : अभी तक हम पुर्जों को शत प्रतिशत देश में ही बनाने के योग्य नहीं हैं। मैं इन वाणिज्यिक गाड़ियों के आंकड़े--देशीय निर्माण के आंकड़े—देता हूं :—

	प्रतिशत
टाटा मर्सीडीज बेंज	७०.००
बैडफोर्ड	५३.५५
डाज	७६.२४
लेलैंड कामेट	५१.८८
जीपें	५६.००
कारें—	
एमबैसेडर	७४.४६
फियट	४६.०१
स्टैंडर्ड हैरल्ड	४३.८१

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : श्रीमान्, मैं कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछना चाहता परन्तु मैं आपका ध्यान प्रश्न के भाग (क) की ओर दिलाना चाहता हूं। हमने पुनरीक्षित कार्यक्रम के बारे में पूछा है। विवरण में माननीय मंत्री ने कहा है कि कोई पुनरीक्षित कार्यक्रम नहीं है। अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में वह कहते है कि ट्रकों की एक बड़ी संख्या के निर्माण में परिवर्तन आ गया है। हमें परस्पर विरोधी जानकारी मिलती है।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह बहुत व्यापक प्रश्न था। इसके लिये बहुत लम्बे विवरण की आवश्यकता होगी। मैंने विवरण देखा है जिसमें वह उत्तर दिया हुआ है जो वह चाहते हैं। फिर भी यदि उन्हें कुछ और जानकारी चाहिये तो वह मुझे लिख भेजें। मैं वह जानकारी प्राप्त करके उन्हें पहुंचा दूंगा।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : मेरा आग्रह यह है कि संसद् के साथ पूरी गम्भीरता से व्यवहार किया जाये। मुख्य प्रश्न के भाग (क) में पूछा गया है कि पुनरीक्षित निर्माण कार्यक्रम क्या है।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस कोई विवाद नहीं कि संसद् के साथ बहुत ही गम्भीरता से व्यवहार करना चाहिये।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : हमें यह लागू करना पड़ेगा..... (**अन्तर्बाधायें**)

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि प्रतिरक्षा आवश्यकताओं और प्रतिरक्षा कार्यक्रम के संबंध में क्या विकर्षण किया गया है। इसीलिये मैंने यह सुझाव दिया था कि यदि वह यह जानने के लिये बहुत उत्सुक हैं तो प्रतिरक्षा मंत्री से प्रश्न किया जाये क्योंकि केवल वही यथासंभव जानकारी दे सकेंगे।

†**अध्यक्ष महोदय** : उनका कहना है कि जबकि पुनरीक्षित कार्यक्रम प्रकट कर दिया गया है, सभा पटल पर रखे गये विवरण में वह नहीं दिया गया है।

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : इसमें मैंने लिखा है कि "तीसरी योजना के १,००,००० गाड़ियों के लक्ष्य में, अर्थात् ६०,००० वाणिज्यिक गाड़ियां, १०,००० जीपें और ३०,००० यात्री कारें, कोई पुनरीक्षण नहीं किया गया है।" हम उसी लक्ष्य को बनाये रखने और पूरा करने के लिये प्रयास कर रहे हैं परन्तु कोई आकस्मिक विकर्षण हो सकता है किन्तु उसका यह अर्थ नहीं कि लक्ष्यों का पुनरीक्षण कर दिया गया है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : मैंने लक्ष्यों के बारे में तो पूछा ही नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति। अगला प्रश्न।

भारत का इंग्लैंड तथा यूरोपीय साझा बाजार के देशों के साथ कपड़ा व्यापार

†*४८६. **श्री महेश्वर नायक** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में इंग्लैंड तथा जापान के बीच हुये वाणिज्य एवं नौपरिवहन करार का भारत के इंग्लैंड तथा यूरोपीय साझा बाजार के देशों के साथ कपड़ा व्यापार पर कोई प्रभाव पड़ेगा; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). इंग्लैंड तथा जापान के बीच हुये वाणिज्य एवं नौपरिवहन करार का भारत के इंग्लैंड तथा यूरोपीय साझा बाजार के देशों के साथ कपड़ा व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। सरकार गतिविधियों पर कड़ी निगाह रख रही है।

†**श्री महेश्वर नायक** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने भारत को इंग्लैंड से मिलने वाले अधिमान्य बर्ताव के बारे में ब्रिटिश सरकार को कोई सूत्र भेजा है और क्या ब्रिटिश सरकार ने उसे मान लिया है?

†**श्री मनुभाई शाह** : जहां तक इंग्लैंड के साथ हमारे कपड़ा व्यापार का संबंध है, कपड़े की उपरिसीमा १९५ लाख गज थी और सूत की १२.५ लाख गज। चालू वर्ष में हम इस लक्ष्य से आगे निकल गये हैं और यह एक निर्मूल विश्वास है कि इसमें अन्तःक्षेप होगा।

†**श्री महेश्वर नायक** : यह देखते हुये कि ब्रिटेन जापान के साथ करार कर चुका है, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह संभावना नहीं है कि ब्रिटेन जापान से आयात होने वाले उस कपड़े पर अधिमूल्य लगा दे जिसकी उत्पादन लागत तुलनात्मक दृष्टि से कम है? क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि क्या भारत सरकार देश में कपड़े की उत्पादन लागत को कम करने के लिये कोई उपाय कर रही है?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मनुभाई शाह** : हमारे अतिरिक्त किन्हीं दो देशों के बीच व्यापार-संबंध स्वभावतः एक ऐसा विषय है जिसमें हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते परन्तु यदि उसका हमारे दूसरे तत्संवादी देश के साथ व्यापार पर कोई प्रभाव पड़ता है तो उससे यहां उत्पन्न होने वाली चिन्ता पर ध्यान देना आवश्यक है। परन्तु, जैसाकि मैंने कहा है, इस करार का भारत और इंग्लैंड के बीच अभी तक कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है। यदि कोई प्रभाव हुआ है तो यह कि इंग्लैंड को हमारे कपड़े का निर्यात उस उपरि-सीमा से भी बढ़ गया है जो कि दोनों देशों के बीच तय हुई थी। जब से भारत और इंग्लैंड के बीच कोई करार हुआ है, तब से यह निर्यात सर्वाधिक है।

श्री बेरवा कोटा : अभी तक ब्रिटेन के साझा बाजार में शामिल होने में कितनी प्रगति हुई है ?

अध्यक्ष महोदय : आपके इस प्रश्न से उस पर क्या असर पड़ेगा ?

श्री मनुभाई शाह : किस मामले में ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि इंग्लैंड के इस मार्केट में शामिल होने के बारे में कितनी प्रगति हुई है ?

श्री मनुभाई शाह : माननीय सदस्य को योरप की कामन मार्केट के बारे में पता है।

अध्यक्ष महोदय : अखबार से ही सब बातों का पता हो जाता है।

कच्चे माल के आयात का वैज्ञानिक व्यवस्थाकरण

†*४८७. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में प्रतिरक्षा की बढ़ी हुई आवश्यकताओं की दृष्टि से कच्चे माल के आयात के वैज्ञानिक व्यवस्थाकरण की कोई योजना तैयार की है ; और

(ख) यदि हां, तो उस योजना का ब्यौरा क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). २४ दिसम्बर, १९६२ को सरकार द्वारा घोषित की गई आयात नीति निर्धारित करने में प्रतिरक्षा की बढ़ती हुई आवश्यकताओं का ध्यान रखा गया है।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या मैं जान सकता हूं कि नीति के प्रमुख सिद्धांत क्या हैं?

†**श्री मनुभाई शाह** : प्रमुख सिद्धांत इस प्रकार हैं : उच्चतम पूर्ववर्तिता प्रतिरक्षा की आवश्यकताओं को दी गई है ; उसके बाद निर्यात की आवश्यकताओं को पूर्ववर्तिता दी गई है ; अन्त में योजना में दी गई पूर्ववर्तिता के अनुसार शेष सारी अर्थव्यवस्था।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या मैं कुछ ऐसी विशेष मदें जान सकता हूं जिन पर यह नीति लागू होगी ?

†**श्री मनुभाई शाह** : उपभोक्ता वस्तुओं के आयात को निम्नतम पूर्ववर्तिता दी गई है। इसमें आठ प्रतिशत से कम कमी हुई है जिसमें से पांच प्रतिशत मिट्टी के तेल के बारे में है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दाजी** : इस आपात स्थिति में प्रतिरक्षा की आवश्यकताओं को देखते हुये क्या आयात स्थानापन्न[1] के प्रश्न पर तेजी से विचार किया गया है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : आयात स्थानापन्न पिछली दो योजनाओं में इस देश के औद्योगीकरण की आधारभूत नीति रही है। इसलिये विशेष रूप से कुछ करने के लिये नहीं है परन्तु हम भी आयात स्थानापन्न की ओर अधिक से अधिक ध्यान देते हैं ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या मैं जान सकता हूं कि प्रतिरक्षा उत्पादन को पूर्ववर्तिता देने के लिये देश में अन्यथा अनिवार्य उत्पादन के लिये सामान्य आयात में कितने प्रतिशत की कटौती की गई है ?

†**श्री मनुभाई शाह**: यह प्रकट करना शायद मेरे लिये अधिक उचित न होगा परन्तु मैं कह सकता हूं कि प्रतिरक्षा की आवश्यकताओं को पूरी तरह से पूरा किया जा रहा है।

सोलवीन विशेषज्ञ दल

†*४८८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोलवीन विशेषज्ञ दल ने यह देखने के लिये कि उसने कुछ महीने पहले जो सिफारिशें की थीं वे कहां तक क्रियान्वित की गई हैं और संयंत्र को देश की प्रतिरक्षा उत्पादन संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के लिये मार्गोपायों की सिफारिश करने के लिये नवम्बर, १९६२ में रूरकेला इस्पात संयंत्र का पुनः निरीक्षण किया था ; और

(ख) यदि हां, तो अपनी पहली सिफारिशों की क्रियान्विति के संबंध में उनकी उपपत्तियां क्या हैं और संयंत्र को प्रतिरक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के लिये किन कदमों की सिफारिश की गई है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)** : (क) और (ख). दल द्वारा दिये गये पहले के प्रतिवेदन के आधार पर किये गये कार्यान्विति उपायों की प्रगति देखने के लिये श्री सोलवीन कुछ विशेषज्ञों के साथ नवम्बर, १९६२ में रूरकेला गये। पुनर्विलोकन के बाद उनके प्रतिवेदन की प्रति अभी तक सरकार को नहीं मिली है। तथापि, दल के साथ की गई चर्चा से ऐसा आभास मिला था कि वे उत्पादन में की गई प्रगति तथा कार्यवाही से सामान्यतः सन्तुष्ट थे।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या मैं उन विशेष ब्योरों को जान सकता हूं जिन्हें देखते हुये वे अपने पहले प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही से सन्तुष्ट हो गये ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)**: उन्होंने अपने पहले प्रतिवेदन में सिफारिशें की थीं कि हमें विशेष पुर्जों के लिये क्रयादेश देना चाहिये तथा संयंत्र के काम के लिये अतिरिक्त जर्मन कर्मचारी भी भर्ती करने चाहियें। हमने उन पर कार्यवाही की है। इसके अतिरिक्त, संयंत्र में उत्पादन काफी बढ़ गया है जिससे उन्हें बहुत सन्तोष हुआ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या मैं जान सकता हूं कि संयंत्र के उत्पादन में क्या प्रगति हुई है जिससे कि वे सन्तुष्ट हुये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Import Substitution.

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : जब वे १९६२ के आरम्भ में वहां गये तो उत्पादन ४५ प्रतिशत से ४७ प्रतिशत के लगभग था; अब यह ९० प्रतिशत हो गया है।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : माननीय मंत्री ने अभी कहा है कि विदेशी प्रविधिज्ञ लेने और पुर्जों का संग्रह करने के बारे में दल की सिफारिशों पर कार्यवाही की गई है। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या संयंत्र की आन्तरिक रूपरेखा, आन्तरिक यातायात व्यवस्था इत्यादि के बारे में अन्य सिफारिशों पर कोई कार्यवाही की गई है और यदि हां, तो वह क्या है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : उन पर भी विचार कर के कार्यवाही की गई है।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच है कि सोलवीन समिति के प्रतिवेदन के प्रकाश में प्रबन्धकों में नया उत्साह भरने के लिये हिन्दुस्तान स्टील में और परिवर्तन विचाराधीन है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : मैं नहीं समझता कि कौन से और परिवर्तन विचाराधीन हैं। जैसाकि माननीय सदस्य जानते हैं, हम ने संयंत्र में काम करने वाले प्राधिकारियों की शक्तियों में कुछ परिवर्तन किये थे और सच यह है कि उस से उत्पादन के बढ़ने में बहुत सहयोग मिला है। अतः मेरे विचार में और कोई परिवर्तन अभी दृष्टि में नहीं है।

सुखाई गई मछलियों के निर्यातक

†***४८९. श्री कोया** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को लंका सरकार द्वारा लागू किये गये मूल्य नियंत्रण के कारण सुखाई गई मछलियों के निर्यातकों को होने वाली कठिनाइयों की जानकारी है ; और

(ख) यदि हां, तो उनके निराकरण और हमारी सुखाई गई मछलियों के लिये वैकल्पिक बाजार ढूंढने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) जी हां। लंका के प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित किये गये मूल्य उन दरों से कम हैं जिन पर लंका द्वारा भारत में सुखाई गई मछली का इस से पूर्व आयात होता था।

(ख) भारतीय व्यापार मंडल ने उचित मूल्यों के निर्धारण का प्रश्न अक्तूबर १९६१ में नई दिल्ली में तथा दिसम्बर १९६२ में कोलम्बो में हुई बातचीत के दौरान उठाया था। यह निर्णय किया गया है कि मछली के मूल्यों के अनुकालिक निर्धारण से पूर्व भारत सरकार के प्रतिनिधियों के साथ पारस्परिक परामर्श होगा।

†**श्री कोया** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को इस बात का पता है कि लंका सरकार द्वारा मछली की नियंत्रण दर में बार-बार परिवर्तन करने के कारण भारतीय निर्यातकों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह सच है कि इसे हम लंका के प्राधिकारियों के ध्यान में लाये थे। कठिन भुगतान शेष स्थिति के कारण वह समय-समय पर दरों में परिवर्तन करते रहे हैं ; परन्तु अब गत मास ही किये गये नये व्यापार करार के अधीन उन्होंने हम से परामर्श किये बिना कोई परिवर्तन न करना स्वीकार कर लिया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

विशेष इस्पात का निर्माण

+

†*४९०. { **श्री ब० कु० दास :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री मंत्री :
श्री राम रतन गुप्त : }

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विशेष इस्पात के निर्माण में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) कितने लाइसेंस दिये गये थे और कितनों ने उत्पादन आरम्भ कर दिया है ;

(ग) क्या दुर्गापुर का सरकारी संयंत्र का कार्य निर्धारित कार्यक्रम से बहुत पीछे है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) इस समय विशेष इस्पात का देशीय उत्पादन लगभग २४,००० टन कमानी इस्पात और २४,००० टन विद्युत् चादरों (डाइनेमो ग्रेड) तक सीमित है। इसके अतिरिक्त लोहा और इस्पात (नियंत्रण) आदेश के अधीन ९,६०० टन कमानी इस्पात की क्षमता वाला एक छोटे यूनिट के हाल ही में उत्पादन कार्य आरम्भ कर देने की सम्भावना है। विभिन्न प्रकार की मिश्र धातुओं और विशेष इस्पात (बेदाग इस्पात तथा विद्युत चादरों सहित) बनाने वाले वर्तमान यूनिटों को मिला कर अभी तक कुल अनुज्ञप्त क्षमता ४८८,६०० टन है। सरकार ने बेदाग इस्पात के लिये १७,००० टन (२ यूनिट), रचनात्मक इस्पात के लिये ६०,००० टन (३ यूनिट) तथा विद्युत् चादरों के लिये १८,००० टन (१ यूनिट) की क्षमता को भी सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया है।

(ख) १९५९ से अब तक २० लाइसेंस दिये गये हैं जिन में मार्च, १९६१ के बाद दिये गये १५ लाइसेंस सम्मिलित हैं ; किसी ने अभी उत्पादन-कार्य आरम्भ नहीं किया है। इन २० में से ३ पर निर्माण कार्य हो रहा है, ५ को संयंत्र का आयात करने की स्वीकृति दे दी गई है, ३ संयंत्र के आयात के लिये विचाराधीन हैं, २ लाइसेंस प्रतिसंहृत[1] कर दिये गये हैं, एक का प्रतिसंहरण विचाराधीन है तथा ६ ने अभी आयात-सुझाव देने हैं।

(ग) दुर्गापुर में स्थापित किया जा रहा मिश्र धातु तथा विशेष इस्पात संयंत्र कार्यक्रम के कुछ महीने पीछे रह गया है परन्तु आपात स्थिति को देखते हुए इस पर तीव्र गति से काम हो रहा है और उत्पादन तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष की निर्धारित अवधि पर आरम्भ हो जाने की आशा है।

(घ) उत्पादन-कार्य का ज्ञान रखने वाले मंत्रणाकारों ने कुछ रूपभेदों का सुझाव दिया था। इनका तथा इनके वित्तीय पहलुओं का पुनरीक्षण करना पड़ा जिस में कुछ समय लग गया।

†श्री ब० कु० दास : आपात स्थिति को देखते हुए यह सोचा गया था कि भद्रावती इस्पात संयंत्र को पूर्ण रूप से विशेष इस्पात बनाने में बदल दिया जाये। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या उस पर कोई निर्णय किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Revoked.

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : सारी वर्तमान क्षमता को अब मिश्रधातु इस्पात के उत्पादन में परिवर्तित कर देने का कार्यक्रम है ।

†**श्री ब० कु० दास** : दुर्गापुर संयंत्र की क्या स्थिति है ? क्या टेंडर मांगा या स्वीकार कर लिया गया है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : सभी टेंडर मिल गये हैं । अब उन की छानबीन हो रही है ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या विशेष इस्पात के उत्पादन के लिये दुर्गापुर इस्पात संयंत्र को कच्चा माल देने के प्रश्न पर भी विचार कर लिया गया है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : जी हां । दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में बेदाग इस्पात का उत्पादन १७,००० टन तक होगा ।

†**श्री कृ० चं० पन्त** : इस कच्चे माल के लिये प्रतिरक्षा की अविलम्बनीय तथा अत्यावश्यक मांगों को देखते हुए क्या सरकार विशेष इस्पात के उत्पादन-कार्यक्रम को तेज करने के लिये कोई विशेष उपाय करने का विचार रखती है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : जी हां । तथ्य तो यह है कि भद्रावती इस्पात कारखाने में चालू करने के लिये हमारे पास एक तैयार कार्यक्रम है । उस के अतिरिक्त, हम दुर्गापुर संयंत्र में भी उत्पादन तेज कर रहे हैं ।

डा० गोविन्द दास : यह जो विशेष प्रकार का फौलाद तैयार किया जाने वाला है यह एक ही प्रकार का होगा या इसके कई प्रकार हैं, और अगर कई प्रकार हैं तो क्या भिलाई में और जो दूसरे सरकारी कारखाने हैं उनमें भी इसके उत्पादन की कोई व्यवस्था की जा रही है ?

श्री प्र० चं० सेठी : इसमें कई प्रकार के स्टील का उत्पादन होगा जैसे फ्री कटिंग एंड स्प्रिंग स्टील्स, टूल स्टील्स, कंस्ट्रक्शन स्टील्स, डाई एंड अदर हाई ग्रेड स्टील्स, एलाय स्टील्स, स्टेनलेस स्टील्स, इलेक्ट्रिकल शीट्स ।

डा० गोविन्द दास : मैं ने एक बात और पूछी थी उसका जवाब नहीं मिला । मैं ने पूछा था कि जो सरकारी कारखाने हैं उन में अलग अलग तरह का फौलाद तैयार किया जायेगा या किसी खास कारखाने को यह काम दिया गया है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम**: दुर्गापुर इस्पात कारखाने में इन सभी श्रेणियों का उत्पादन होगा ।

श्री मंत्री : क्या टाटा आयरन एंड स्टील कम्पनी ने अपना लाइसेंस वापस कर दिया है ? यदि हां, तो क्या उसके स्थान पर पबलिक सेक्टर में कोई दूसरा कारखाना खोलने की व्यवस्था की जा रही है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : १९५९ में टाटा-कम्पनी को एक लाइसेंस दिया गया था । मेरा विचार है कि वे इस परियोजना की कार्यान्विति के लिये उपाय करने में अभी तक सफल नहीं हो पाये हैं । इसलिये यह प्रश्न विचाराधीन है कि उन्हें इस परियोजना को कार्यान्वित करने के लिये और समय दिया जाये या नहीं । इस बीच सरकार ने भद्रावती इस्पात कारखाने को विशेष इस्पात तथा मिश्र-धातु इस्पात संयंत्र में बदल देने का निर्णय किया है । अतः संभव है कि टाटा इस्पात परियोजना को आगे काम करने की अनुमति देना आवश्यक न हो ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दाजी** : क्या यह सच है कि टाटा कम्पनी द्वारा अपना लाइसेंस प्रयोग न कर सकने के कारण जो भारी अन्तर उत्पन्न हो गया है उसे रूसी सहयोग या सहायता से सरकारी क्षेत्र में एक और उपक्रम स्थापित कर के पूरा करने का प्रयत्न किया जा रहा है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : कोई ठोस उपाय नहीं किया गया है । जैसे कि मैं पहले कह चुका हूं, भद्रावती इस्पात परियोजना में आरम्भ किये गये नये कार्यक्रम को देखते हुए शायद अधिक अन्तर न पड़े । परन्तु अब उस की छानबीन हो रही है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न । श्री स० चं० सामन्त . . . अनुपस्थित । डा० पू० ना० खां ।

†**डा० पू० ना० खां** : प्रश्न संख्या ४६१ ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : श्रीमान, मेरी प्रार्थना है कि प्रश्न संख्या ४६३ को भी इस प्रश्न के साथ ले लिया जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि सुविधाजनक हो तो प्रश्न संख्या ४६३ को इसी के साथ ले लिया जाये ।

हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल

+

†*४६१. { **डा० पू० ना० खां** :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल में कम उत्पादन होने के क्या कारण हैं ; और

(ख) ब्रिटेन की एसोसियेटेड इलैक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़ लि० के साथ हुए मूल करार में ब्रिटिश टैक्नीशियनों की सेवायें प्राप्त करते का क्या प्रबन्ध है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)** : (क) हैवी इलैक्ट्रिकल इक्विपमेंट फैक्टरी, भोपाल में १९६१-६२ में १.७७ करोड़ रुपये के मूल्य का वास्तविक उत्पादन हुआ जबकि प्रबन्धकों ने २.६ करोड़ रुपये के मूल्य का उत्पादन करने का लक्ष्य नियत किया था । विदेशों से आने वाले कच्चे माल तथा पुर्जों की प्राप्ति में विलम्ब होने और फरवरी-मार्च, १९६२ में संयंत्र के श्रमिकों के हड़ताल करने के कारण उत्पादन में कमी हो गई । चालू वर्ष में उत्पादन निरन्तर बढ़ रहा है ।

(ख) ब्रिटेन की एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ हुए प्रवधिक परामर्श समझौते के अनुच्छेद १४ के अन्तर्गत (जिसकी एक प्रति संसद में पहिले ही रख दी गई है), परामर्शदाताओं ने भोपाल में अपने एक वरिष्ठ इंजीनियर की देखभाल में एक अधिवासी परामर्शदाता संगठन बनाया हुआ है, जो प्रबंधकों को फैक्ट्री के निर्माण तथा संचालन और विभिन्न उत्पादन प्रक्रियाओं में दिन प्रतिदिन आने वाली निर्माण संबंधी समस्याओं को हल करने में अपने विशेषज्ञों की सेवायें प्रदान करता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

हैवी इलैक्ट्रिकल्स प्लांट, भोपाल

†*४९२. श्री क० ल० मोरे :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भोपाल के हैवी इलैक्ट्रिकल्स पलांट में आयात किय जाने वाले पुर्जों का मूल्य पहले अनुमान से बहुत बढ़ गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या मूल समझौते पर हस्ताक्षर करते समय इस बात का पर्याप्त ध्यान रखा गया था कि सहयोगी पुर्जों को न्यायोचित मूल्यों पर संभरित करेंगे ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या मूल समझौते की त्रुटियों को अब दूर किया जायेगा ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)**: (क) जी हां। १९५६ से, जब कि परामर्शदाताओं द्वारा मूल परियोजना प्रतिवेदन पेश किया गया था, आयात किए जाने वाले माल के मूल्यों में हुई वृद्धि के अनुसार ही इनके मूल्यों में वृद्धि हुई है।

(ख) और (ग). जी हां। ब्रिटेन के मसर्स असोसिएटेड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के साथ किए गए परामर्श समझौते में इस विषय में उचित उपबन्ध करके इस बात का ध्यान रखा गया था।

†**डा० पू० ना० खां** : उत्तर में यह बताया गया है कि कच्चे माल तथा पुर्जों की प्राप्ति में विलम्ब होने के कारण उत्पादन में कमी हुई। इस विलम्ब के लिये कौन उत्तरदायी है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)**: कच्चे माल के आयात के लिये हमने क्रयादेश दिये थे। कच्चे माल और पुर्जों को विदेशों से प्राप्त करने में कुछ विलम्ब हुआ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : यह क्रयादेश (आर्डर) किसको दिया गया था ? क्या यह सच है कि असीसियेटेड इलैक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज को भी यह क्रयादेश किया गया था ? यदि हां, तो क्या इस विलम्ब के कारण भोपाल इलैक्ट्रिकल्स के उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ा है और क्या इसके लिये कोई प्रतिकर मांगा गया है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : असोसियेटेड इलैक्ट्रिकल्स भी उन समवायों में से एक थी जिन्हें क्रयादेश दिए गए थे। पुर्जों तथा कच्चे माल के संभरण में कुछ विलम्ब हुआ था, परन्तु इस आधार पर प्रतिकर मांगने के लिये कोई उपबन्ध नहीं है।

†**श्री म० ला० द्विवेदी** : माननीय मंत्री द्वारा दिये गये उत्तर में यह कहा गया है कि :—

"विदेशों से आने वाले कच्चे माल तथा पुर्जों की प्राप्ति में विलम्ब होने के कारण उत्पादन में कमी हुई है . . ."

उत्तर में आगे कहा गया है कि :—

"चालू वर्ष में उत्पादन निरन्तर बढ़ रहा है"।

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या क्रयादेश पर्याप्त समय पूर्व दे दिये गये थे ताकि सामान उत्पादन प्रारम्भ करने के समय पहुंच सके। दूसरी बात यह कि इस कथन का क्या अर्थ है कि उत्पादन निरन्तर बढ़ रहा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : उत्तर में कच्चे माल तथा अन्य पुर्जों की प्राप्ति में १९६१–६२ में हुए विलम्ब के विषय में कहा गया है। अब वर्ष १९६२–६३ चल रहा है। हमने इस संबंध में कार्यवाही की है कि पुर्जे तथा कच्चा माल समय पर प्राप्त हो और उत्पादन में वृद्धि हो रही है। हमें आशा है कि इस वर्ष में अधिक उत्पादन करना संभव होगा।

†श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड में प्रतिरक्षा संबंधी कुछ वस्तुओं का उत्पादन किया जायेगा; यदि हां तो कब से ?

†श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : जी, नहीं, मैं नहीं समझता कि इस निर्माणशाला में प्रतिरक्षा के लिये किसी वस्तु का निर्माण किया जायेगा।

†श्रीमती सावित्री निगम : क्या श्रमिकों में उत्पन्न हुई असन्तोष की भावना तथा श्रमिकों द्वारा की गई अनेक हड़तालों के कारण भी उत्पादन में कमी हुई है ?

†श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : मैंने बताया है कि एक हड़ताल भी हुई थी जिसके कारण उत्पादन में कमी हुई। हम श्रमिकों की असंतोष की भावना को, विशेषतया इस आपात की स्थिति में, दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं। मुझे आशा है कि श्रमिक संघ भी हमें पूर्ण सहयोग देंगे। परन्तु अभी मुझे सूचना मिली है कि श्रमिक संघों में कुछ गड़बड़ी हो रही है और इसके कारण कुछ कठिनाई हो रही है। मुझे यह भी आशा है कि श्रमिकों के नेतागण इसका ध्यान रखेंगे।

श्री विभूति मिश्र : क्या सरकार ने कोई ऐसी योजना बना ली है कि इसका उत्पादन घटने न पाये।

श्री प्र० चं० सेठी : इसका उत्पादन बढ़े, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है।

श्री कछवाय : कारखाने में कर्मचारियों को जो काम करने में सुविधाएं मिलती हैं उनसे क्या उनको संतोष है ?

अध्यक्ष महोदय : वह तो जवाब आ गया।

†**श्री दाजी** : विलम्ब के संबंध में, मैं माननीय मंत्री महोदय से एक बात का स्पष्टीकरण चाहता हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि जब मूल समझौते पर हस्ताक्षर किये गए तो क्या एक निश्चित कार्यक्रम स्वीकृत किया गया था ; और यदि हां तो क्या इंगलैंड की तत्स्थानी कम्पनी ने कार्यक्रम के अनुसार कार्य नहीं किया अथवा हमारी ओर से उचित समय पर क्रयादेश देने में विलम्ब हुआ ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : हमने क्रयादेश उचित समय पर दिये थे परन्तु सामान की प्राप्ति में विलम्ब हुआ। इसके अतिरिक्त यह बड़े उलझन वाले मामले हैं, और इसलिये वहां निर्माण की जाने वाली कुछ वस्तुओं के उत्पादन के लक्ष्य तक पहुंचने में कुछ कठिनाइयां हुईं।

---

†मूल अंग्रेजी में

सीमेंट में चोरबाजारी

+

†*४९३. श्री सुबोध हंसदा:
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ब० कु० दास :
श्री कपूर सिंह :
श्री यशपाल सिंह :

क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले दिनों में सीमेंट में चोरबाजारी के मामले बढ़ गये हैं ;

(ख) अब तक कितने मामलों का पता चला है ;

(ग) यह चोर बाजारी किस स्तर पर हो रही है; और

(घ) ऐसे मामलों में जो लोग लगे हुए हैं उन्हें किस प्रकार का दण्ड दिया गया है ?

†इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग). किसी भी राज्य सरकार से सीमेंट की चोर बाजारी के संबंध में कोई सूचना इस मंत्रालय को प्राप्त नहीं हुई। राज्य सरकारों द्वारा उनके सीमेंट नियंत्रण आदेशों के अन्तर्गत सीमेंट के संभरण वितरण तथा फुटकर मूल्य पर नियंत्रण रखा जा रहा है। आम जनता के लिये सीमेंट उन स्कन्धधारियों[1] द्वारा वितरित किया जाता है जो कि अधिकांशत: राज्य सरकारों द्वारा अनुज्ञप्ति प्राप्त होते हैं और राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित फुटकर मूल्य पर सीमेंट का विक्रय करते हैं। अधिकतर राज्यों में उपभोक्ताओं को राज्य सरकारों द्वारा दिये अनुमतिपत्रों पर सीमेंट दिया जाता है। सीमेंट नियंत्रण आदेशों के अन्तर्गत सीमेंट का निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर विक्रय करना एक अपराध है जिसके लिये कारावास अथवा जुर्माना अथवा दोनों का दण्ड दिया जा सकता है।

†श्री सुबोध हंसदा : क्या यह सच नहीं है कि कुछ समय पूर्व दिल्ली के कुछ व्यापारियों को सीमेंट की चोर बाजारी करते हुए भारत के प्रतिरक्षा अधिनियम के अधीन गिरफ्तार कर लिया गया था ?

†श्री प्र० चं० सेठी : समाचारपत्रों में कुछ ऐसी सूचना थी परन्तु हमें इस विषय पर कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई।

†श्री सुबोध हंसदा : क्या यह सच है कि परिवहन की कठिनाइयों के कारण सीमेंट की कमी है अथवा निर्माणशालाओं से खुले बाजार में सीमेंट का कम संभरण हो रहा है ?

†श्री प्र० चं० सेठी : जी, नहीं। परिवहन साधनों की उपलब्धि के संबंध में होने वाली कठिनाइयों का सामना किया जा रहा है और परिवहन की अधिक कमी नहीं है।

†श्री द्वा० ना० तिवारी : क्या सरकार को यह ज्ञात है कि व्यापारियों को निर्माणकर्ता ही नियत करते हैं और राज्य सरकार केवल उन्हीं व्यापारियों को अनुज्ञप्ति प्रदान करती हैं जिनका

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Stockists.

निर्माणकर्ता अनमोदन करते हैं और कभी-कभी यह व्यापारी सीमेंट के लिये क्रयादेश नहीं देते जिससे कि जिलों में सीमेंट का स्टाक कम हो जाता है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)**: बड़ी कठिनाई यह है कि सीमेंट की उपलब्धि मांग से कम है और जब तक उत्पादन अधिक नहीं होता इसकी कमी अवश्य ही रहेगी। अभी कुछ सीमेंट प्रतिरक्षा आवश्यकताओं के लिये भी भेजा जाने लगा है जिससे कि इसकी कमी और भी अधिक हो गई है।

†**श्री द्वा० ना० तिवारी** : मेरा प्रश्न यह था कि .....

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य ने केवल अपनी राय ही दी थी। उन्होंने कोई प्रश्न नहीं पूछा था।

†**श्री जोकीम आल्वा** : चोरबाजारी करने की कलाओं में से एक यह भी है कि सीमेंट में रेत मिला दिया जाता है। मंत्रालय ने ऐसे उन मामलों के संबंध में क्या कदम उठाये हैं जो कि उसके सम्मुख आये हैं, विशेष रूप से वह जो कि हाल ही में बम्बई की नगरपालिका में हुए हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री ने बताया है कि ऐसे किसी मामले की सूचना उन्हें नहीं मिली।

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : इस संबंध में राज्य सरकारों को कार्यवाही करनी होती है और इसीलिये मैं ने कहा था कि हमें ऐसी सूचनायें नहीं मिलीं। बम्बई सरकार बहुत प्रभावशाली कार्यवाही कर रही है। और मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिला सकता हूं कि बम्बई नगर में अपमिश्रण को रोकने में सफलता प्राप्त हो गई है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या सरकार की जानकारी में कुछ इस प्रकार के केसेज़ भी आये हैं कि हिन्दुस्तान में जहां बड़े-बड़े बांध बन रहे हैं उन के आस पास सीमेंट की चोरबाज़ारी उल्टी है, अर्थात् निर्धारित मूल्य से ज्यादा बिकने की अपेक्षा कुछ कम मूल्य पर भी वहां सीमेंट मिल जाता है, यदि हां, तो इसका कारण जानने का यत्न किया गया है ?.

†**श्री प्र० चं० सेठी** : जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है, इसका कोई सम्बन्ध हमारे से आता नहीं है क्योंकि जो सीमेंट वहां पर भेजा जाता है वह किस प्रकार बिकता है यह देखने का काम वहां की राज्य सरकार का है या वहां के अधिकारियों का है।

श्री यशपाल सिंह : ब्लैकमार्केटिंग की वजह से आज हालत यह बन रही है कि एक बोरा सीमेंट भी देहातों में नहीं भेज सकते हैं और सरकार इसको दूर करने का क्या उपाय कर रही है ?

†**अध्यक्ष महोदय**: माननीय सदस्य यह कह रहे हैं कि चोर बाजारी के कारण सीमेंट दूर के गांवों में नही पहुंचता है। वह यह जानना चाहते हैं कि क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कार्यवाही की है।

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : मैंने मुख्य प्रश्न के उत्तर में बताया था कि यह राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। विभिन्न राज्य सरकारों को सीमेंट का आवंटन कर दिया जाता है और वही उसके उचित वितरण के लिये आवश्यक कार्यवाही करती हैं और यदि कुछ शिकायतें हों तो वह राज्य सरकारों से की जाती हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री शिवचरण गुप्त** : क्या सरकार ने दिल्ली में सीमेंट के स्कन्धधारियों की अनुज्ञप्तियां प्रदान करने का निश्चय किया है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : मुझे इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है ?

†**डा० क० ल० राव** : क्या मैं मांग और पूर्ति के उस अन्तर का परिमाण जान सकता हूं जिसे माननीय मंत्री ने ठीक ही चोरबाजारी का मुख्य कारण बताया है ? क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि इस अन्तर को कम करने के लिये शीघ्र ही क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : वर्ष १९६२–६३ की अनुमानित मांग १००.५ लाख टन है तथा अनुमानित उत्पादन लगभग ८०.९ लाख टन है । हाल ही में हमने यह आदेश दिया है कि यदि उत्पादन गत तीन वर्षों में हुए आधिकतम उत्पादन से भी अधिक किया जायेगा तो उस निश्चित सीमा से अधिक उत्पादन पर उत्साहवर्द्धन के लिये २.५ रुपये से ५.५ रुपये तक दिये जायेंगे ।

श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती : क्या यह बात झूठ है कि भारत से काश्मीर भेजा गया सीमेंट चोर-बाजारी से लद्दाख में चीनी सड़क बनाने के काम में आया ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या काश्मीर भेजा गया सीमेंट चोर-बाजारी से चीनी सड़क के निर्माण के लिए आगे भेजा गया ।

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : मुझे कोई जानकारी नहीं है ।

भारत का निर्यात व्यापार

†***४९४. श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन के यूरोपीय साझा बाजार में शामिल होने की अवस्था में भारत के निर्यात व्यापार के रक्षण के लिए ब्रिटेन या यूरोपीय साझा बाजार के देशों के साथ कोई बातचीत अब भी हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो मामला किस प्रक्रम पर है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) और (ख). ब्रिटेन यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ उसमें अपने पूर्ण सदस्य की हैसियत से प्रवेश करने के सम्बन्ध में अब भी बातचीत कर रहा है । ब्रिटेन के यूरोपीय साझा बाजार में शामिल होने की अवस्था में भारत के निर्यात व्यापार के रक्षण के सम्बन्ध में भारत सरकार का रुख समय समय पर बातचीत करने वाले दलों को स्पष्ट कर दिया गया है । इसलिये विषय की अन्तर्ग्रस्त समस्याओं पर पूर्ण विवरण सभा में पहले ही समय-समय पर दिए जा चुके हैं ।

भारत सरकार बातचीत में हुई आधुनिकतम प्रगति का सूक्ष्म अध्ययन कर रही है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : सितम्बर, में लन्दन में मित्र राष्ट्रों के प्रधान मंत्रियों का सम्मेलन होने के बाद , जिसमें हमारे प्रधान मंत्री ने साझा बाजार योजना की कड़ी आलोचना की थी, इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ? क्या हमारे निर्यात व्यापार का संरक्षण करने के लिए अथवा उसमें वृद्धि करने के लिए भी जैसा कि माननीय मन्त्री के कुछ समय पूर्व कहा था, दोनों सरकारों के बीच कोई पत्र व्यवहार अथवा बातचीत अथव निम्न स्तर पर चर्चा हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** बहुत से प्रश्नों को एक साथ एकत्रित कर दिया गया है।

†**श्री मनुभाई शाह :** मित्र राष्ट्रों के प्रधान मन्त्रियों के सम्मेलन के पश्चात्, तीन बातों पर समझौता हुआ है जो कि भारत तथा अन्य कम उन्नत देशों के हित में है। यूरोपीय समुदाय ने चाय और इन देशों के मुख्य उत्पादों पर प्रशुल्क न लगाने की आवश्यकता को स्वीकार कर लिया है। चाय और नारियल की जटा में हमारा घना हित है। दूसरी बात यह है कि प्रधान मन्त्री ने भारत की ओर से जिन प्रशुल्कों पर बल दिया था उन्हें ध्यान में रखा गया है और ५० प्रतिशत उत्पादों पर शनैः शनैः प्रशुल्क लगाना स्वीकार कर लिया गया है जिसका अर्थ यह है कि एक दम बाहरी प्रशुल्क लगाने के बजाय इसे थोड़ा थोड़ा समय समय पर लगाया जायेगा। तासरी बात यह है कि विभिन्न वस्तुओं और विभिन्न क्षेत्रों के सम्बन्ध में हमारी विस्तृत करार की आवश्यकता को भी स्वीकार कर लिया गया है।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** यदि मुझे ठीक याद है तो एक ऐसा प्रस्ताव था शायद सुझाव था कि भारत को यूरोपीय साझा बाजार के देशों से उभयपक्षीय बातचीत करनी चाहिए, विशेषतया जरमनी और फ्रांस से जिन्हें हम भारी मात्रा में निर्यात करते हैं। क्या इस सम्बन्ध में कुछ प्रगति हुई है?

†**श्री मनुभाई शाह :** कुछ प्रगति अवश्य हुई है। किन्तु हम ब्रिटेन और यूरोपीय साझा बाजार के देशों के बीच ब्रिटेन के इसमें प्रवेश के सम्बन्ध में हुई बातचीत के अन्तिम परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या मैं यह जान सकती हूं कि क्या चाय और मुख्य उत्पादों के मामले में यह समझौता हो गया है कि उन्हें यूरोप में बेचने पर उन पर कोई बाहरी प्रशुल्क नहीं लगेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह :** जी, हां।

†**श्री हेम बरुआ :** स्पर्धा करने वाली आर्थिक क्रियाओं के दबावों को ध्यान में रखते हुए जैसा कि हमारे विदेशी व्यापार में हुई भारी गिरावट से स्पष्ट होता है, और जिसके ब्रिटेन के यूरोपीय साझा बाजार में सम्मिलित होने की दिशा में और भी बढ़ जाने की सम्भावना है, क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ने निर्यात के प्रतिरूप का वैज्ञानिकन करने के लिए अथवा निर्यात को ऊंचा करने के लिए क्याकदम उठाये हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह :** मुख्य समस्या यह है कि संरक्षण तथा रियायतों के आवश्यक होने पर भी भारत अथवा किसी अन्य देश की व्यापार में सफलता उसके अपने प्रयत्नों पर ही निर्भर करती है और हमें यूरोपीय साझा बाजार के देशों द्वारा अपेक्षित भिन्न भिन्न और मिले जुले उत्पादों के उन देशों को होने वाले निर्यात को संगठित करना है। इस ध्येय को लेकर हमने पश्चिमी देशों के साथ व्यापार के लिए एक परिषद् बनाई है। हम एक अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग संघ बनाने का भी विचार कर रहे हैं जो कि इस कार्य को अधिक उत्साहपूर्वक चलायेगा। इसी प्रयोजन के लिए यह सब कार्य किया गया है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या मैं जान सकता हूं कि ब्रिटेन के यूरोपीय साझा बाजार में सम्मिलित हो जाने से भारत की कौनसी वस्तु के निर्यात पर विशेष प्रभाव पड़ेगा और क्या इस सम्बन्ध में कोई अनुमान लगाया गया है कि उससे इस देश को कितनी आर्थिक हानि होगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री मनुभाई शाह : यह अनुमान लगाया गया है कि कम से कम ६० परसेंट प्रोडक्ट्स पर बड़ा धक्का लगेगा, क्योंकि जितनी मैनुफैक्टर्ड आर्टिकल्ज़ जायेंगी, उन पर टैरिफ लगेगा और इसलिए उनके दाम भी गिराने पड़ेंगे। वहां पर जो क्वान्टिटेटिव रेस्ट्रिक्शन होगी, उससे लड़ना पड़ेगा। यह अन्दाज़ा लगाया गया है कि जबकि इन्टर्नल टैरिफ अभी तक पूरी तरह से नहीं लगा है, हमारी ट्रेड को ग्यारह करोड़ रुपए का धक्का लगता है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री: किस चीज़ को हानि होती है ?

श्री मनुभाई शाह : मैनुफैक्टर्ड प्रोडक्ट्स को।

†**श्री जोकीम आल्वा :** हमने यूरोपीय साझा बाजार के देशों से वार्ता करने के लिए एक विशेष राजदूत भेजा है। क्या यूरोपीय साझा बाजार के दो प्रमुख सदस्य, अर्थात् जर्मनी और फ्रांस, हमारे पक्ष में किसी प्रकार झुके हैं अथवा वे अपने रुख में अड़े हुए हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह :** राजनयिक तथा वार्ता स्तरों पर अधिकतम मित्रता प्रकट की जा रही है किन्तु वास्तव में कुछ अधिक ठोस परिणाम नहीं निकला।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** हमें आशा रखनी चाहिए।

केरल में शुद्ध मापक यंत्र बनाने का कारखाना

†*४९७. **श्री अ० क० गोपालन:**
श्री प० कुन्हन :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में शुद्ध मापक यन्त्र बनाने का कारखाना स्थापित करने की दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कितना रुपया खर्च किया गया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) परियोजना के लिए स्थल पालघाट के निकट पुथुसेरी में चुन लिया गया है और केरल सरकार ने यह सूचित किया है कि वह अब परियोजना तथा नगर के लिए भूमि अर्जन करने के कदम उठा रही है। रूसी विशेषज्ञों के परामर्श से कारखाने में निर्माण किये जाने वाले उपकरणों के नामों की सूची अस्थायी रूप से तैयार कर ली गई है। परियोजना का विस्तृत प्रतिवेदन तैयार करने के लिए आवश्यक अनुदेशों के ज्ञापन का प्रतिरूप प्राप्त हो चुका है और वह विचाराधीन है।

(ख) इस अवस्था में परियोजना पर अब तक किए गए व्यय का संक्षिप्त रूप से दर्शाना सम्भव नहीं है।

†**श्री अ० क० गोपालन :** क्या मैं जान सकता हूं कि कार्य कब तक समाप्त हो जायेगा ?

†**श्री कानूनगो:** वह अभी तक प्रारम्भ ही नहीं हुआ है।

†**श्री अ० क० गोपालन :** कार्य प्रारम्भ करने में विलम्ब क्यों हो रहा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री कानूनगो: सबसे पहले परियोजना का प्रतिवेदन तैयार करना है। प्रश्न सूची तथा ज्ञापन का प्रथम प्रारूप प्राप्त हो चुका है और उस पर ध्यान दिया जा रहा है। इसके बाद परियोजना का प्रतिवेदन तैयार होगा तथा सामग्री के क्रयादेश दिए जायेंगे। अब हम भूमि अर्जन करने के लिए कदम उठा रहे हैं।

†श्री अ० क० गोपालन: क्या भूमि अर्जित की जा चुकी है?

†श्री कानूनगो: भूमि अभी तक अर्जित नहीं की गई, किन्तु केरल सरकार ने भूमि अर्जन करने के लिए प्रस्ताव किया है।

रूस को केलों का निर्यात

+
†*४९८. { श्री ईश्वर रेड्डी:
श्री पें० वेंकटासुब्बया:
श्री रामेश्वर टांटिया:
श्री यशपाल सिंह:
श्री राम रतन गुप्त: }

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रूस ने भारतीय केलों के क्रय के लिए कोई प्रस्ताव किया है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में किसी करार पर हस्ताक्षर किए गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो उस करार की क्या शर्तें हैं और कितना केला निर्यात किया जायेगा?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) रूसी प्राधिकारी जांच के तौर पर, भारत से ४,००० टन ताजे केलों का आयात करने से सहमत हो गये हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) निर्यात उत्पादकों की सहकारी समितियों द्वारा किया जायेगा।

†**श्री ईश्वर रेड्डी**: क्या राज्यवार कोई कोटा निर्धारित किया जा रहा है, और केले कौन एजेंसियां भेजेंगी।

†**श्री मनभाई शाह**: महाराष्ट्र सहकारी शोर्ड समिति।

श्री बेरवा कोटा: जो केले भेजे जायेंगे, वे कच्चे होंगे या पके हुए? उनके भारत से रूस जाने में कितना टाइम लगेगा?

अध्यक्ष महोदय: इसका फिक्र करने की क्या जरूरत है?

†**श्री हरि विष्णु कामत**: इस दृष्टि से कि हमारे देश में केला जनसाधारण का फल है, विशेषकर केरल में और साधारणतया देश में, क्या सरकार ने यह देखने के लिए कोई कार्यवाही की है कि विदेशों को अधिक मात्रा में निर्यात होने के कारण केले का मूल्य नहीं बढ़ेगा, जैसा कि प्राय: पण्यवस्तु के साथ होता है?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मनभाई शाह** : मेरे माननीय मित्र निर्यात संवर्धन में पर्याप्त रुचि ले रहे हैं, परन्तु वह निर्यात होने से पहिले उसके उल्लेख पर ही मूल्य के बारे में चिन्तित हैं।

†**अध्यक्ष महोदय**: उनके यह श्न पूछने से शायद मूल्यों में वृद्धि न हो।

†**श्री जोकीम आल्वा** : माननीय मंत्री को विदित है कि यह निर्यात का एक नया अवसर है ; क्या उन्होंने निर्यात की शर्तों की इस दृष्टि से जांच की है कि केला का अधिक मात्रा में निर्यात होने पर, स्वाभाविक है कुछ को खराब मिलें, और इस कारण हमें उन्हें ताजा भेजने के लिए, बिना कुछ लिए, तैयार रहना चाहिये ?

†**श्री मनुभाई शाह** : ठीक है।

†**श्री वें० वेंकटासुब्बया** : मंत्री महोदय ने कहा है कि केला का निर्यात उत्पादक सहकारी समितियों द्वारा किया जायेगा। यदि यह बात है तो क्या जिन राज्यों में ऐसी समितियां नहीं हैं, उनमें उन्हें बनाने का कोई प्रयत्न किया जायेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह** : मैं केरल गया था, जो इस कार्य के लिए मुख्य राज्य है और वहां मंत्री केवल सहकारी समिति बनाने से ही सहमत नहीं हुए हैं, अपितु हमने एक बागान निगम का भी सुझाव दिया है जो उन्होंने केलों के सहकारी बाग लगाने के लिए स्वीकार कर लिया है।

†**श्री तिरुमल राव** : क्या मंत्रालय केला का उत्पादन व निर्यात बढ़ाने की कोई नीति बना रही है ? अनेक बड़े क्षेत्र हैं जहां देश के लिए केला लाभदायिक रूप से उगाया जा सकता है।

†**श्री मनुभाई शाह** : विपणन-कार्य इतना थोड़ा है कि हम उचित मात्रा में निर्यात करना चाहते हैं। केला पहिले से ही अधिक मात्रा में उगाया जाता है। यदि इसमें सफलता मिलती है, तो हम अन्य वस्तुओं के बारे में कार्यवाही करेंगे।

†**श्री यशपाल सिंह** : हम इसके लिए बदले में रूस से कौन से फल लेंगे या हम को कम्पेंसेट करने के लिए वहां से मिग्ज़ मिल जायेंगे ?

†**श्री मनुभाई शाह** : पैसा लेंगे, फल नहीं लेंगे।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : हमारा नारा है केलों के लिए मिग्ज़।

†**श्री विश्राम प्रसाद** : इन निर्यातों से कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी ? क्या रूस को केवल केले भेजे जायेंगे या कोई और फल भेजे जायेंगे ?

†**अध्यक्ष महोदय** : अभी हमें केलों से संबंध है। अगला प्रश्न।

†**श्री मनुभाई शाह** : हमें २८ लाख रु० प्राप्त होंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारतीय व्यापार-प्रतिनिधि मंडल द्वारा लंका का दौरा

+

†*४९९. { **श्री विशनचन्द्र सेठ :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल भारत-लंका व्यापार करार के कार्य संचालन का पुनर्विलोकन करने के लिये लंका गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) जी हां ।

(ख) २८ अक्टूबर, १९६१ को किया गया भारत-श्रीलंका व्यापार करार अपने एक उपबन्ध के अनुसार लागू है। उसी के साथ किये गये विशेष प्रबन्ध एक वर्ष तक मान्य हैं। भारतीय व्यापार प्रतिनिधि मण्डल ने, जिसके नेता अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग के विशेष सचिव थे, श्रीलंका सरकार के प्रतिनिधियों के साथ, १८ से २३ दिसम्बर, १९६२ की अपनी श्रीलंका की यात्रा के समय, विशेष प्रबन्धों के लागू होने का पुनरीक्षण किया। दोनों प्रतिनिधि मण्डलों ने अन्य उत्पादों के व्यापार के अतिरिक्त दोनों देशों के लिए विशेष रुचि की पण्य वस्तुओं के व्यापार का विस्तार करने के लिए आवश्यक कार्यवाही पर विचार किया।

२. अक्टूबर, १९६१ के प्रबन्ध की जांच के परिणामस्वरूप, दोनों देश इस बात पर सहमत हो गये हैं कि सूखी मछली को छोड़कर, कि दोनों में से किसी भी देश के आयात में हुई कमी वर्तमान प्रबन्ध वर्ष में पूरी हो जानी चाहिये।

३. इस वार्ता के समय वर्ष १९६३ में श्रीलंका द्वारा मांगी गई सूखी मछली, हथकरघे के वस्त्र, ताड़गुड़ और इमली एवं भारत द्वारा मांगी गई गोला, नारियल का तेल और रबड़ (प्राकृतित) जैसी विशेष रुचि की वस्तुओं के व्यापार प्रबन्ध की गोपनीय पत्रों के विनिमय के रूप में निश्चित किये गये।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार भारतीय व्यक्तियों द्वारा विलम्बित भुगतान के आधार पर रेलवे सामान, टेलीफोन सामान और अन्य ऐसी पूंजीगत वस्तुयें, जिन्हें श्रीलंका चाहे, जिनका कुल मूल्य ५ करोड़ रु० हो, सात वर्ष में उपलब्ध करने के लिए सहमत हो गई है।

४. प्रबन्धों में त्रैमासिक पुनरीक्षण की व्यवस्था है। इससे करार को अच्छी तरह लागू करने में सहायता मिलेगी और इससे किसी की और भी कठिनाइयां शीघ्र दूर हो जायेंगी।

५. निश्चित प्रभाव यह होगा कि चालू वर्ष में लगभग २५% व्यापार बढ़ जायेगा।

६. भारतीय और श्रीलंका के व्यापार प्रतिनिधिमण्डलों के नेताओं के बीच विनिमय हुए पत्रों की प्रतियां संसद पुस्तकालय में रख दी गई हैं।

श्री बिशनचन्द्र सेठ : मैं पूछना चाहता हूं कि किस किस चीज़ के व्यापार की बातें इस प्रतिनिधि-मंडल ने वहां कीं और क्या क्या चीजें वहां भेजी जायेंगी या क्या क्या चीजें वहां से यहां आयेंगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री मनुभाई शाह : हमारी तरफ से जो भेजने की हैं वे हैं टैक्सटाइल्ज, मछलियां, कोई दवाएं, कोई सिनेमेटोग्राफ फिल्में और वहां से जो खरीदने की हैं वे हैं कोपरा, कोकोनट आयल और रबर ।

†श्री प्र० चं० बरुआ : कितना टेलीफोन सामान निर्यात होगा ?

†श्री मनुभाई शाह : ५ करोड़ रु० का ।

†श्री श्यामलाल सर्राफ : क्या इन वस्त्रों में रेशमी या कृत्रिम रेशम के वस्त्र भी शामिल हैं और क्या श्रीलंका का प्रशुल्क कम हो गया है ?

†श्री मनुभाई शाह : वे भी शामिल हैं । परन्तु वहां भी उद्योग स्थापित हो रहे हैं । संभव है कि वृद्धि अधिक न हो । अतः हम इंजीनियरी सामान का अधिक अवसर ढूंढ रहे हैं ।

†श्री कोया : इस में गोला कितना होगा ?

†श्री मनुभाई शाह : मैं इन सब का मूल्य बताना नहीं चाहता ।

केन्द्रीय लोहा और इस्पात मजूरी बोर्ड

†*५००. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सब इस्पात संयंत्रों ने केन्द्रीय लोहा और इस्पात मजरी बोर्ड द्वारा की गई अन्तरिम सहायता सम्बन्धी सिफ़ारिशों को क्रियान्वित कर दिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

†इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) लोहा और इस्पात सम्बन्धी मजूरी बोर्ड की अन्तरिम सहायता सम्बन्धी सिफ़ारिशों को लागू करने के लिए सभी इस्पात संयंत्र कार्यवाही कर रहे हैं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

†श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या सरकार को विदित है कि टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी ने अपने कारीगरों से कह दिया है कि यह अन्तरिम सहायता प्राप्त नहीं होगी यदि सरकार उन्हें आश्वासन न दे कि इस्पात का प्रतिधारण मूल्य और बढ़ा दिया जायेगा ?

†इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्) : जी हां, यह मामला सरकार को भेजा गया है और हम ने प्रश्न का स्वीकारात्मक उत्तर दिया है । यह प्रतिधारण मूल्य में दी जायेगी ।

†श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या सरकार को भी विदित है कि इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी प्राधिकारी अपने मजदूरों से कहते रहे हैं कि जिस वृद्धि की सिफ़ारिश की गई है वह केवल न्यूनतम मजूरी पाने वाले मजदूरों को दी जायेगी अधिक वेतन पाने वालों को नहीं ?

†श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : नहीं । उन्होंने सन्देह प्रकट किया है कि पंचाट की शर्तों के अनुसार ९५ रु० की न्यूनतम मजूरी की सिफ़ारिश की गई है । यह मामला कि प्रत्येक वर्ग के कर्मचारियों की मजूरी समान रूप से २१ रु० बढ़ा दी जाये मजूरी बोर्ड के पास भेज दिया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री स० मो० बनर्जी : क्या सरकारी क्षेत्र की सभी परियोजनाओं—रूरकेला भिलाई और दुर्गापुर—में अन्तरिम रिपोर्ट लागू कर दी गई है ?

†श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जी हां, वे लागू कर दी गई हैं ।

पटसन के मूल्य में कमी

†*५०१. { +श्री विभूति मिश्र :
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त : }

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि उड़ीसा, बिहार तथा देश के अन्य भागों के पटसन उत्पादकों को अपनी कच्ची पटसन बहुत कम दामों में बेचनी पड़ी है;

(ख) क्या यह सच है कि पटसन विपणन समितियों जिनकी स्थापना पटसन की खरीद के लिये की गई थी किसानों को किसी न्यूनतम मूल्य के बारे में आश्वासन नहीं दे सकी हैं; और

(ग) क्या सरकार किसी ऐसे प्रस्ताव पर विचार कर रही है कि पटसन उत्पादकों को कच्चे पटसन के लिये स्थानीय बिक्री केन्द्रों में न्यूनतम ३० रुपये प्रति मन विक्रय मूल्य प्राप्त हो सके ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :(क) से (ग). सरकार ने आश्वासन दिया है कि संचालन मूल्य ३० रु० प्रति मन जो कलकत्ता में दिये गये आसाम की निम्नतम कोटि के कच्चे पटसन पर आधारित है रखा जायेगा । उत्तम व निकृष्ट किस्म की अनेक किस्मों के कच्चे पटसन के मूल्य कलकत्ता में आसाम के निम्नतम मूल्य पर आधारित होते हैं । उत्तम किस्म के पटसन पर चालू फसल में बहुत लाभ हुआ । कुछ राज्यों में उगाई जाने वाली पटसन की निम्न कोटियों के बारे में अक्टूबर १६६२ के अन्त तक आसाम की निम्नतम किस्म का प्रति मन संचालन मूल्य लगभग ३० रु० था । बाद में संकट की परिस्थितियों के फलस्वरूप पटसन उगाने वाले कुछ क्षेत्रों में बिक्री कम हुई और मूल्य काफी गिर गये । सरकार ने मूल्यों में गिरावट रोकने के लिए तत्काल निम्न कार्यवाही की :—

(१) पटसन (लाइसेन्स तथा नियंत्रण) आदेश १६६२ के अन्तर्गत एक संविहित आदेश जारी किया गया जिससे पटसन की सभी मिलों के लिए अनिवार्य हो गया कि वे प्रति मास कुछ पटसन खरीदें और यह भी अनिवार्य हो गया कि वे प्रति मास के अन्त में कुछ न्यूनतम भण्डार रखें । नवम्बर, दिसम्बर, १६६२ और जनवरी, १६६३ में क्रमानुसार ११·५१ लाख गांठों, ७ लाख गांठों और ७·२० लाख गांठों का कोटा नियत किया गया । फरवरी १६६३ के अन्त में उद्योग के लिए निश्चित न्यूनतम भण्डार २२ सप्ताह की उपभोग मात्रा होगी । पटसन मिलों से कहा गया था कि वे उन क्षेत्रों से जहां कम मूल्य पर पटसन बिक रहा है यथाशक्ति पटसन खरीदें । इस आदेशानुसार पटसन मिलों ने नवम्बर में ११·४४ लाख

†मूल अंग्रेजी में

गांठें और दिसम्बर १९६२ में ७.५४ लाख गांठें खरीदीं। वर्तमान फसल में पटसन मिलों ने दिसम्बर १९६२ के अन्त तक पिछली फसल की प्राप्त २६ लाख गांठों के अतिरिक्त ४२.८५ लाख खरीदीं। जनवरी, १९६३ का कोटा मिला कर मिलें लगभग ५० लाख गांठें खरीदेंगी।

(२) जूट बफर स्टाक एसोसियेशन ने चालू फसल में अपने पास २.२५ लाख गांठें होने पर भी जो पिछली फसल की बची हुई थीं ४ लाख गांठें खरीदीं। इसके अतिरिक्त १ लाख गांठें आयातीत कतरनों की थीं और इस प्रकार कुल ७.२५ लाख गांठें हो गईं।

(३) राज्य व्यापार निगम से कहा गया था कि वह कलकत्ता में आसाम की निम्नतम कोटि के पटसन के ३० रु० प्रति मन संचालन मूल्य पर राष्ट्रीय कृषि विपणन फेड्रेशन के माध्यम से उत्पादकों तथा उत्पादकों की सहकारी समितियों से कच्चा पटसन खरीदे। राष्ट्रीय कृषि विपणन फेड्रेशन के माध्यम से लगभग ६०,००० गांठें खरीदी गईं। खरीद-कार्यवाही बढ़ाने के लिए राज्य व्यापार निगम बाहरी जगहों में खरीदने और वहीं से गोदाम में रखने के लिए बजाये इसके कि, उसे कलकत्ता लाया जाये, राष्ट्रीय कृषि विपणन फेड्रेशन को अग्रिम देय देने से सहमत हो गई है।

(४) राज्य सरकारों से प्रार्थना की गई है कि वे अपने अभिकरणों द्वारा सीधे कच्चा पटसन खरीदें और उनकी सहायता के लिए राज्य सरकार निगम ने अग्रिम देय के रूप में प्रयोग किये जाने के लिए कुल १५५ लाख रु० अनेक राज्य सरकारों के विवेक पर छोड़ दिया है—आसाम को ५० लाख रु० का अग्रिम देय दिया गया है बंगाल और बिहार में से प्रत्येक को ४० लाख रु० दिये गये हैं उड़ीसा को २० लाख रु० दिये गये हैं और त्रिपुरा को ५ लाख रु० दिये गये हैं।

(५) सहकारी समितियों तथा सरकारी एजेंसियों के अतिरिक्त राज्य व्यापार निगम को विद्यमान विश्वस्त्र व्यापार एजेंसियों, वेल्स और प्रसर्स की सेवायें प्रयोग करने का प्राधिकार दे दिया गया है। ये राज्य व्यापार निगम की ओर से पटसन खरीदेंगे।

(६) निर्यात के लिए २ लाख गांठें दी गई थीं। लगभग ५४,००० गांठों का विक्रय हो गया है।

२. आशा है कि वर्तमान फसल में ७० लाख गांठों का उत्पादन होगा और यहां मिले जुले क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक मूल्य होने के कारण आशा है कि वर्तमान फसल में लगभग ७५ से ८० लाख गांठें उपलब्ध होंगी। अब तक की खरीद लगभग ५५ लाख गांठों की हुई है और चालू फसल के अगले ५ मास में लगभग २० से २५ लाख तक गांठें और प्राप्त होंगी। सभी पटसन मिलें यदि उन्हें विद्युत मिलती रहे, अपनी पूर्ण क्षमता पर चल रही है और मिलों तथा अन्य एजेंसियों द्वारा होने वाली खरीद लगभग ७ से ८ लाख तक गांठें प्रति मास है। शेष मात्रा उत्पादकों के पास है और आशा है कि वे तीन मास में बिक जायेंगी। अतः चिन्ता का कोई कारण नहीं है। मूल्यों में गिरावट रोक दी गई है और अब अगले महीनों खरीद होने से उनमें वृद्धि हो सकती है। इस बात को ध्यान में रख कर कि पटसन की आसाम की निम्नतम कोटि के समान पटसन का वर्तमान फसल में पाकिस्तान में विनिहित मूल्य काफी कम है इसे सन्तोषजनक समझना चाहिये।

श्री विभूति मिश्र : क्या यह सही है कि पिछली दफा एमरजेंसी के वक्त में असम में जूट का दाम दस रुपये मन हो गया, बिहार में बारह रुपये मन हो गया और बंगाल में भी कम हो गया और इस हालत को देखते हुए प्रधान मंत्री जी ने मदद की थी, जूट ग्रोअर्स को थोड़ी सी राहत पहुंचाई थी ? अगर यह सही है तो उस समय क्या सरकार वाजिब नहीं समझती थी कि जूट के दाम तीस रुपये मन कायम रहते ?

श्री मनुभाई शाह : प्रधान मंत्री जी ने हुक्म निकाला और हम लोगों ने भी कोशिश की । उसकी वजह से ही तो दाम बढ़ गए ?

श्री विभूति मिश्र : जिस समय असम में, बिहार में जूट के दाम कम हो गए तो क्यों सरकार ने कोई इस तरह की कार्यवाही नहीं की कि जिन व्यापारियों ने दस रुपये मन जूट खरीदा और किसानों को बीस रुपया मन घाटा पहुंचा उनको भी कुछ कम्पेन्सेट किया जाता ?

श्री मनुभाई शाह : जो कीमत के आंकड़े माननीय सदस्य ने दिये हैं, वे सही नहीं हैं । लेकिन मैं उस कंट्रोवर्सी में पड़ना नहीं चाहता । मैं ने जो स्टेटमेंट सदन में के सामने रखा है, उसको अगर आप पढ़ेंगे तो आप को पता चलेगा कि मार्किटिंग आपरेशंज ने ६० लाख गांठें अब तक खरीद ली हैं और सिर्फ बीस लाख गांठें बाजार में हैं ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया है कि उसके अपने पटसन आयुक्त, मि०जनेजा ने २७ दिसम्बर को कलकत्ता में एक वक्तव्य में कहा है कि माननीय मंत्री द्वारा विपणन कार्य बहुत देर से आरम्भ हुआ है । उन्होंने कहा कि मैं नहीं कह सकता कि वर्तमान कार्यवाही से उत्पादकों को कितना लाभ होगा क्योंकि संभव है कि उनके पास मात्रा बहुत थोड़ी हो । इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : बात यह है कि हम बड़े संकट में फंस गये थे, विशेषकर उस समय जब कि बिहार में संकट की दृष्टि से परिवहन रुक गया और आसाम में पाकिस्तानी नाव चालकों ने हड़ताल कर दी । अतः यह सच्चा वक्तव्य था, चाहे हमने भरसक प्रयास किया था । परिस्थितियों के कारण मूल्य काफी गिर गये थे । परन्तु हाल में ७५ प्रतिशत फसल खरीदी गई है ।

†**डा० पं० शा० देशमुख** : क्या सरकार की ऐसी कोई योजना है कि जिन उत्पादकों का पटसन अत्याधिक गिरे मूल्य पर बिका है, उन की सहायता की जाये ?

†**श्री मनुभाई शाह** : ऐसी कोई योजना नहीं है ।

श्री रा० शि० पाण्डेय : क्या सरकार को मालूम है कि पाकिस्तान में जूट का पर एकड़ यील्ड अधिक है और उस का रेट भी कम है और क्वालिटी भी अच्छी है ?

श्री मनुभाई शाह : वहां एरिया कम है, क्राप हमसे बड़ा है और रेट हमसे आधा है ? हम कोशिश करते हैं कि ग्राओर को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचायें । मार्किटिंग आपरेशंज में करोड़ों रुपया लग गया है । वहां का प्रोडक्शन हम से अधिक है । वहां पौने चार मन फी एकड़ है और यहां पर सवा दो मन निकलता है । इन सब बातों को देखते हुए मार्किटिंग का काम किया जा रहा है ।

श्री विभूति मिश्र: अध्यक्ष महोदय, यह बात गलत है कि यहां सवा दो मन निकलता है, यहां दस मन निकलता है (अन्तर्बाधा)

श्री मनुभाई शाह : मैं यह कह रहा था . . . .

---

†मूल अंग्रेजी में

अध्यक्ष महोदय : आर्डर आर्डर, मैं ने उस सवाल की इजाजत नहीं दी है ।

†**श्री फ०गो० सेन** : क्या सरकार को विदित है कि पटसन का न्यूनतम मूल्य ३० रुपये प्रति मन निर्धारित होने पर भी मिलें २७ रु० मन खरीद रही हैं और रसीद ३० रुपये मन की लेती हैं और कहा जाता है कि ८ से १० लाख टन तक पाकिस्तानी पटसन चोरी से यहां लाया गया है और इन्हीं कारणों से पटसन का मूल्य गिरा है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह सारी जानकारी दी जा चुकी है ।

†**श्री मनुभाई शाह** : यह जानकारी विवरण में दी है ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : उत्पादकों के लिए न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने में पटसन विपणन समिति को क्या कठिनाई हुई ?

†**श्री मनुभाई शाह** : वस्तुतः सहकारी समितियों का अभी इतना विकास नहीं हुआ है कि वे १५० करोड़ रुपये के मूल्य की फसल का विपणन कर सकें । अतः हम इस सभा में और राज्य सरकारों से प्रार्थना करते रहे हैं कि जो माननीय सदस्य वास्तव में सहकारी आन्दोलन में चि लेते हैं वे यह प्रयत्न करे कि उत्पादकों की सहकारी समितियां बन जायें । इस समस्या का यही हल है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या यह सच है कि कार्य बहुत देर से आरम्भ हुआ और परिणामस्वरूप पटसन पहिले ही बिचौलियों के हाथ में आ चुका था और यदि हां, तो देर होने के क्या कारण हैं और इस से उत्पादकों को क्या लाभ होता है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह सच नहीं है । बाजार में फसल के आने से पहिले ही विपणन कार्य आरम्भ हो गया था । बीच में संकट आ गया, जिससे सभी परेशानी है ।

कानपुर कारखानों में कपड़े का जमा हो जाना

†*५०२. { **श्री बड़े** :
श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्री मंत्री :
श्री राम रतन गुप्त : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में कानपुर की मिलों में एक लाख से भी अधिक कपड़े की गांठें बिना बिकी पड़ी हैं;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ मिलों में माल जमा होने के कारण उत्पादन कम हो गया है;

(ग) क्या यह संकट उत्तर प्रदेश में बनने वाले कपड़े के तुलनात्मक दृष्टि से ऊंचे मूल्यों के कारण पैदा हुआ है; और

(घ) क्या यह सच है कि जनता इन कपड़ों को स कारण नहीं खरीद रही है कि वह छपी हुई कीमत में उपलब्ध नहीं होते हैं और विक्रयकर्ता छपी हुई कीमत से अधिक दाम की मांग करते है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) नहीं, श्रीमान्। अनुमान है कि दिसम्बर, १९६२ के अन्त तक बिका और बे बिका कुल स्टक ३६,७०० गांठे था।

(ख) उत्पादन में कोई कमी नहीं हुई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं। साधारणतया देश में और विशेषकर पूर्वी प्रदेश में हाल की स्थिति के कारण बिक्री में कमी हुई है।

†श्री बड़े: क्या यह सच है कि स्टाक का समूहन कपास के गिरे मूल्यों के कारण हुआ है जो कि सरकार ने निर्धारित किया है?

†श्री मनुभाई शाह: इस कपास के मूल्य से कोई संबंध नहीं है। यह कपड़े का वहन है।

†श्री बड़े: क्या यह सच है कि वस्तुओं के परिवहन में कठिनाई के कारण समूहन हुआ है?

†श्री मनुभाई शाह: समूहन केवल संकट के समय डर पैदा होने से हुआ है। अब स्थिति पूर्णतया पहिली जैसी हो गई है।

†श्री स० मो० बनर्जी: क्या यह सच है कि कानपुर मिलों में औसत और मोटे किस्म के कपड़े निर्यात की स्थिति के डांवाडोल होने के कारण थोड़ा समूहन हुआ है, और यदि हां, तो इन किस्मों का निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

†श्री मनुभाई शाह: माननीय सदस्य की जानकारी यह थी कि एक लाख गांठों का समूहन हुआ है। १ लाख और ३६,००० में बड़ा अन्तर है। वहां सारी मिलों की स्टाक रखने की मात्रा ३६,००० गांठें हैं।

†श्री बड़े: क्या यह सच है कि प्रत्येक स्थान पर वस्त्र का ऐसा ही समूहन है और प्रैस में प्रकाशित हुआ है कि समूहन हो रहा है; यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कर रही है?

†श्री मनुभाई शाह: ऐसी बात नहीं है। सभा को महसूस होगा कि यद्यपि थोड़ा सा समूहन है, फिर भी हम अपने काल के सर्वाधिक कठिन समय से निकल आये हैं।

†श्रीमती सावित्री निगम: क्या वस्त्र उद्योग वालों ने सरकार से इस कारण सहायता मांगी है कि उनके पास स्टाक जमा है?

†श्री मनुभाई शाह: हां, उन्होंने ऋण मांगा था। मुझे प्रसन्नता है कि रिजर्व बैंक ने ऋण ४६ करोड़ रुपये से बढ़ा कर ७३ करोड़ रुपया कर दिया है।

श्री तुलसीदास जाधव: आज कल जो स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स हैं उन में स्टाक के जमा होने से जो अनएम्प्लायमेंट पैदा होती है उस के बारे में क्या सरकार को पता है? और उस के लिये सरकार क्या उपाय कर रही है?

श्री मनुभाई शाह: जहां स्टाक पड़ा हुआ है वहां कोई अनएम्प्लायमेंट नहीं हुआ है और कोई मिल बन्द नहीं हुई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

बोकारो इस्पात संयंत्र

+
†*५०३. { श्री मंत्री :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री राम रतन गुप्त :

क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रस्तावित बोकारो इस्पात संयंत्र के लिये अमरीकी सहायता के विषय में कोई बातचीत हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो परियोजना पर काम कबसे चालू होगा तथा वह संयंत्र कब से काम करना आरंभ कर देगा ?

†इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). पिछली मई में बोकारो के लिये अमरीकी वित्त के प्रश्न पर अन्तर्राष्ट्रीय विकास संबंधी अमरीकी एजेंसी के साथ प्रारम्भिक वार्ता हुई थी। इस वार्ता के बाद अमरीकी सरकार की अन्तर्राष्ट्रीय विकास संबंधी ऐजेंसी ने आयोजित बोकारो संयंत्री का प्रौद्योगिक आर्थिक सर्वेक्षण करने के लिये विशेषज्ञों का एक दल भेजा था। दल ने अपना सर्वेक्षण समाप्त कर लिया है और उन का प्रतिवेदन प्राप्त होने वाला है जिस के आधार पर सहायता सम्बन्धी अन्तिम निश्चय किया जायेगा।

†श्री मंत्री :इस सम्बन्ध में सरकार कितना पैसा पाने वाली है, क्या इसकी कोई बातचीत हुई है ?

†श्री प्र० चं० सेठी : राशि निश्चित नहीं हुई है। यह रिपोर्ट प्राप्त होने पर निश्चित होगी।

†श्री कृ० चं० पन्त : सरकार यह रिपोर्ट कब मिलने की आशा है ?

†इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री च० सुब्रह्मण्यम्) : आशा है कि रिपोर्ट ,अक्टूबर तक पेश होगी, परन्तु हमें उससे पहिले निश्चय ज्ञात हो सकता है।

अहमदाबाद कपड़ा मिलों में कपड़े का इकट्ठा हो जाना

+
†*५०४. { श्री दे० जी० नायक :
श्री राम रतन गुप्त :
श्री मंत्री :
श्री बड़े :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदाबाद की कपड़ा मिलों में बड़ी मात्रा में कपड़ा इकट्ठा हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) देश के वस्त्र उद्योग में, विशेषकर अहमदाबाद में, स्टाक जमा हो गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) सूती कपड़ा उद्योग तथा व्यापार को अधिक ऋण देने की कार्यवाही की गई। गुजरात सरकार की उस राज्य में मिलों को बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋणों पर द्विपक्षीय संरक्षण देने की योजना है। इनसे उद्योग को कुछ सहायता मिली है।

†**श्री दे० जी० नायक** : अहमदाबाद मिलों में कितना स्टाक जमा था ?

†**श्री मनुभाई शाह** : २,२२,००० गांठें।

श्री मंत्री : इस कारखाने में अपना माल ज्यादा होने के बाद भी सरकार ने अमरीका से काटन बेल्स मंगाई हैं, इसका क्या कारण हो सकता है, और इन बेल्स का इतना ज्यादा स्टाक मंगाने से हमारे यहां काटन की कीमत पर भी क्या उसका कोई असर पड़ा है ?

श्री मनुभाई शाह : जो भी स्टाक है वह कपड़े का है और बाहर से रुई आती है। जितना हम रूई में डेफिसिट हैं उतनी रुई हमें बाहर से मंगानी पड़ती है। पिछले साल रुई की क्राप खराब हो गई थी और उसके इम्पोर्ट करने की डिमाण्ड आई थी।

†**श्री दे० जी० नायक** : क्या यह सच है कि अधिक मूल्य के कारण स्टाक जमा हुआ है और यदि हां, तो मूल्यों में कमी करने के लिए सरकार ने क्य कार्यवाही की है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह भी एक कारण था, परन्तु मुख्य कारण यह था जैसा कि मैंने बताया, कि देश के बड़े भाग में व्यापार में कमी हो गई थी। कुछ किस्मों के मूल्य बहुत बढ़ गये थे। हमने स्पष्ट कर दिया था कि उच्चतम मूल्य से कम मूल्य पर माल बेचा जा सकता है और अनेक मिलों ने १० प्रतिशत तथा १५ प्रतिशत छूट पर माल बेचा।

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख : क्या यह सच है कि अमरीका की रुई उसी वक्त यहां मंगाई जाती है जबकि काश्तकार की रुई बाजार में आती है, और मिडलमैन के हाथ में रुई तब जाती है जबकि उसका एक्सपोर्ट होता है ?

श्री मनभाई शाह : ऐसा नहीं होता है। होता इस तरह से है कि कहां से कितना माल मिल रहा है यह हमारे हाथ में नहीं है। अमरीका गवर्नमेंट आजाद है, दूसरी गवर्नमेंट आजाद है कि वह अपने यहां से कितना माल कब भेज। वह खुद ही इसको अनाउन्स करते है।

श्री रा० शि० पाण्डेय : मैं जानना चाहता हूं कि किस वेराइटी का स्टाक ज्यादा है, कोर्स, मीडियम फाइन या सुपरफाइन का ?

श्री मनभाई शाह : ज्यादा स्टाक है मीडियम वैराइटी का और थोड़ा सा है कोर्स वैराइटीका।

†**श्री रंगा** : कपड़ा उद्योग का संकट और जमा स्टाक की बढ़ती मात्रा का हथकरघा उद्योग पर क्य प्रभाव पड़ा है ? क्या सरकार ने इस पर ध्यान दिया है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जी हां। यह मूल प्रश्न था क्योंकि हम सूती कपड़े की अपेक्षा हथकरघा के कपड़े के बारे में अधिक चिन्तित थे। हम बहुत अधिक मात्रा में ऋण देते रहे है। और उससेभी अधिक सहायत हथकरघा के कपड़े को लेने के लिए दी है, और मुझे प्रसन्नता है कि हथकरघा उद्योग की यह समस्या हल हो गई है।

†**श्री बड़े** : क्या यह सच है कि केवल निर्यात ही कम नहीं हो रहा है, अपितु देश में भी कपड़ा नहीं बिकता है और इसलिए स्टाक जमा हो गया है ? अहमदाबाद की वस्त्र संस्था ने यह रिपोर्ट दी है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मनुभाई शाह :** जी नहीं । वास्तव में समस्त संसार में कपड़े का निर्यात कम हो गया है, क्योंकि उपभोक्ता देश अपने कपड़ा मिल लगा रहे है । यह स्थिति कम से कम पिछले दो मास से इस्ट इण्डिया के कपड़ा न लेने से उत्पन्न हुई ।

पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा तकुओं का लगाया जाना

†*५०५. **श्री यशपाल सिंह:**
श्री राम रतन गुप्त :
श्री मंत्री:

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूत तैयार करने के लिये २५ हजार तकुए लगाने के लिये सरकार ने पश्चिमी बंगाल सरकार को अनुमति दे दी है ; और

(ख) यदि हां, तो ये लाइसेंस किसे और किन स्थानों के लिये दिये गये है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनभाई शाह) :** (क) जी हां ।

(ख) राज्य सरकार द्वारा चुने जाने वाले स्थान पर नया कारखाना स्थापित करने के लिए पश्चिमी बंगाल सरकार के सचिव के नाम लाइसेंस दे दिया गया है ।

श्री यशपाल सिंह: यह काम कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री मनुभाई शाह : हमने लाइसेंस दे दिया है, दो साल में मिल को आ जाना चाहिये ।

†**श्री शिवनजप्पा:** क्या और अधिक तकुए देने की बात विचाराधीन है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** हमने १८ बुनाई मिलों को २० लाख तकुए पहिले ही नियत कर दिये हैं ?

श्री विभूति मिश्र: क्या यह सही है कि सरकार ने कताई की मिलों को लाइसेंस दे दिया है लेकिन लोगों को उसके लिये अच्छी तरह से बाहर से सामान नहीं मिल रहा है ?

श्री मनुभाई शाह : बहुत सी मैशीनरी तो हिन्दुस्तान में ही बन रही है । थोड़ी इम्पोर्ट भी करनी पड़ती है । फारेन एक्सचेंज की जो सिचुएशन है उसके अनुसार जितनी सहायता दी जा सकती है दी जा रही है ।

श्री तुलसीदास जाधव : जिन लोगों ने बाहर से मैशीनरी मंगवाने के लिये परवानगी मांगी है उनको परवानगी न देने के कारण मिल में काम बन्द पड़ा है, क्या यह सरकार को मालूम है ?

श्री मनुभाई शाह : हां, हमें मालूम है, लेकिन आज जिस तरह की स्थिति है उसके अनुसार हम जितनी सहायता दे सकते हैं देते हैं ।

नालीदार चादरें

†*५०६. **श्री बड़े :** क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नालीदार चादरों की कम उपलब्धि और अधिक मांग को दृष्टि में रखते हुए सरकार ने उनकी मांग को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या सरकार ने महाराष्ट्र सरकार और अन्य राज्यों को 'फेब्रिकेशन' विधि द्वारा काली साधारण चादरों को नालीदार बनाने की अनुमति दे दी है ?

†इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी): (क) जुलाई, १९६२ से जस्ता चढ़ी हुई नालीदार चादरों के सम्भरण का मासिक कार्यक्रम बना लिया गया है जिससे सभी राज्यों को उत्पादकों के बकाया आर्डरों के अनुपात में जस्ता चढ़ी हुई नालीदार चादरों का बराबर आवंटन हो सके। परन्तु चालन प्रतिरक्षा मांगों के कारण राज्यों को भेजने के इस कार्यक्रम को अस्थाई रूप में निलम्बित कर दिया गया है। आशा है कि जस्ता चढ़ी हुई नालीदार चादरों को पुनः अप्रैल-मई, १९६३ तक राज्यों को भेजा जाने लगेगा।

(ख) जी, नहीं।

श्री बड़े : मेरा कहना है कि स्टेटों में जो प्लेन ब्लैक शीट्स पड़ी हैं उनका कारुगेशन करने की इजाजत नहीं दी जाती है।

†इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्) : काली चादरें भी कम मिल रही हैं इसलिए ऐसा नहीं किया जा सकता।

श्री बड़े : क्या महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने यह प्रार्थना की है कि जो प्लेन ब्लैक शीट स पड़ी हैं उनको कारुगेट करते की परवानगी दी जाय क्योंकि उनके पास काफी स्टाक पड़ा हुआ है ?

†श्री चि० सुब्रह्मण्यम्: कुछ कार्यों के लिए काली चादरों की भी जरूरत होती हैं तथा यदि उन चादरों को नालीदार बना दिया जाये तो जो उद्योग इन चादरों का उपयोग करते हैं उनपर इसका प्रभाव पड़ेगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

पटसन की वस्तुओं के लिए समिति

†*४९५. श्री रामेश्वर टांटिया: क्या वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री ८ नवम्बर, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या १४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटसन की वस्तुओं के लिए सब विदेशी विक्रय सौदों की जांच और पंजीयन के लिए एक समिति स्थापित करने के मामले में सरकार ने कोई निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो समिति के कार्यक्षेत्र और गठन का क्या ब्यौरा है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) और (ख) जी हां। समिति बना दी गई है। सरकारी संकल्प की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाती है। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०—७७१/६३]

कपड़ा मिलें

†*४९६. श्री ह० चं० सैय: क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश की सूती कपड़ा मिलों में किस सीमा तक प्रतिरक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उत्पादन आरम्भ हो गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: लगभग ऊनी उद्योग की समस्त क्षमता का प्रतिरक्षा आवश्यकताओं की व्यवस्था के लिए उपयोग किया जा रहा है। उद्योग के लिए कच्चा माल उपलब्ध करने के लिए उपयुक्त प्रबन्ध किये गये हैं।

देश का सूती कपड़ा उद्योग भी प्रतिरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये थोड़ी मात्रा में सूती कपड़े का संभरण कर रहा है।

प्रतिरक्षा उत्पादन के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र को तैयार करना

†*५०७. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर:**
श्री ईश्वर रेड्डी:
श्री हरि विष्णु कामत :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रतिरक्षा उत्पादन के लिये गैर-सरकारी क्षेत्र को किस प्रकार तथा किस सीमा तक तैयार किया गया है तथा वास्तविक उत्पादन आरम्भ किया गया है ;

(ख) क्या यह वर्तमान औद्योगिक नीति के अनुरूप है ; और

(ग) इस प्रकार की योजना में यदि छोटे पैमाने के उद्योग का कोई स्थान है तो क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)**: (क) से (ग) गैर-सरकारी क्षेत्र के साधनों का प्रतिरक्षा उत्पादन के लिये यथासंभव पूरी तरह से उपयोग किया जा रहा है। निर्माताओं से, गैरसरकारी क्षेत्र में प्रतिरक्षा आवश्यकताओं का उत्पादन करने की संभावनाओं को जानने के लिये बातचीत की गई है। संभरण तथा निबटान महानिदेशक ने कुछ वस्तुओं का कुल उत्पादन रोक लिया है तथा अन्य मामलों में उद्योग से कहा है कि अपने उत्पादन का अधिकांश भाग प्रतिरक्षा सेवाओं तथा अन्य असैनिक मांगने वालों के लिये आवंटित करें। आवश्यक अन्तर्गामी तथा अतिरिक्त उत्पादन के लिए सहायक आवश्यकताओं का निर्धारण करने के ब्योरेवार अध्ययन का आयोजन कर दिया गया है।

(ख) प्रतिरक्षा आवश्यकताओं के लिए गैरसरकारी क्षेत्र के साधनों के उपयोग करने से सरकारी औद्योगिक नीति में कोई अन्तर नहीं पड़ता है।

(ग) प्रतिरक्षा आवश्यकताओं के लिए आर्डर देने में संभरण निबटान महानिदेशक सर्वदा सरकारी घोषित नीति का अनुसरण करती है तथा छोटे पैमाने के उद्योग को बढ़ावा देती है जिस से निर्धारित समय में अपेक्षित किस्म की वस्तुओं का उत्पादन किया जा सके। जिन वस्तुओं के संबंध में छोटे पैमाने के उद्योग बड़े पैमाने के उद्योगों से प्रतिद्वन्दिता नहीं कर सकते हैं उन वस्तुओं के लिए छोटे पैमाने के उद्योग को १५ प्रतिशत का मूल संधारण दिया जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

चैकोस्लोवाकिया द्वारा एक इस्पात संयंत्र की स्थापना

†*५०८. **श्री वी० चं० शर्मा:** क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चैकोस्लोवाकिया ने भारत में एक इस्पात संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव किया है ;

(ख) क्या उसके प्रस्ताव पर विचार कर लिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या निर्णय किये गये हैं ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्):** (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता ।

भारी मशीनी औजार कारखाना, रांची

†*५०९ { **श्री ब० कु० दास:**
श्री सुबोध हंसदा:
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रांची के भारी मशीनी औजार कारखाने में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या परियोजना को मितव्ययी होने में तथा 'स्टैंडर्ड' किस्म के भारी मशीनी औजार बनाने में बहुत समय लगेगा ; और

(ग) यदि हां, तो क्या निर्माण कार्यक्रम में कोई परिवर्तन करने का विचार है जिससे परियोजना विकास क्षम तथा मितव्ययी हो सके ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्):** (क) से (ग). मैसर्स टैक्नो एक्सपोर्ट, प्रेग से परियोजना प्रतिवेदन मिल गया है । उस पर विचार किया जा रहा है तथा प्रतिवेदन को क्रियान्वित करने के लिये शीघ्र स्वीकार करने का, विचार है । कारखाना और मशीन के संभरण के ठेकों, परामर्श सेवाओं, निर्माण, अधीक्षण, तथा डिज़ाइन बनाने आदि को भी आगामी तीन अथवा चार सप्ताहों में मैसर्स टैक्नो एक्सपोर्ट, प्रेग से मूल्यों पर बातचीत करने के बाद अन्तिम रूप दे देने का है ।

कारखाने के स्थान को इकसार करने का काम अभी आरम्भ किया गया है ।

(ख) और (ग). परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार कारखाने में १९६५ में प्रयोग के लिए उत्पादन करने का क्रम है । इस कारखाने में २२ प्रकार के भारी मशीनी औजार निर्माण करने का विचार है । इस प्रकार के भारी इंजीनियरिंग उद्योग में हानि काफी समय तक होती है । इस परियोजना में विनियोजन से वसूली केवल लाभ के आधार पर निर्धारित नहीं होती है अपितु आयात रोक कर आगामी विदेशी मुद्रा बचाने, इस परियोजना के उत्पादों से आत्मनिर्भरता लाने तथा आवश्यकता ऊंचे किस्म की इंजीनियरिंग प्रवीणता लाने पर भी विचार किया जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

आरम्भिक अवस्था में निर्माण कार्यक्रम में रूपभेद करने के लिए इस समय कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। परन्तु इस समय कारखाने में बहुत अच्छी मशीनें लगाई जा रही हैं तथा उन में आवश्यक रूपभेद कर दिया गया है।

मध्य प्रदेश में उर्वरक संयंत्र

†*५१०. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के सरकारी क्षेत्र में एक उर्वरक कारखाना स्थापित करने के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का स्वरूप तथा ब्योरा क्या है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)**: (क) जी, हां।

(ख) कारखाना भारत उर्वरक निगम लिमिटेड द्वारा सरकारी क्षेत्र में स्थापित होगा। यह कटनी में स्थापित होगा तथा उसका इस प्रकार का डिज़ाइन बनाया गया है कि कोयले के छोटे टुकड़ों से गैस बना कर प्रतिवर्ष यूरिया के रूप में १००,००० टन नाइट्रोजन का उत्पादन वहां हो सके।

नरियामंगलम में उद्भिद्-रसायन संयंत्र[१]

†*५११. **श्री राममेश्वर टांटिया:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के नरियामंगलम में उद्भिद् रसायन संयंत्र में नवीन प्रौद्योगिकीय प्रक्रिया अपनाने के सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री कानूनगो)**: (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

भैषजिक उद्योग द्वारा काम में लाई जाने वाली कच्ची सामग्री

†*५१२. { **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री प० कुन्हन :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भैषजिक उद्योग द्वारा काम में लायी जाने वाली आवश्यक कच्ची सामग्री जैसे विटामिन और फौलिक एसिड के मूल्य हाल के महीनों में असाधारण रूप में बढ़ गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) मूल्यों को सामान्य स्तर पर लाने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[१]Phyto-chemicals Plant.

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो :** (क) से (ग). सरकार को कुछ समाचार मिले हैं कि कुछ पुराने आयातकर्त्ता कच्ची सामग्री तथा विपुल भेषज जैसे औषधियां बनाने के काम में आने वाले विटामिन आदि के लिये अधिक मूल्य ले रहे हैं। ऐसा स्पष्टतः इस कारण से हो रहा है कि सरकार ने विदेशी मुद्रा बचाने के लिए पुराने आयातकर्त्ताओं के कोटे कम कर दिए हैं तथा वास्तविक उपभोक्ता को प्रत्यक्षतः और उचित मूल्य पर अपनी आवश्यकतानुसार दवाइयां मिल रही हैं। इस समय कच्चे माल का आयात स्वयं उद्योग करता है तथा पुराने आयातकर्त्ताओं से कुल आयात का बहुत थोड़ा प्रतिशत लिया जाता है। परिणामस्वरूप निर्माता उपभोक्ता मूल्यों को उचित स्तर पर रख पाये हैं। इसलिए इस समय यह आवश्यक नहीं समझा गया कि पुराने आयातकर्त्ताओं से निर्माताओं को कच्चे माल के संभरण का विनियमन किया जाये।

उद्योगों पर उप-कर लगाना

†*५१३. **श्री प्र० चं० बरुआ:**
श्री जं० ब० सिं० विष्ट :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन उद्योगों पर उप-कर लगाने का विचार है जो अपने उत्पादन के कुछ अंश का निर्यात नहीं कर पाते ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या निर्णय है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह):** (क) से (ख). प्रस्ताव विचाराधीन है।

निर्यात में कमी

†*५१४. **श्री दी० चं० शर्मा:**
श्री ईश्वर रेड्डी:
श्री बेरवा कोटा:

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अप्रैल–सितम्बर, १९६२ की अवधि में निर्यात में लगभग ३३ लाख रुपये की कमी आ गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) निर्यात बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(घ) आयात कम करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) और (ख). जी नहीं। अप्रैल–सितम्बर, १९६२ के पहले छः महीनों में लगभग ४ करोड़ रुपये तथा इसको बढ़ा दिया गया है क्या गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में अप्रैल-दिसम्बर, १९६२ के पहले नौ महीनों में लगभग १५ करोड़ रुपये तक इसको बढ़ा दिया गया है।

(ग) और (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

[**पुस्तकालय में रखा गया। (देखिये संख्या एल० टी० ७७२/६३**)]

---

†मूल अंग्रेजी में

नारियल जटा की वस्तुओं का निर्यात

†१०८७. **श्री इम्बीलिबाबा :** क्या वाणिज्य तथाउद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल के वर्षों में विदेशों को नारियल जटा की वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ;

(ख) १९६०–६१ तथा १९६२ में कितनी वस्तुओं का निर्यात किया गया ; और

(ग) उससे कितनी विदेशी मुद्रा मिली ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह):** (क) नारियल जटा तथा नारियल जटा वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने के लिए यह क़दम उठाये गये हैं । विदेशों में प्रदर्शनियों में भाग लेना, विदेशों में भारतीय दूतावासों तथा वाणिज्यिक दूतावासों से सम्बद्ध प्रदर्शन कक्षों में नारियल जटा की वस्तुओं का प्रदर्शन, प्रचार साहित्य तथा वितरण, बाजारों का पता लगाने के लिए शिष्टमंडलों का भेजा जाना, विदेशों में बाजार सर्वेक्षण कराना, तथा कच्ची सामग्री जैसे नारियल जटा का धागा, रंग, रसायन तथा अत्यावश्यक मशीनों को नारियल जटा की वस्तुओं के निर्यात के विरुद्ध को उपलब्ध कराके निर्यात को प्रोत्साहित करना ।

(क) और (ग). एक विवरण संबंद्ध है ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० ७७३/६३]

काली मिर्च का निर्यात

†१०८८. **श्री इम्बीचिबाबा :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजनावधि में कितनी मात्रा तथा कितने मूल्य की काली मिर्च का निर्यात किया गया था ;

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना में काली मिर्च के निर्यात के लिए क्या लक्ष्य निश्चित किए गए हैं ;

(ग) इस समय औसतन वार्षिक निर्यात क्या है ; और

(ख) काली मिर्च का निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या क़दम उठाने का विचार है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह):**

(क) द्वितीय योजनावधि

	मात्रा (टनों)	मूल्य (लाखों)
१९५६–५७	१५,०७७	३३९
१९५७–५८	१३,७९२	२८४
१९५८–५९	११,६५५	२४६
१९५९–६०	२०,६२५	८२०
१९६०–६१	१७,२०२	८५१

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) तीसरी योजनावधि के पहले दो वर्षों (१९६१ तथा १९६२) में प्रत्येक के लिए ८ करोड़ रुपये के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। शेष अवधि अर्थात् १९६३ से १९६६ के लिए लक्ष्य निर्धारण करने पर विचार किया जा रहा है।

(ग) गत तीन वर्षों, १९५९–६० से १९६१–६२ में औसत वार्षिक निर्यात ८.२६ करोड़ रुपये का ५३,१९० किलोग्राम था।

(घ) अनिवार्य जहाज में पूर्व लदान तथा "एगमार्क" के अधीन किस्म नियंत्रण योजना लागू करना, विदेशों में विपणन सर्वेक्षण करना, काली मिर्च के प्रयोग को बढ़ाने के लिए अमरीका में प्रचार, विदेशों में प्रचार के लिए काली मिर्च के संबंध में फिल्म बनाना, उपभोक्ता पैकिंग में काली मिर्च के निर्यात को बढ़ाना तथा मसाला निर्यातकर्त्ता शिष्टमंडल को बाजार स्थिर करने के लिए योजना तथा काली मिर्च का निर्यात बढ़ाना काम किए गए हैं।

काजू के छिलके का तेल

†१०८९. **श्री इम्बीचिबावा :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में काजू के छिलके के तेल का कितना तथा कितने मूल्य का उत्पादन होता है ; और

(ख) काजू के छिलके के तेल का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो):** (क) इस समय काजू के तेल का उत्पादन ६००० टन वार्षिक है जो लगभग ६० लाख रुपये के मूल्य का होगा।

(ख) हाल में ही उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९६१ के अधीन मिश्रण निष्कासन प्रक्रिया के द्वारा ३००० टन वार्षिक काजू का तेल निकालने के लिए क्विलोन, केरल में एक नया कारखाना स्थापित करने की योजना को लाइसेंस दिया गया है।

नारियल जटा उद्योग का यंत्रीकरण

†१०९०. **श्री इम्बीचिबावा :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नारियल जटा उद्योग के यंत्रीकरण की सरकार की कोई योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह):** (क) जी हां।

(ख) क्रमवार नारियल जटा की चटाई बनाने वाली शाखा का एक विदाई उत्पादन मंत्री यंत्रीकृत किया जायेगा। जिससे श्रमिकों को कम से कम हटाया जा सके।

---

†मूल अंग्रेजी में

इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्यात

†१०९१. **श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) १९६२ के लिए इंजीनियरिंग वस्तुओं के निर्यात के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ;

(ख) कितनी वस्तुओं का वास्तविक निर्यात किया गया है ; और

(ग) उसका मूल्य क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह):** (क) से (ग) १९६२–६३ के लिए १५·७५ करोड़ रुपये की इंजीनियरिंग वस्तुओं का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उसमें से अप्रैल––नवम्बर १९६२ में ६·५६ करोड़ रुपये की वस्तुओं का निर्यात किया गया है ।

आंध्र प्रदेश में जूट के मूल्य

†१०९२. **श्री द० ब० राजू :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम द्वारा आरंभ की गई कच्चा जूट बफर स्टाक योजना में आन्ध्र प्रदेश में उत्पादित कच्चा जूट शामिल कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रतिमन न्यूनतम चालन मूल्य क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह):** (क) जी हां ।

(ख) कलकत्ता में राज्य व्यापार निगम के गोदामों को २६ रुपये प्रतिमन दर जूट दिया गया । यह मूल्य कच्चे जूट की आसाम बाटम किस्म के लिए प्रतिमन ३० रुपये के चालन मूल्य के आधार पर निकाला गया था ।

प्रशुल्क के मामले में अधिमानात्मक व्यवहार

†१०९३. **श्री महेश्वर नायक :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने ब्रिटेन तथा योरोपीय साझा बाजार देशों से कहा है कि विकासवान देशों के लिए प्रशुल्क के मामले में अधिमानात्मक व्यवहार का नया रूप रखने के प्रस्ताव पर विचार करे ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह):** (क) और (ख) ब्रिटेन के योरोपीय आर्थिक समुदाय की सदस्यता के लिए आवेदन पत्र पर ब्रिटेन तथा योरोपीय साझा बाजार के देशों में हुई बातचीत के संबंध में भारत सरकार ने कहा है कि ब्रिटिश बाजार में भारत की चीज़ों के निशुल्क प्रवेश की अनुमति रहे क्योंकि इससे विकासवान देश तथा विकसति देश में व्यापार संबंध बना रहेनें में लाभदायक रहेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारत, अन्य कम विकसित देशों के साथ मिलकर जी०ए०टी०टी०, आर्थिक विकास की समस्याओं संबंधी काहिरा सम्मेलन तथा संयुक्त राष्ट्र संघ में कहता रहा है कि उनके उत्पादों के लिए औद्योगिक बाजार बना रहे तथा विकसित देशों से उसने कहा है कि (क) प्रशुल्क तथा अप्रशुल्क बाधाओं को व्यापार में न आने दे तथा (ख) नई बाधायें न खड़ी करें।

नाइट्रोलाइम उर्वरक

†१०९४. **श्री दी० चं० शर्मा:** क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूरकेला नाइट्रोलाइम उर्वरक कारखाने में नाइट्रोलाइम उर्वरक का उत्पादन परीक्षण के आधार पर आरम्भ कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या परीक्षण में सफलता मिली है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

प्रतिरक्षा प्रयत्नों में सहायता देने वाले उद्योग

†१०९५. **श्री दी० चं० शर्मा : क्या वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिरक्षा प्रयत्नों में प्रत्यक्षत: सहायता देने वाले उद्योगों को प्रोत्साहन देने की व्यवस्था करने का सरकार का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)**: (क) और (ख) प्रतिरक्षा उत्पादन में प्रत्यक्षत: सहायता देने वाले उद्योगों को कच्चा माल—देशी अथवा आयात किया गया—का आवंटन सहायता के रूप में किया जायेगा तथा प्रतिरक्षा आवश्यकताओं के निर्माण के लिए संतुलन स्थापना की सुविधा दी जायेगी। इस सम्बन्ध में सूचना तथा सहायता प्रतिरक्षा उत्पादन विभाग यथा संभव देगा।

उद्योगों के कार्यवहन के अध्ययन के लिए शिष्टमंडल

†१०९६. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री बालगोविन्द्र वर्मा:

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०–६१ तथा १९६१–६२ में भारी तथा छोटे पैमाने के उद्योगों को कार्यवहन का अध्ययन करने के लिए विदेशों को कितने शिष्टमंडल भेजे गये थे ;

(ख) ऐसे शिष्टमंडलों पर कितना धन व्यय किया गया था ; और

(ग) क्या इन शिष्टमंडलों ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) (एक) ११ शिष्टमंडल; और (दो) विदेश सहायता कार्यक्रम के अधीन राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद द्वारा भेजे गये २८ उत्पादकता दल ।

(ख) ११ शिष्टमंडलों पर १,९८,३३६ रुपये ३३ नये पैसे खर्च किये गये थे ।

उत्पादकता दलों के दौरों पर भारत सरकार ने कोई धन व्यय नहीं किया था ।

(ग) (एक) ११ शिष्टमंडलों में से ११ ने अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है । २ शिष्ट-मंडलों के प्रतिवेदनों की प्रतीक्षा की जा रही है ।

(दो) २३ उत्पादकता दलों ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है । शेष ५ के प्रतिवेदन तैयार किए जा रहे हैं ।

मछली पकड़ने के जाल बनाना

†१०९७. **श्री कोया** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की परियोजनायों में मछली पकड़ने का जाल बनाने के बारे में कोई अभ्यावेदन मिला है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कोयला धोने के कारखाने के उपकरणों का निर्माण

†१०९८. **डा० पू० ना० खां :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारी इंजीनियरिंग निगम द्वारा कोयला धोने के कारखानों के उपकरणों का निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जाने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड उन चीजों के निर्माण को प्राथमिकता देगा जिनका विचार उसने मूलतः किया था ; और

(ग) रांची में कोयला धोने के कारखाने के उपकरणों का निर्माण करने में क्या लाभ है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)**: (क) से (ग) गैर सरकारी क्षेत्र में कोयला धोने के कारखाने के उपकरणों के निर्माण की वर्तमान लाइसेंस प्राप्त क्षमता देश की आवश्यकता पूरी करने के लिये पर्याप्त नहीं है । इसके अतिरिक्त इन एककों की प्रगति भी ठीक नहीं है । अतः भारी इंजीनियरिंग निगम, जो सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है, को इसके निर्माण का कार्य सौंपा गया है ताकि कोयला उत्पादन के बढ़े हुए लक्ष्य को पूरा किया जा सके जो कि चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि के लिये निर्धारित किया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कोयला धोने के कारखाने के उपकरणों के निर्माण में कुछ चीजें प्रायः उसी प्रकार की होंगी जैसी कि दुर्गापुर के कोयला खनन मशीन संयंत्र और रांची के भारी मशीन निर्माण संयंत्र में निर्मित की जायेंगी। भारी इंजीनियरिंग निगम को केवल कुछ विशेष प्रकार की चीजों के सम्बन्ध में कुछ संतुलन उपकरण प्राप्त करके अपनी क्षमता बढ़ानी है। निगम का एक हल्की/मध्यम आकार की कर्मशाला भी स्थापित करने का विचार है जो कोयला धोने के कारखाने के उपकरणों के लिये आवश्यक कुछ चीजों के निर्माण में सहायक होगी।

निगम ने उपरोक्त स्थिति में रांची और दुर्गापुर में निर्मित की जाते वाली चीजों में कोयला धोने के कारखाने के उपकरण और बढ़ा देने का निर्णय किया है।

कोयला खनन मशीन संयंत्र

†१०९९. **डा० पू० ना० खां :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कारण है कि दुर्गापुर के कोयला खनन मशीन संयंत्र में केवल ४ चीजों का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा जब कि मूलतः ३८ चीजें बनाने का कार्यक्रम था ;

(ख) कौन सी चीजों का निर्माण कार्य प्रारम्भ हो चुका है ; और

(ग) अन्य चीजों का निर्माण कार्य कब प्रारम्भ किया जायेगा ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : (क) से (ग). संयंत्र में क्रमबद्ध उत्पादन होगा। प्रारम्भ में साधारण चीजें बनाई जायेंगी और धीरे धीरे अनुभव हो जाने पर अधिक जटिल चीजों का निर्माण प्रारंभ किया जायेगा। तदनुसार पहले निम्नलिखित चार चीजों का निर्माण प्रारम्भ करने का निर्णय किया गया है : 'कोल कटर', 'हॉइस्टिंग प्लांट', स्क्रेपर कन्वेयर' और 'कोल लोडर'। उत्पादन के प्रथम तीन वर्षों में चार और चीजें जोड़ दी जायेंगी और शेष बाद में धीरे धीरे जोड़ी जायेंगी।

फाउण्ड्री फोर्ज परियोजना

†११००. **डा० पू० ना० खां :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फाउण्ड्री फोर्ज परियोजना के तीसरे प्रक्रम पर हस्ताक्षर हो चुके हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस महत्वपूर्ण परियोजना में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : (क) जी, नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) जब मेसर्स टेक्नोएक्सपोर्ट, प्रेग द्वारा पेश किये गये फोर्ड फाउण्ड्री परियोजना के तीसरे प्रक्रम के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन की जांच की गई तो पता चला कि पूंजी लागत का अनुमान प्रारम्भिक परियोजना प्रतिवेदन के अनुमान से बहुत बढ़ गया है । उसमें यह भी बताया गया था कि चेकोस्लावाकिया से संयंत्र और उपकरणों के आयात के लिये उपलब्ध चेक ऋण के अतिरिक्त उपकरणों के आयात के लिये निशुल्क विदेशी मुद्रा की भी जरूरत पड़ेगी जिसको पूरा करना सरकार को कठिन मालूम हो रहा है । तीसरे प्रक्रम के कार्यक्रम के ठेके पर हस्ताक्षर करने से पूर्व जनवरी, १९६३ के अन्त में एक शिष्टमंडल प्रेग जायेगा जो बातचीत करके मूल्यों आदि को कम करायेगा ।

इस्पात का उत्पादन

†११०१. **श्री शिवमूर्ति स्वामी :** क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में १९६०, १९६१ और १९६२ में इस्पात का कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) क्या हमारे कारखानों के लिये आवश्यक पुर्जे यहीं बनाये जा रहे हैं अथवा विदेशों से आयात किये जा रहे हैं ;

(ग) यदि हां, तो उपरोक्त वर्षों में से प्रत्येक में कितना आयात किया गया ;

(घ) क्या आपति की स्थिति में अपनी प्रतिरक्षा शक्ति बढ़ाने के लिये कार्य का लक्ष्य बढ़ाया गया है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्) :** (क) १९६०—६२ में तैयार इस्पात का उत्पादन निम्न प्रकार था :

१९६० . .	२२ लाख मीट्रिक टन
१९६१ . . .	२९ लाख मीट्रिक टन
१९६२ . . . . . (नवम्बर, १९६२ तक)	३४ लाख मीट्रिक टन

(ख) और (ग) देश की इस्पात की आवश्यकता के केवल कुछ भाग को आयात द्वारा पूरा किया जाता है और शेष को आन्तरिक उत्पादन द्वारा । आयात धातु मिश्रित तथा विशेष इस्पात का किया जाता है जिसका पूर्ण उत्पादन अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है । इसके अतिरिक्त टिन प्लेटों, चादरों और तार जैसी चीजों के उत्पादन की कमी को पूरा करने के लिये भी आयात की व्यवस्था की जाती है । गत तीन वर्षों में किया गया आयात निम्न प्रकार है :

वर्ष	मात्रा (टनों में)	मूल्य (करोड़ रुपयों में)
१९६० . .	११·४ लाख टन	९६·०५
१९६१ . .	१०·९ ,, ,,	९९·५९
१९६२ (अक्टूबर तक)	६·६ ,, ,,	६०·९३

(घ) और (ङ) आपाति की आवश्यकता को पूरा करने के लिये समस्त इस्पात कारखानों को कम से कम समय में अपनी निर्धारित क्षमता प्राप्त करने की हिदायत की गई है । सरकारी

---

†मूल अंग्रेजी में

क्षेत्र की परियोजनाओं के मामले में, भिलाई में, जो निर्धारित क्षमता प्राप्त कर चुका है, १९६३–६४ में १·२ लाख टन की प्राप्ति का लक्ष्य निश्चित किया गया है। दुर्गापुर और रूरकेला के मामले में चूंकि उन संयंत्रों ने निर्धारित क्षमता नहीं प्राप्त की है, १९६३–६४ में प्राप्ति के लिये निर्धारित क्षमता चे १०० प्रतिशत का लक्ष्य निश्चित किया गया है।

जहां तक धातु मिश्रित एवं विशेष इस्पातों का सम्बन्ध है, जिनकी मांग इस समय अधिकांश में आयात द्वारा पूरी की जा रही है, एक समिति नियुक्त की गई है जो यह जांच करेगी कि वर्तमान सुविधाओं को किस प्रकार सर्वोत्तम ढंग से काम में लाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इस प्रकार के इस्पात का यथासंभव कम समय में पर्याप्त मात्रा में उत्पादन सुनिश्चित करने के लिये जोरदार कदम उठाये जा रहे हैं।

ट्रकों की आवश्यकता

†११०२. **श्री महेश्वर नायक :** क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आपाति के कारण उत्पन्न ट्रकों की अतिरिक्त आवश्यकता का निर्धारण कर लिया है ;

(ख) इस प्रयोजन के लिये योजना उपबन्ध क्या है ;

(ग) क्या इस कारण सरकारी एवं गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों के लिये कोई अतिरिक्त विदेशी सहायता प्राप्त की गई है ; और

(घ) अतिरिक्त उत्पादन के कब तक वास्तविक उपयोग में लाये जाने की आशा है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्) :** (क) से (घ) वाणिज्यिक मोटरगाड़ियों, ट्रकों और बसों का तीसरी योजना का लक्ष्य ६०,००० है। वर्तमान आपाति के प्रसंग में ट्रकों की आवश्यकताओं का निरन्तर पुनर्विलोकन किया जाता रहता है और इन आवश्यकताओं के पूरा करने के लिये आवश्यक कदम उठाये गये हैं और उठाये जा रहे हैं।

मशीनों और संयंत्रों का आयात

†११०३. **श्री गो० महन्ती :** क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में ८ करोड़ रुपये के मूल्य की मशीनें और संयंत्र विदेशों से खरीदे गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इन मशीनों को किस प्रयोजन के काम में लाया जायेगा और किन राज्यों में ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्) :** (क) और (ख). जी, हां। भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड ने ८·३८ करोड़ रुपये के मूल्य के संयंत्र एवं मशीनें आयात की हैं जिनमें से ४·९५ करोड़ रुपये की मशीनें रूस से रांची की भारी मशीन निर्माण परियोजना के लिये आई हैं और ३·४३ करोड़ रुपये की मशीनें चेकोस्लोवाकिया से रांची की फाउन्ड्री फोर्ज परियोजना के लिये आई हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

उड़ीसा में नारियल जटा उद्योग

†११०४. श्री गो० महन्ती : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नारियल जटा बोर्ड ने उड़ीसा में नारियल जटा उद्योग की स्थापना के लिये कितनी राशि विनियोजित की है;

(ख) ड़ीसा में उंन के कार्य के मुख्य केन्द्र कौन से हैं; और

(ग) तीसरी योजना अवधि के लिए उपबन्धित ३·२ करोड़ रुपये की राशि में से उड़ीसा में क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं के लिये कितनी राशि दिये जाने का विचार किया जा रहा है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) नारियल जटा बोर्ड ने उड़ीसा में कुछ भी विनियोजन नहीं किया है क्योंकि उद्योगों का विकास राज्य सरकार की जिम्मेदा ी है ।

(ख) संजंम, पुरी और कटक जिलों में छै सहकारी समितियां चल रही हैं ।

(ग) तीसरी योजना के आवंटन में से उड़ीसा में उद्योगों के विकास के लिये ३ लाख रुपये आवण्टित किये गये हैं ।

हिन्दुस्तान डिजाइन संगठन का बजट

†११०५. श्री कृ० ल० मोरे :
श्री सुबोध हंसदा:
श्री स० चं० सामन्त :

क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान डिजाइन संगठन के वार्षिक बजट का ब्यौरा क्या है; और

(ख) संगठन के कर्मचारियों का वेतन किसी पृथक मद में से दिया जाता है अथवा राजस्व व्यय में से ?

†इस्पप्त और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्): (क) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का केन्द्रीय डिजाइन ब्यूरो सलाहकार इंजीनियर का काम करता है जिसमें परियोजना प्रतिवेदन तैयार करना, विस्तार के लिये टेंडर आमंत्रित करने के लिये टेंडर पत्र तैयार करना, आर्डर देने के लिये टेंडरों और सिफारिशों की छानबीन, संयंत्रों के निर्माण के पूर्व अन्तिम नक्शों और ड्राइंगों का अनुमोदन, असैनिक इंजीनियरिंग निर्माण कार्यों आदि की ड्राइंगों का अनुमोदन और संभरणकर्ताओं तथा विभिन्न अभिकरणों के कार्य का आयोजन एवं समन्वय प्रमुख है ।

संगठन का वर्ष १९६२–६३ का संशोधित बजट अनुमान १७·८६ लाख रुपये है ।

(ख) कर्मचारियों के वेतन एक पृथक मद में डाले जाते हैं परन्तु वह मद हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के व्यय के अन्तर्गत ही हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

केरल में मशीनी औजार संयंत्र

†११०६. श्री अ० क० गोपालन :
श्री प० कुन्हन :

क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के समक्ष केरल में एक मशीनी औजार संयंत्र की स्थापना का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ;

(ग) उस की अनुमानित लागत कितनी है; और

(घ) क्या प्रस्तावित संयंत्र की स्थापना के लिये कोई स्थान चुन लिया गया है ?

†इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्) : (क) से (घ) सरकार सरकारी क्षेत्र में एक और मशीनी औजार कारखाना स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। उस कारखाने को केरल में स्थापित करने की संभावना की जांच की जा रही है। कारखाने की क्षमता १००० प्रतिमान मध्यम/भारी मशीनी औजार प्रति माह होगी। उस में हारिजेन्टल बोरिंग मशीन, रेडियल ड्रिल प्रोडक्शन जिग बोरर, जिग बोरिंग मशीन और विशेष प्रयोजन की मशीनें बनाने का विचार है। परियोजना की अनुमानित लागत ७.५० करोड़ रुपये है। जिस में १.७५ करोड़ रुपये विदेशी मुद्रा के रूप में होंगे। प्रस्तावित कारखाने के लिये अभी तक स्थान का चुनाव नहीं किया गया है।

मसालों का निर्यात

†११०७. श्री अ० क० गोपालन :
श्री प० कुन्हन :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंजवर्षीय योजना में मसालों का निर्यात बढ़ाने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

(ख) क्या इन कदमों के परिणामस्वरूप मसालों के निर्यात में कोई वृद्धि हुई है; और

(ग) यदि हां, तो कितनी ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) भारत सरकार ने मसालों का निर्यात बढ़ाने के लिये मसाला निर्यात संवर्धन परिषद् निर्मित की है। मसालों के निर्यात के लिये अनिवार्य किस्म नियंत्रण एवं जहाज पर लदान किय जाने से पूर्व निरीक्षण की योजना चालू की गई है। परिषद ने संयुक्त राज्य अमरीका में मसालों के अधिक प्रयोग को लोकप्रिय बनाने के लिये प्रचार कार्यक्रम प्रारम्भ किया है। इस के अतिरिक्त परिषद् ने विशेष फोल्डर निकालने, बाजार सर्वेक्षण करने, मसाला बुलेटिन निकालने तथा अन्य कार्य भी प्रारम्भ किये हैं। सात सदस्यों का एक मसाला व्यापार प्रतिनिधिमंडल मध्य पूर्व, योरोपीय देशों और ब्रिटेन में नये बजार ढूंढ़ने तथा वर्तमान बाजारों को स्थिर करने के लिये वहां गया था।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) और (ग) जी, हां। मसालों का निर्यात, जो १९६०–६१ में १६.६ करोड़ रुपये का था, १९६१-६२ में बढ़कर १७.६ करोड़ रुपये का हो गया है अर्थात् उस में १ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है।

अनकामली में विद्युत् ट्रान्सफार्मर कारखाना

†११०८. श्री प० कुन्हन :
श्री अ० क० गोपालन :

क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में अनकामली में विद्युत् ट्रान्सफार्मर कारखाना स्थापित करने के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) उस कारखाने में कब उत्पादन प्रारम्भ होने की आशा है ?

†इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्) : (क) श्री एन० जे० नायर को उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत भारी ट्रान्सफोर्मर बनाने का लाईसेन्स दिया गया है। प्रथम दो वर्षों में ये ट्रान्सफार्मर १५,००० के० वी० ए० रेंज के होंगे तथा ३$^{1}/_{2}$ वर्षों में ५०,००० के०वी०ए० रेंज के ट्रान्सफार्मर बनने लगेंगे। केरल सरकार का भी इस उद्यम में भाग होगा। जापान के मेसर्स हिटाची लिमिटेड के साथ सहयोग की शर्तों का भारत सरकार द्वारा अनुमोदन किया जा चुका है। तीनों पक्षों के बीच हुए करार की जांच की जा रही है। कम्पनी को रजिस्टर करने और पूंजी दिलाने की कार्यवाही चल रही है।

(ख) कारखाने में १९६५ में उत्पादन प्रारम्भ हो जाने की आशा है।

बढ़िया किस्म के कोयले का आयात

†११०९. श्री महेश्वर नायक : क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार विदेशी विशेषज्ञ दल की बढ़िया किस्म के कोयले का आयात करके उसे देशी किस्मों के साथ मिलाकर देश के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में काम में लाने की सिफारिश पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है; और

(ग) इस प्रयोजन के लिये कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी ?

†इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्) : (क) जी, नहीं; किसी भी विदेशी विशेषज्ञ दल ने ऐसी कोई सिफारिश नहीं की है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

---

†मूल अंग्रेजी में

समुद्री डीजल इंजन

†१११०. **श्री महेश्वर नायक :** क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने मछली पकड़ने के जलयानों का यंत्रीकरण करने के लिये विदेशी[1] सार्थों के सहयोग से समुद्री डीजल इंजनों के निर्माण के लिए अनुज्ञप्तियां प्रदान करने का निश्चय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं; और

(ग) अब तक व्यवस्थित विदेशी सहयोग का क्या रूप है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : (क) से (ग). सरकार ने कुछ समय पूर्व समुद्री डीजल इंजनों के निर्माण के लिये अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया है क्योंकि सार्थ ने कुछ प्रगति नहीं की थी। गैर-सरकारी क्षेत्र में चार ऐसे सार्थ हैं जिन को उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत आंतरिक दहन-इंजनों[2] के निर्माण के लिए अनुज्ञप्तियां दी गई हैं। यह सार्थ इन इंजनों के समुद्र में काम आने वाली उस किस्म को तैयार करने की स्थिति में है जिसे कि मछली पकड़ने के जलयानों में लगाया जा सकता है। यह सार्थ विदेशी सार्थों से स्वामिस्व के आधार पर सहयोग कर रहे हैं। इस समय एक अन्य सार्थ से मैरीन डीजल इंजनों के निर्माण के लिए आया हुआ एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

इस उद्योग के लिए कोई अलग लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

इस्पात कारखाने में उत्पादन

†१११११. **श्री हरिविष्णु कामत :**
श्री राम रतन गुप्त :
श्री मन्त्री :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवम्बर और दिसम्बर, १९६२ के महीनों में भिलाई, रूरकेला और दुर्गापुर के इस्पात के संयंत्रों में हुए उत्पादन के अलग अलग तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं;

(ख) क्या तीनों ही संयंत्रों में उत्पादन बढ़ाने के लिए कदम उठा लिए गए हैं अथवा उठाये जा रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उन के क्या ब्यौरे हैं ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) नवम्बर और दिसम्बर, १९६२ में एच० एस० एल० संयंत्रों में हुए इस्पात की सिलों के उत्पादन के तुलनात्मक आंकड़े निम्नलिखित हैं :—

(मीट्रिक टनों में)

	भिलाई	दुर्गापुर	रूरकेला
नवम्बर, १९६२	९०,३००	६२,०४९	६५,६६०
दिसम्बर, १९६२ . .	९५,६००	७७,२२५	७२,५८६

†मूल अंग्रेजी में

[1] Foreign firms.

[2] Internal combustion engines

(ख) और (ग) एच० एस० एल० संयंत्रों में उत्पादन बढ़ाने के लिये कदम उठा लिये गए हैं। इनमें यह उपाय भी सम्मिलित हैं। उत्पादन की योजना बनाने में अत्याधिक समन्वय तथा समकालीकरण[1] करना, उत्पादन के आंकड़ों पर निरन्तर निगरानी करना, चढ़ाने उतारने के अतिरिक्त साज सामान का संभरण करना और फालतू उपकरणों तथा सामग्री प्राप्त करने में होने वाले विलम्ब को दूर करना। इसके अतिरिक्त, समस्याओं को हल करने और विलम्ब को दूर करने की दृष्टि से तुरन्त निर्णय करने के लिये, विभागों के अध्यक्षों की सामयिक सभायें नियमित रूप से बुलाई जाती हैं।

फरीदाबाद में औद्योगिक गियर निर्माण करने का संयंत्र

†१११२. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औद्योगिक गियर निर्माण करने का एक संयंत्र फ़रीदाबाद में स्थापित किया जाना है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी लागत, विदेशी सहयोग और संयंत्र के उत्पादन प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में पूर्ण विवरण क्या है ; और

(ग) वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति किस प्रकार से की जा रही है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) जी, हां।

(ख) परियोजना का प्रस्तावित विनियोजन २ करोड़ रुपये का बताया जाता है। विदेशी सहयोग की शर्तों की अभी जांच हो रही है। दी गई अनुज्ञप्ति के अनुसार, संयंत्र में जून, १९६३ के अन्त तक उत्पादन प्रारम्भ करना है।

(ग) देश में गियरों की वर्तमान आवश्यकताओं का अनुमान अलग से नहीं लगाया गया है। जहां तक मीटर गाड़ियों के मुख्य निर्माणकर्ताओं का सम्बन्ध है, वे अपनी अपनी आवश्यकताओं के गियरों का निर्माण करने के लिये या तो पहले से ही सज्जित हैं अथवा अपने आप को सज्जित कर रहे हैं। अन्य उद्योगों की गियरों की आवश्यकतायें, जहां तक वह स्वदेश में उपलब्ध नहीं हैं, आयात द्वारा पूरी की जाती हैं।

पाकिस्तान में भारतीय चलचित्रों पर प्रतिबन्ध

†१११३. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ७ सितम्बर, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ८५२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय चलचित्रों पर पाकिस्तान में प्रतिबन्ध के सम्बन्ध में भारतीय उच्च आयुक्त द्वारा भेजे गए स्मरण-पत्र का क्या कोई उत्तर पाकिस्तान सरकार से प्राप्त हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो स्मरण-पत्र पर पाकिस्तान सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) जी, हां।

(ख) पाकिस्तान सरकार प्रतिबन्ध हटाने के लिये सहमत नहीं हुई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Synchronisation

केन्द्रीय भेषज पुर्ननियंत्रण संस्था

†१११४. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भेषज पुर्ननियंत्रण संस्था स्थापित करने के सम्बन्ध में कोई निश्चय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका पूर्ण ब्योरा क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** (क) जी, हां ।

(ख) यह निश्चय किया गया है कि उत्तम प्रकार के भेषजों का नियंत्रण करने की विद्यमान सुविधायें पर्याप्त समझी जाती हैं । पुर्ननियंत्रण संस्था स्थापित करने के प्रश्न पर इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्युटिकल्स लिमिटेड के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्रों में भेषज निर्माणकर्ता इकाइयों द्वारा उत्पादन प्रारम्भ करने के पश्चात् विचार किया जायेगा ।

अखबारी कागज का कारखाना

१११५. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १४ अगस्त, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ३०६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में एक अखबारी कागज के कारखाने की स्थापना के बारे में इस बीच और क्या प्रगति हुई है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : इस बारे में अभी कोई और प्रगति नहीं हुई है ।

हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल

†१११६. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत छः महीनों में हैवी इलैक्ट्रकल्स लिमिटेड भोपाल में उत्पादन बढ़ गया है ;

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक ;

(ग) क्या हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल में कुछ प्रतिरक्षा सम्बन्धी वस्तुओं का भी निर्माण किया जाना है ; और

(घ) क्या इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय हो गया है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : (क) जी, हां ।

(ख) अप्रैल–जून, १९६२ की अवधि के दौरान हुए उत्पादन की तुलना में, अक्तूबर–दिसम्बर, १९६२ की अवधि में हुए पूर्ण उत्पादों के उत्पादन में लगभग १५ लाख रुपये के मूल्य की वृद्धि हुई है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

लोहे का इस्पात का उत्पादन

१११७. **श्री बाल्मीकी :** क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संकटकाल लागू होने के पश्चात् लोहे तथा इस्पात के उत्पादन को बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ;

(ख) पहले की अपेक्षा लोहे तथा इस्पात का उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ा है ?

(ग) क्या मजदूरों को अधिक घंटे काम करना पड़ता है ; और

(घ) यदि हां, तो कितने जन घंटे अधिक काम करना पड़ा ?

इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्) : (क) इस्पात उद्योग का गठन इस प्रकार किया गया है कि उत्पादन वृद्धि के साथ साथ रक्षा निमित्त आवश्यक माल का उत्पादन भी बढ़े। इस्पात के बड़े बड़े कारखानों और पुनर्वेल्लिन मिलों से कहा गया है कि वे इन वस्तुओं का उत्पादन करने के लिये तैयार रहें और उन्होंने इन वस्तुओं का उत्पादन आरम्भ कर दिया है। सरकारी क्षेत्र के राउरकेला और दुर्गापुर इस्पात कारखानों में उत्पादन को तत्काल निर्धारित क्षमता तक पहुंचाने के लिये कदम उठाए गए हैं। भिलाई इस्पात कारखाना निर्धारित क्षमता से अधिक उत्पादन कर रहा है। रक्षा संबंधी कारखानों के लिये विशेष प्रकार के इस्पात के उत्पादन करने की सभाव्यता मालूम करने के लिये कदम उठाए गए हैं। वर्तमान कारखानों और विद्युत भट्टियों में विशेष प्रकार के इस्पात के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये लोहा और इस्पात नियंत्रक के अधीन एक समिति बनाई गई है। सरकारी क्षेत्र में लगाए गए इस्पात कारखानों में इस्पात का उत्पादन बढ़ाने के लिये अधिक समन्वय स्थापित करने, उत्पादन पर नियंत्रण रखने और पुर्जों इत्यादि की प्राप्ति के लिये विशेष कदम उठाये गए हैं।

(ख) दिसम्बर १९६२ में विक्रेय इस्पात और अपिधम लोहे के उत्पादन में सितम्बर, १९६२ के उत्पादन की अपेक्षा निम्नलिखित प्रतिशत वृद्धि हुई है :—

विक्रय इस्पात :	१६.६
विक्रेय अपिधम लोहा :	११.५

(ग) और (घ) जी नहीं। राउरकेला इस्पात कारखाने के कुछ विशेष अनुभागों में कुछ पीछे रहे हुए काम को पूरा करने के लिये कुछ जन-घण्टों अधिक काम किया गया।

मूंगफली का तेल

†१११८. **श्री पे० वेंकटासुब्बया :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम ने जो मूंगफली का तेल सहकारी संस्थाओं द्वारा प्राप्त किया था उसे प्रारम्भ में किये गए विचार के अनुसार निर्यात नहीं किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि तेल के विक्रय के लिये एक सार्थ-संघ नियुक्त कर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो किस आधार पर यह सार्थ-संघ नियुक्त किया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) और (ख) : राज्य व्यापार निगम द्वारा सहकारी संगठन से प्राप्त किए गए मूंगफली के तेल की केवल एक तुच्छ मात्रा निर्यात नहीं की गई ।

(ग) और (घ) तेल की यह मात्रा साबुन उत्पादकों के साथ-संघ की, उसकी बराबर मात्रा में मूंगफली के तेल का निर्यात करने के लिये, विक्रय की जा रही है ।

उच्च शक्तिवाले संचार 'रिसीवर्स' का निर्माण

†१११९. **श्री बिशन चन्द्र सेठ :**
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) [1]उच्च शक्ति वाले संचार 'रिसीवर्स' का भारत में निर्माण किया जायेगा;

(ख) यदि हां, तो कब ; और

(ग) क्या इनका निर्माण सरकारी क्षेत्र में किया जायेगा अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) इस समय मैसर्स भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड्, बंगलौर सामान्य उपयोग के संचार 'रिसीवर्स' का निर्माण कर रहे हैं । भारत द्वारा अपेक्षित विभिन्न प्रकार के उच्च शक्ति वाले प्रापकों को निर्माण करने का भी उनका प्रस्ताव है और भिन्न भिन्न प्रकार के प्रापकों का निर्माण करने के लिए विदेशी समवायों से वार्ता चल रही है ।

यूरोप को तम्बाखू का निर्यात

†११२०. **श्रीमती विमला देवी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यूरोप को तम्बाखू का अधिक निर्यात करने के क्षेत्र की जांच की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी, हां ।

(ख) उत्पादकता बढ़ाने के लिए किसानों में उर्वरकों का विशेष आवंटन करने की स्वीकृति दे दी गई है ;

साधारण प्रकार के तम्बाखू से भिन्न प्रकार का तम्बाखू उत्पन्न करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं ;

पश्चिमी जर्मनी को निर्यात करने के लिए उपयुक्त प्रकार का तम्बाखू उगाने के लिए एक विशेष पश्चिम जर्मनी तम्बाखू परियोजना प्रारम्भ की गई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

1 High scale communications receivers.

काजू की गिरी का निर्यात

†११२१. **श्री इम्बीची बावा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने काजू की गिरी का निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये हैं ;

(ख) क्या इन कदमों के फलस्वरूप काजू के निर्यात में हाल ही के वर्षों में कुछ वृद्धि हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो किस सीमा तक ।

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) सरकार द्वारा काजू की गिरी के निर्यात में वृद्धि करने के लिए ऐसे कदम उठाए गए हैं जैसे कि : काजुओं का निर्यात बढ़ाने के लिए एक अलग परिषद् की स्थापना करना, कच्चे काजू के आयात की व्यवस्था करना, टिनप्लेट तथा पेटियों पर लगाने वाले तस्मों का निर्यातकों को संभरण करना, विपणन सर्वेक्षण करना और विदेशों में व्यापार प्रतिनिधि मण्डलों का भेजना ।

(ख) और (ग) काजू की गिरी का निर्यात १९५९–६० के १६ करोड़ रुपये के मूल्य के ३८७८९ हज़ार किलोग्राम के निर्यात से बढ़ कर १९६१–६२ में १८ करोड़ रुपये के मूल्य का ४१,७५५ हज़ार किलोग्राम हो गया है ।

नमक बोर्ड

†११२२. **श्री प० कुन्हन :**
श्री अ० क० गोपालन :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नमक बोर्ड की स्थापना में विलम्ब हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण जिसमें कि अपेक्षित जानकारी दी गई है संलग्न है ।

विवरण

मूलत: एक संविहित केन्द्रीय नमक बोर्ड बनाने का प्रस्ताव करने के मुख्य कारण यह थे : पूंजी और संधारण कर्मों के सम्पादन में विलम्ब को न्यूनतम करना, नमक निर्माताओं को ऋण के रूप में वित्तीय सहायता स्वीकृत करना । और श्रमिक कल्याण के उपायो में वृद्धि करना । बोर्ड की स्थापना के प्रश्न पर पुनर्विचार किया गया और, निम्नलिखित कारणों के कारण, यह निश्चय किया गया कि प्रस्ताव को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया जाय :—

(१) विकास कार्यों और श्रमिक कल्याण के उपायों को शीघ्रतापूर्वक करने के लिए, नमक की विभिन्न वर्गों की कर्मशालाओं में इन कार्यों के सम्पादन में अनुसरण किए जाने वाले सिद्धान्त बना कर, आवश्यक कदम उठा लिए गए हैं । विभिन्न वर्गों की नमक कर्मशालाओं में प्राप्त नमक उपकर से इन कार्यों को जिस सीमा तक वित्तपोषित किया जा सकता है वह भी स्पष्ट रूप से निर्धारित कर दी गई है ।

---

† मूल अंग्रेजी में

(२) अनुज्ञप्ति प्राप्त नमक निर्माताओं को विकास प्रयोजनों के लिए ऋण स्वीकृत करने की प्रक्रिया को सरल कर दिया गया है जिससे कि नमक आयुक्त, ५००० रुपये तक के ऋण सम्बन्धित राज्य के उद्योगों के निदेशक के परामर्श से और २५००० रुपये तक के ऋण प्रादेशिक मंत्रणा बोर्डों के परामर्श से, स्वयं ही स्वीकृत कर सकें ।

३) क्योंकि केन्द्रीय और प्रादेशिक मंत्रणा बोर्ड्स अभी तक स्थापित हैं, यह अनुभव किया गया कि संविहित बोर्ड के रूप में एक अन्य संस्था का स्थापित न करना ही बुद्धिमानी होगी, विशेषतया तब जब कि उपकर से प्राप्त आय के पूर्वाशित राशि से कम होने की सम्भावना है ।

आंध्र प्रदेश में कच्चा लोहा तैयार करने का कारखाना

†११२३. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश औद्योगिक निगम के एक कच्चा लोहा तैयार करने का कारखाना स्थापित करने के प्रस्ताव की जांच समाप्त कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार का निर्णय किया गया है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : (क) और (ख) सिद्धान्त रूप में प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है ।

रामचन्द्रपुरम् में भारी बिजली उपकरण तैयार करने का कारखाना

†११२४. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में रामचन्द्रपुरम् में भारी बिजली उपकरण तैयार करने का कारखाने के सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या विभिन्न कार्यों के लिए समय की अनुसूची तैयार कर ली गई है ; और

(ग) परियोजना के लिए अब तक कितना धन व्यय किया गया है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : (क) परियोजना के स्थल पर छ प्रारम्भिक कार्य प्रगति कर रहे हैं, जिनमें कारखाने के क्षेत्र की भूमि का एक सार करना और लवे साइडिंग, सड़कें, शिल्पकार प्रशिक्षण विद्यालय, कर्मशाला, छात्रावास तथा कुछ निवास सम्बन्धी क्वार्टरों का निर्माण भी सम्मिलित है ।

(ख) संयंत्र के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है और उसकी जांच हो रही है । विभिन्न कार्यों के लिए समय की अनुसूची परियोजना के प्रतिवेदन के स्वीकृत होने के पश्चात् तैयार की जायगी ।

(ग) लगभग ९० लाख रुपये ।

---

† मूल अंग्रेजी में

कोठागुडियम में उर्वरक संयंत्र

†११२५. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोठागुडियम, आंध्र प्रदेश, में उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के लिए असैनिक इंजीनियरिंग कार्यों के प्रारम्भ करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ख) क्या इस समय चल रही कार्य की गति के अनुसार संयंत्र तृतीय योजना के अन्त तक चालू हो जायेगा ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : (क) असैनिक कार्य इसलिए प्रारम्भ नहीं किए जा सके क्योंकि दल को अभी तक भूमि पर अधिकार नहीं मिल सका है। यह कठिनाई शीघ्र ही दूर कर दी जायेगी।

(ख) यह आशा की जाती है कि संयंत्र १९५–६६ में उत्पादन करने लगेगा।

अमरीका को खादी का निर्यात

†११२६. **श्री पें० वकटासुब्बया** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका को बड़े पैमाने पर खादी निर्यात करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मं (श्री कानूनगो)** : (क) जी, हां।

(ख) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग की ओर से बम्बई उपनगरीय ग्रामोद्योग संघ, बम्बई, ने अमरीका को सूती तथा रेशमी खादी के निर्यात के लिये वहां के दो निगमों के साथ दो संविदाओं पर हस्ताक्षर किये हैं। इन करारों में १९६२–६३ से लेकर अगले दस वर्षों की अवधि में १५२ लाख मीटर सूती तथा २५ लाख मीटर रेशमी खादी के निर्यात का उपबन्ध है।

तेल निकालने का उद्योग

†११२७. **श्री बिशनचन्द्र सेठ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार देश में तेल निकालने के उद्योग की अव्यवस्थित दशा की जांच करने के लिये एक उच्च शक्ति-प्राप्त समिति नियुक्त करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो कब तक उसकी स्थापना हो जाने की संभावना है ; और

(ग) ऐसी समिति बनाने के क्या कारण थे ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी हां।

(ख) प्रस्ताव अभी विचाराधीन है और अन्तिम निर्णय अभी किया जाने वाला है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) तेल, साबुन और रोगन विकास परिषद् ने सिफारिश की थी कि प्रविधिक और वित्तीय दृष्टिकोण से तेल निकालने के उद्योग की जांच के लिये एक उच्च शक्ति-प्राप्त समिति स्थापित की जाये ताकि इस उद्योग को सुदृढ़ बनाया जाये ।

औद्योगिक लाइसेंसों का दिया जाना

†११२८. **श्री प्र० चं० बरुआ:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी १९६२ से दिसम्बर १९६२ की अवधि में नये उद्योग स्थापित करने की मंजूरी प्राप्त करने के लिये औद्योगिक लाइसेंसों के लिये कितने आवेदन-पत्र मिले थे;

(ख) उनमें से कितनों को मंजूरी दी गई और कितने नामंजूर कर दिये गये; और

(ग) वे कौन से मुख्य उद्योग थे जिन्हें स्थापित करने की (१) अनुमति दे दी गई और (२) नहीं दी गई ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो):** (क) नये औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने के लिये उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१, के अधीन १९६२ में लाइसेंसों के लिये १,६७६ आवेदनपत्र प्राप्त हुए थे ।

(ख) १४७ आवेदन पत्रों पर लाइसेंस दे दिये गये थे और २४ आवेदन-पत्रों के उत्तर में लिख दिया गया था कि प्रार्थियों द्वारा कुछ शर्तें पूरी कर दिये जाने पर लाइसेंस दे दिये जायेंगे । ८४१ आवेदन पत्र नामंजूर कर दिये गये । १३ मामले ऐसे थे जिन में या तो प्रार्थियों ने अपने अवेदन पत्र वापिस ले लिये या जिन्हें बताया गया कि अधिनियम के अन्तर्गत उनकी परियोजनाओं के लिये लाइसेंसों की आवश्यकता नहीं है ।

(ग) जिन उद्योगों के स्थापित किये जाने के लिये लाइसेंस दे दिये गये हैं उनके बारे में जानकारी साप्ताहिक "औद्योगिक लाइसेंसों, आयात लाइसेंसों और निर्यात लाइसेंसों की विवरणिका", मासिक "उद्योग-व्यापार पत्रिका" तथा साप्ताहिक "भारतीय व्यापार पत्रिका" में उपलब्ध है जिनकी प्रतियां संसद् पुस्तकालय में मिल सकती हैं । जहां तक आवेदन-पत्रों के नामंजूर किये जाने का सम्बन्ध है, इन में अधिकतर वही उद्योग सम्मिलित हैं जो उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ से संलग्न अनुसूची में दिये हुए हैं क्योंकि आवेदन पत्र केवल इसी कारण नामंजूर नहीं कर दिये जाते कि पर्याप्त क्षमता के लिये पहले ही लाइसेंस दिये जा चुके हैं बल्कि इसलिये भी कि कई बार योजनायें प्रविधिक दृष्टि से ठोस नहीं होतीं ।

उत्पादन तथा निर्यात में वृद्धि

†११२९. **श्री श्यामलाल सर्राफ:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे निर्यात में पूर्णरूपेण गुणात्मक तथा मात्रात्मक सुधार करने के लिये निम्नलिखित संस्थाओं को किस प्रकार प्रोत्साहित किया गया है :

(१) राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद्;

(२) श्रेणी नियंत्रण संगठन; और

(३) भारतीय मानक संस्था; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या इस प्रयास से देश में अधिक गुणात्मक उत्पादन के लिये वातावरण पैदा करने में सफलता मिली है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह):** (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **(पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० ७७४/६३)**

रूस से ट्रैक्टरों का आयात

†११३०. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री बिशनचन्द्र सेठ :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूस ने भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये रियायती दरों पर कुछ आधुनिक ट्रैक्टर देना स्वीकार किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई करार हो गया है और यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; **और**

(ग) कौन से राज्यों ने कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये उनका प्रयोग करने की इच्छा प्रकट की है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह):** (क) भारत और रूस के बीच हुए व्यापार करार के अधीन रूस से एक सीमित संख्या में ट्रैक्टरों का आयात किया जा रहा है । यह आयात वाणिज्यिक आधार पर किया जा रहा है । रियायती दरों पर ट्रैक्टर देने का कोई प्रस्ताव नहीं हैं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) आयात किये जाने वाले ट्रैक्टर वाणिज्यिक एजेंटों द्वारा भारत भर में कृषकों में वितरित कर दिये जाते हैं ।

सिन्दरी उर्वरक कारखाने में आग

†११३१. **श्री प्र० चं० बरुआ:** क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २८-२९ दिसम्बर, १९६२ की रात को सिन्दरी उर्वरक कारखाने में १५ मुख्य स्टोर शेड एक भयानक आग में नष्ट हो गये थे;

(ख) यदि हां, तो आग से कितनी क्षति हुई; और

(ग) आग लगने का कारण क्या था ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्):** (क) २८ दिसम्बर, १९६२ की शाम को सिन्दरी उर्वरक कारखाने में एक आग की दुर्घटना हुई थी जिसका केन्द्रीय गोदाम के चौदह शेडों में से पांच में एकत्रित सामग्री के कुछ भाग पर प्रभाव पड़ा था ।

(ख) गोदाम को कुछ क्षति पहुंची और स्टोर की कुछ वस्तुयें जल गईं । कुल कितनी क्षति हुई, इसका अनुमान लगाया जा रहा हैं । स्थूल संगणना के अनुसार, लगभग ४ लाख रुपये की क्षति

---

†मूल अंग्रेजी में

होगी। सारी सामग्री बीमा शुदा थी। इस में कोई सामग्री ऐसी नहीं थी जो अत्यावश्यक हो और न ही क्षति इस प्रकार की है जिसका कि उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। उत्पादन पूरी क्षमता में हो रहा है।

(ग) गोदाम में 'वेल्डिंग' करने से जो चिंगारियां निकलीं उन्हीं से आग लगी थी। यथासमय उत्तरदायित्व ठहराया जायेगा और कार्यवाही की जायेगी।

मछली का निर्यात

†११३२. **श्री विश्वनाथ राय:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९६० की तुलना में १९६१ में मछली का निर्यात कम हो गया था; और

(ख) यदि हां, तो क्या मछली के निर्यात को बढ़ाने के लिये कोई उपाय किये गये हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह):** (क) जी हां। १९६० की तुलना में १९६१ में मछली तथा उससे बनी वस्तुओं के निर्यात में कुछ कमी हुई है।

(ख) मछली के निर्यात को बढ़ाने के लिये निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :—

१. निर्यात के लिये अधिक प्रोत्साहन दिये गये हैं।

२. मछली के निर्यातकों और तैयार करने वालों को जमाने और शीत संग्रहण की अतिरिक्त सुविधायें दी जा रही हैं।

३. मछली व्यवसाय का यंत्रीकरण किया जा रहा है।

४. सुखाई गई मछली और झींगों के निर्यात के विषय में आने वाली कठिनाइयों के बारे में क्रमश: लंका और बर्मा के प्राधिकारियों के साथ बातचीत की गई है और हाल ही में किये गये भारत–बर्मा तथा भारत–लंका व्यापार करारों में इस सम्बन्ध में उपबन्ध किये गये हैं।

कपड़े की मशीनों की खरीद

†११३३. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान के कपड़ा मशीनों के निर्माताओं का एक प्रतिनिधि मंडल कपड़े की मशीनें खरीदने के लिये जापान द्वारा भारत को दिये गये १ करोड़ डालर के ऋण का शीघ्रता से प्रयोग करने के उपायों पर सरकार से वार्ता करने के लिये भारत आया था; और

(ख) यदि हां, तो प्रतिनिधि मंडल के साथ विचार-विमर्श कर के क्या निर्णय किये गये थे ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह):** (क) जी हां।

(ख) ऋण के प्रयोग की प्रगति का एक सामान्य पुनर्विलोकन किया गया था। स्थिति सामान्यत: सन्तोषजनक पाई गई थी।

---

†मूल अंग्रेजी में

तिलहन का निर्यात

†११३४. **श्री दनेश भट्टाचार्य :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच हैं कि पिछले कुछ वर्षों में तिलहन के निर्यात में कमी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) पिछले चार वर्षों में किये गये तिलहन की निर्यात की मात्रा तथा मूल्य क्या हैं; और

(घ) सरकार ने तिलहन के निर्यात को बढ़ाने के लिये क्या उपाय किये हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) पिछले चार वर्षों में निर्यात किये गये तिलहन की मात्रा और मूल्य निम्नलिखित हैं :—

वर्ष	मात्रा (टनों में)	मूल्य (लाख रुपयों में)
१९५९	२८,९७४	२४७
१९६०	४१,३९३	४०४
१९६१	३४,९५१	४२१
१९६२	३०,८२२	३५८
(जनवरी–अक्तूबर)		

(घ) तिलहन पर निर्यात प्रतिबन्ध उदार कर दिया गया है । एच० पी० एस० मूंगफली की गिरी तथा एच० पी० एस० छिलके वली मूंगफली के निर्यात के लिये निर्बाध रूप से लाइसेंस दिये जाते हैं । सरसों के बीजों को भी एक उपरिसीमा के अन्दर अन्दर निर्बाध रूप से लाइसेंस दिया जाता हैं । तिल, कार्डी तथा राम तिल के बीजों पर से नियंत्रण हटा लिया गया है ।

स्कूटरों के कारखाने

†११३५. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वर्ष स्कूटरों के कारखानों की स्थापना के लिये कोई लाइसेंस दिये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो किस आधार पर तथा उनका ब्योरा क्या है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्):** (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

गुजरात में कच्चे लोहे और कोयले की कमी

†११३६. **श्री दे० जी० नायक :** क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

---

†मूल अंग्रेजी में

(क) क्या यह सच है कि गुजरात में इंजीनियरिंग उद्योग को कच्चे लोहे और कोयले की कमी हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस कमी को दूर करने के लिये क्या उपाय सोचे गये हैं ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : (क) और (ख). कच्चे लोहे की कमी गुजारात सहित सारे देश में है। स्थायी आधार पर इसकी उपलब्धता बढ़ाने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं। गुजरात की तत्कालीन कठिनाइयों पर काबू पाने के लिये उस राज्य को २२०० मीट्रिक टन कच्चे लोहे का विशेष आवंटन किया गया है। कोयले के संभरण के बारे में इंजीनियरिंग उद्योगों के सामने कोई गम्भीर समस्या नहीं है।

संश्लिष्ट रबड़[1] का उत्पादन

†११३७. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री प० कुन्हन :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में संशिक्षष्ट रबड़ के उत्पादन के लिये सरकारी क्षेत्र में नये औद्योगिक एककों को लाइसेंस दिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन एककों के नाम क्या हैं जिन्हें संश्लिष्ट रबड़ के उत्पादन के लिये लाइसेंस दिये गये हैं ;

(ग) वे कहां कहां पर स्थित हैं ;

(घ) उनकी उत्पादन क्षमता क्या है ; और

(ङ) उनमें कितने व्यक्तियों को रोजगार दिया जा सकता है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ). प्रश्न नहीं उठते।

सीमेंट का उत्पादन

†११३८. **श्री प० कुन्हन:** क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान राष्ट्रीय आयात स्थिति को देखते हुए सरकार ने सीमेंट का उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या उपाय किये हैं ; और

(ख) १९६२ में सीमेंट की कुल कितनी मात्रा का उत्पादन हुआ ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)** : (क) और (ख): देश में इस समय सीमेंट के ३५ कारखाने हैं जिनकी कुल वार्षिक संस्थापित क्षमता ९७·२८ लाख टन है। १९६२ में वास्तविक उत्पादन ८५·८६ लाख टन था; यह प्रभावी संस्थापित क्षमता का ९० प्रतिशत था। कोयले का पर्याप्त सम्भरण करके, उद्योग के लिये पर्याप्त यातायात सुविधायें देकर, और उचित मामलों में ईंधन के लिये कोयले की बजाय तेल के प्रयोग को प्रोत्साहित करके वर्तमान क्षमता का अधिक से अधिक प्रयोग करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। आपात स्थिति की घोषणा के बाद विशेषत: सीमेंट के कारखानों को कोयले का सम्भरण बढ़ा दिया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Synthetic Rubber.

उद्योग का उत्पादन अधिकाधिक करने की प्रेरणा देने के लिये एक प्रोत्साहन योजना आरम्भ की गई है जिसमें पिछले तीन वर्षों के सर्वोत्तम उत्पादन के अतिरिक्त किये जाने वाले उत्पादन के लिए अधिक मूल्य दिया जायेगा ।

७८·०९ लाख टन की कुल वार्षिक क्षमता की नई योजनाओं के लिये अब तक या तो लाइसेंस दे दिये गये हैं या उनकी स्वीकृति दे दी गई है । इस अतिरिक्त लाइसेंस प्राप्त अनुमोदित क्षमता में से १२·८६ लाख टन की क्षमता आयात किये गये संयंत्र और मशीनों के आधार पर स्थापित की जायेगी । सीमेंट की मशीनों के निर्माण के लिये देशीय क्षमता भी निर्धारित कर दी गई है । १७·४६ लाख टनों की क्षमता, जो देशीय मशीनों के आधार पर अधिष्ठापित होगी, पुर्जों के आयात के लिये विदेशी मद्रा के आवंटन में पहले से ही सम्मिलित है । देश में सीमेंट बनाने वाली मशीनें के निर्माण की क्षमता को भी बढ़ाने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं । सीमेंट के लाइसेंसधारियों पर लगातार दबाव डाला जा रहा है कि वे निर्धारित अवधि में अपनी परियोजनाओं को पूरा करें ।

लोहे और इस्पात उद्योग के उपोत्पाद कचरे का प्रयोग करके पोर्टलैण्ड धमन भट्टी कचरा सीमेंट के निर्माण की क्षमता स्थापित करने के भी प्रयत्न हो रहे हैं ।

अमरीका से सोयाबीन का आयात

११३९. **श्री बड़े :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वनस्पति घी के निर्माण हेतु अमरीका से सोयाबीन का आयात करने का शासन का इरादा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सोयाबीन के आयात से देश में मूंगफली के भाव गिर जायेंगे ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मास्को में औद्योगिक प्रदर्शनी

११४०. **श्री कछवाय:** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने मास्को में कोई औद्योगिक प्रदर्शनी लगाने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो यह प्रदर्शनी कब लगाई जायेगी और उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां ।

(ख) १ से ३१ जुलाई, १९६३ तक । ब्यौरा अभी अन्तिम रूप से तैयार किया जा रहा है ।

जिन्सों के वायदा कारोबार पर प्रतिबन्ध

११४१. **श्री ब्रजराज सिंह:** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक भारत सरकार ने किन-किन जिन्सों के वायदा कारोबार पर पाबन्दी लगाई है; और

(ख) यह पाबन्दी कब कब लगाई गई ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख) दो विवरण साथ में नत्थी हैं। [पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०-७७५/६३]

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

हथकरघे के कपड़े का स्टाक जमा हो जाना और उसके फलस्वरूप हथकरघा बुनकरों का बेकार हो जाना

†**श्री अ० कु० गोपालन** (कासीगोडा) : मैं वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकृष्ट करवाता हूं और निवेदन करता हूं कि वह वक्तव्य दें :—

"देश में हथकरघे के कपड़े के स्टाक का जमा हो जाना और फलस्वरूप हथकरघा बुनकरों का बेकार हो जाना।"

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: वक्तव्य लम्बा है, अतः मैं उसे सभा पटल पर रखता हूं। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-७३६/६३]

†**श्री अ० कु० गोपालन** : क्या इस दिशा में सहायता करने का कार्य सरकार कर रही है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : हथकरघा उद्योग को काफी आसानी से कर्जा दिया जाता है। सरकारी आवश्यकताओं के लिए हथकरघे का सामान खरीद लिया जाता है, यद्यपि वह महंगा होता है। इस पर भी उसका उत्पादन कुछ बहुत अधिक नहीं है।

उपनिर्वाचन करने के बारे में

†**श्री यशपाल सिंह** (कैराना) : मैं विधि मन्त्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं और मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय अपना वक्तव्य दें :—

"उपचुनावों के करने के सम्बन्ध में चुनाव आयोग के सुझाव तथा उस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया।"

†**विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुवेन्द्र मिश्र)** : २६ अक्तूबर, १९६२ को निर्वाचन आयोग ने एक प्रैस विज्ञप्ति जारी की जिसमें कहा गया कि देश के उत्तरी सीमान्त पर विदेशी आक्रमण

---

†मूल अंग्रेजी में

के कारण संकट में, यह निर्णय किया गया है कि कुछ संसदीय और विधान मण्डलीय निर्वाचन वाले क्षेत्रों में होने वाले उपचुनाव तब तक न किये जायें जब तक कि संकटकाल है। इस विज्ञप्ति को जारी करने से पूर्व संसद् के विभिन्न दलों का परामर्श ले लिया गया था और परामर्श सम्बन्धी चर्चा के समय विधि मन्त्री तथा संसद् कार्य मन्त्री भी विद्यमान थे।

अब मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने राज्य विधान मण्डलों और संसद् के लिए उपचुनाव कराने के बारे में विचार बताने के लिए सरकार से कहा है। इस मामले पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है और इस बारे में प्रकट विचार भविष्य में मुख्य निर्वाचन आयुक्त को बता दिये जायेंगे।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

इंडियन आयल कम्पनी लिमिटेड, इंडियन रिफाइनरीज लिमिटेड, का वार्षिक प्रतिवेदन तथा तत्सम्बन्धी कार्यों की सरकार द्वारा समीक्षा

†खान तथा इंधन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री हजरनवीस): मैं श्री केशव देव मालवीय की ओर से निम्नलिखित पत्रों की एक प्रति-लिपि सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) (क) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९ क की उपधारा (१) के अन्तर्गत इंडियन आयल कम्पनी लिमिटेड, बम्बई की वर्ष १९६१-६२ का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित।

(ख) उक्त समवायों के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) (क) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९-क की उपधारा (१) के अन्तर्गत इंडियन रिफाइनरीज़ लिमिटेड, नई दिल्ली की वर्ष १९६१-६२ का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित।

(ख) उक्त समवाय के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये क्रमशः संख्या एल० टी०-७३७/६३ और ७३८/६३]

समाचारपत्र पंजीयन (केन्द्रीय) संशोधन नियम

†सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ): मैं श्री बे० गोपाल रेड्डी की ओर से प्रैस और पुस्तक पंजीयन अधिनियम, १८६७ की धारा २०-क की उपधारा (२) के अन्तर्गत दिनांक १२ जनवरी, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ८५ में प्रकाशित समाचार पत्र पंजीयन (केन्द्रीय) संशोधन नियम, १९६३ की एक प्रति, सभा पटल पर रखता हूं। [पुस्तकालय में रखी गयी/देखिए संख्या एल० टी०-७३९/६३]

---

†मूल अंग्रेजी में

लोहा तथा इस्पात (नियन्त्रण) संशोधन आदेश, १९६३, हैवी इलैक्ट्रिकल्ज (इंडिया) लिमिटेड, भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन तत्सम्बन्धी कार्य पर सरकारी टिप्पणियां

†**इस्पात तथा भारी उद्योग मंत्री (श्री वि० सुब्रह्मण्यम्)**: मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उपधारा (६) के अन्तर्गत, दिनांक १२ जनवरी, १९६३ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ८२ में प्रकाशित लोहा तथा इस्पात (नियंत्रण) संशोधन आदेश, १९६३ ।.

(क) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९-क की उपधारा (१) के अन्तर्गत हैवी इलैक्ट्रिकल (इंडिया) लिमिटेड, भोपाल की वर्ष १९६१–६२ का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(ख) उक्त समवाय के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

[पुस्तकालय में रखी गयी/देखिये क्रमशः संख्या एल० टी०-७४०/६३ तथा एल० टी० ७४१/६३]

रबड़ अधिनियम, अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, नारियल जटा उद्योग अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

रबड़ अधिनियम, १९४७ की धारा २५ की उपधारा (३) के अन्तर्गत निम्नलिखित नियमों की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक ८ दिसम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १९६६ में प्रकाशित रबड़ (तीसरा संशोधन) नियम, १९६२ ।

(ख) दिनांक २२ दिसम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १७४५ में प्रकाशित रबड़ (चौथा संशोधन) नियम, १९६२ ।

(ग) दिनांक ५ जनवरी, १९६३ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० १९ में प्रकाशित रबड़ बोर्ड सेवा (भर्ती) संशोधन नियम, १९६३ ।

(घ) दिनांक ५ जनवरी, १९६३ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २० में प्रकाशित रबड़ बोर्ड सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) संशोधन नियम, १९६३ ।

अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत दिनांक २९ दिसम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या ८/२६/६२-इम्प० में प्रकाशित अख़बारी काग़ज़ नियंत्रण (तीसरा संशोधन) आदेश, १९६२ की एक प्रति ।

नारियल जटा उद्योग अधिनियम, १९५३ की धारा १७ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत नारियल-जटा बोर्ड, एरणाकुलम् की वर्ष १९६१-६२ के प्रमाणित लेखे और उस पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या क्रमशः एल० टी०-७४२/६३, एल० टी० ७४३/६३ तथा ७४४/६३]

---

†मूल अंग्रेजी में

समवाय अधिनियम क अन्तर्गत अधिसूचनायें, भारतीय उत्पादकता दल का प्रतिवेदन। हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड, नेशनल न्यूज प्रिंट और पेपर मिल्ज राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम का वार्षिक प्रतिवेदन तथा तत्सम्बन्धी सरकारी समीक्षा

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६४१ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत उक्त अधिनियम की अनुसूची ६ में कतिपय परिवर्तन करने वाली दिनांक १२ जनवरी, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७८ ।

(दो) सोवियत रूस, चेकोस्लोवाकिया और रूमानिया में तेल उद्योग के सम्बन्ध में भारतीय उत्पादकता दल का प्रतिवेदन ।

(तीन) (क) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९-क की उप-धारा (१) के अन्तर्गत, हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड, बर्दवान की वर्ष १९६१-६२ का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(ख) उक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(चार) (क) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९-क की उपधारा (१) के अन्तर्गत नेशनल न्यूजप्रिन्ट और पेपर मिल्ज़ लिमिटेड, नेपानगर की वर्ष १९६१-६२ के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(ख) उक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(पांच) (क) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९-क की उप-धारा (१) के अन्तर्गत राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष १९६१-६२ के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(ख) उक्त निगम के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(छै) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९-क की उप-धारा (१) के अन्तर्गत पुनर्वास उद्योग निगम लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष १९६१–६२ का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए क्रमशः संख्या एल० टी० ७४५/६३ से ७५०/६३]

दिल्ली मोटर गाड़ी नियमों में संशोधन

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

मोटर गाड़ी अधिनियम, १९३९ की धारा १३३ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिल्ली मोटर गाड़ी नियम, १९४० में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २७ सितम्बर,

---

†मूल अंग्रेजी में

१९६२ के दिल्ली गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एफ० १२/४६/६०-परिवहन की एक प्रति ।

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन और एयर इंडिया के वार्षिक प्रतिवेदन

†**श्री मुहीउद्दीन** : विमान निगम अधिनियम, १९५३ की धारा ३७ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति मैं सभा पटल पर रखता हूं :—

(क) एयर-इण्डिया का वर्ष १९६१-६२ का वार्षिक प्रतिवेदन ।

(ख) इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन का वर्ष १९६१-६२ का वार्षिक प्रतिवेदन ।

विमान निगम अधिनियम, १९५३ की धारा १५ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत एयर इण्डिया के वर्ष १९६१-६२ के वार्षिक लेखे और उस पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए क्रमशः संख्या एल० टी०-७५१/६३—७५४/६३]

कर्मचारी भविष्य निधि कोष अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

†**श्रम तथा रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरमन)** : मैं निम्नपत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

निम्नलिखित अधिसचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) अधिनियम, १९६२ की धारा ६ के अन्तर्गत जारी की गई दिनांक १३ दिसम्बर, १९६२ की एस० ओ० संख्या ३७९२ ।

(दो) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९६२ की धारा ६ के अन्तर्गत जारी की गई दिनांक १३ दिसम्बर, १९६२ की एस० ओ० संख्या ३७९३ ।

(तीन) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ की धारा ७ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत दिनांक २९ दिसम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १८०७ में प्रकाशित कर्मचारी भविष्य निधि (सोलहवां संशोधन) योजना, १९६२ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी०-७५५/६३]

सीमेंट (किस्म नियंत्रण) आदेश

†**खान तथा इंधन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी)** : मैं अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत दिनांक १ दिसम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ३५९५/ई० सी० ए० /२/६२ में प्रकशित सीमेंट (किस्म नियंत्रण) आदेश, १९६२ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी०-७५६/६३]**

---

†मूल अंग्रेजी में

प्राक्कलन समिति

नवां और दसवां प्रतिवेदन

†**श्री दासप्पा** (बंगलौर): मैं निम्नलिखित सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग)—सरकारी उपक्रमों के बजट प्राक्कलन तैयार करने और उनका वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे संसद् को पेश किये जाने के बारे में प्राक्कलन समिति (दूसरी लोक-सभा) का तिहत्तरवां प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में नवम प्रतिवेदन ।

(दो) परिवहन तथा संचार मंत्रालय (परिवहन विभाग)—हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के बारे में प्राक्कलन समिति (दूसरी लोक–सभा) का एक-सौ-सोलहवां प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में दसवां प्रतिवेदन ।

महा प्राशसक विधेयक

प्रवर समिति का प्रतिवेदन

†**श्री खाडिलकर:** (खेड़) : मैं महा-प्रशासक विधेयक में संशोधन करने सम्बन्धी प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर ध्यान दिलाने के बारे में

श्री भू० ना० मंडल: एक कालिंग अटशन मोशन कल मैं ने दिया था, उसके बारे में इनफारमेशन की जरूरत थी ।

अध्यक्ष महोदय: मैं ने आप से और दूसरे माननीय सदस्यों से कहा है कि जो कोई इनफारमेशन लेनी हो मुझ से आकर लें । यहां न इस तरह शुरू करें ।

श्री भू० ना० मंडल: उसके बारे में डिसपोज़ल की कोई बात नहीं कही गयी है ?

अध्यक्ष महोदय: मैं अभी आप को इत्तला दे दूंगा ।

कोलम्बो सम्मेलन की प्रस्थापना के बारे में प्रस्ताव—जारी

श्री राम सेवक यादव: (बाराबंकी) : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि कल प्रधान मंत्री ने राज्य सभा में कहा कि लोक सभा ने ८ सितम्बर की अनुमति दे दी है । यह असत्य है और मैं ने इस पर प्रिविलेज मोशन दिया था कि यह हाउस का अपमान है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ प्राइम मिनिस्टर साहब ने वहां कहा हो उसका मुझे यहां नोटिस लेने की जरूरत नहीं। आज जो वह यहां कहने जा रहे हैं उस क्या नोटिस लिया जा सकता है।

श्री राम सेवक यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है। आपने अभी कहा कि प्रधान मंत्री ने राज्य सभा में जो बयान दिया उसका आप यहां नोटिस नहीं ले सकते। लेकिन मेरा कहना है कि प्रधान मंत्री अगर इस प्रकार का ब्यान राज्य सभा में नहीं कहीं बाहर भी दें, सदन में न दें, तो भी वह इस हाउस की कंटेम्प्ट है।

अध्यक्ष महोदय: आर्डर, आर्डर मैंने कहा है कि यही डिसकशन है जो हम आज अभी ले रहे हैं। उसी पर अभी यहां ब्यान होना है, इस वास्ते उस की बाबत अलहदा से कुछ नहीं किया जा सकता।

†**श्री रंगा** (चैत्तूर) : जब संसद एक प्रस्ताव पर चर्चा कर रही है तो उसका इससे पूर्व स्वीकार किये जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। १४ नवम्बर के संकल्प द्वारा हमने ८ सितम्बर १९६२ की स्थिति के अनुसार कोई प्रस्थापनाओं को स्वीकार करने का अधिकार नहीं दिया। हम प्रधान मंत्री जी को बताना चाहते हैं कि हमें कोलम्बो प्रस्थापनायें स्वीकार नहीं। सरकार और संसद को उन्हें अस्वीकार कर देना चाहिए।

†**श्री श्याम लाल सर्राफ :** (जम्मू तथा काश्मीर) : कल भी श्री रंगा यही कह रहे थे। उन्हें बार बार यह कहने की अनुमति नहीं होनी चाहिए।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** (केन्द्रपाड़ा) : हम इन प्रस्थापनाओं को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं हैं।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** मेरा निवेदन है कि जिस वातावरण में हम गत दो दिनों से कोलम्बो प्रस्थापनाओं पर चर्चा कर रहे हैं, वह कुछ खराब हो गया है। हमें एक बात स्पष्ट समझ लेनी चाहिए कि आखिर हम चर्चा किस बात पर कर रहे हैं। आज हमारे सामने जो तुरन्त बात प्रस्तुत है, उसकी पृष्ठभूमि है। आज की बात से हम उस पृष्ठभूमि को निकाल नहीं सकते। चीन के साथ जो हमारा संघर्ष हुआ वह हमारे लिए बहुत हीं महत्व की बात है। परन्तु इस बात से भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि इसका एशिया पर और व्यापक संसार पर भी प्रभाव है। आज जिस गति से संसार चल रहा है उसमें हम अकेले नहीं रह सकते। मतभेद हो सकते हैं परन्तु इस तथ्य और पृष्ठभूमि से कोई इन्कार नहीं कर सकते। पुरानी तटस्थता की नीति की भावना भी कुछ बदल रही है। रूस और अमरीका भी एक दूसरे के निकट आते दिखाई देते हैं।

हमारी तटस्थता की नीति को संसार भर की सभी दिशाओं से समर्थन प्राप्त हुआ है स्वयं अमरीका और रूस ने भी इसे पसन्द किया है। यह दोनों देश यही चाहते है कि हम इस नीति पर कायम रहें। मुझे इस बात पर सचमुच आश्चर्य है कि जब हमें इस नीति में सफलता मिलने की आशा हो रही है। तो कुछ लोग इसे त्याग देने की बात करते हैं। खैर मेरा निवेदन है कि कोई भी बात करते समय हमें उस की संसार भर में होने वाली प्रतिक्रियाओं का भी ध्यान रखना है।

---

†मूल अंग्रेजी में

सब से पहले तो हमें यह देखना है कि हमारे भारतीय क्षेत्र पर चीन ने कहां क्या अतिक्रमण किये हैं । क्योंकि यह सिलसिला चार पांच वर्षों से चल रहा है । परन्तु सितम्बर १९६२ को चीन ने बहुत बड़ा हमला किया । आज चीन एक आक्रान्ता तथा विस्तार वादी देश के रूप में सामने आया । उसके दिमाग में और भी विस्तार के कई नक्शे होंगे । वह युद्ध में विश्वास करता है । वह शांतिप्रिय सह अस्तित्व में विश्वास नहीं करता, न हीं पंचशील के पांच सिद्धान्तों पर कोई उसकी आस्था है जिसे कि संसार के बहुत से देशों ने स्वीकार किया है । जब कि संसार के अधिकांश राष्ट्र युद्ध रास्ते को गलत समझ रहे हैं । विचित्र बात यह है कि चीन उसे ठीक समझ रहा है । चीन बहुत महान राष्ट्र है और उसका अतीत महान है । यदि इस प्रकार के महान राष्ट्र आक्रान्ता बन जायें तो संसार भर के लिए खतरा बन जाता है । हमारा दुर्भाग्य है कि हम चीन के आक्रमण का शिकार हुए हैं । परन्तु हमें यह याद रखना चाहिए कि इस खतरे का अहसास अन्य देशों और राष्ट्रों को भी है । मेरा तो यह भी विश्वास है कि चीन की सरकार स्वयं भी अपने कृत्य के खतरे को महसूस कर रही है । भारत के प्रति किये गये अन्याय को भी वह महसूस कर रही है ।

यह तो स्पष्ट ही है कि हम इस प्रकार की सैन्य बल से दी गयी धमकियों से प्रभावित होने वाले नहीं । भारत किसी भी अवस्था में इस अप्रतिष्ठा पूर्ण स्थिति को स्वीकार नहीं करेगा । हम शांति पूर्व राष्ट्र हैं और किसी देश अथवा राष्ट्र पर आक्रमण करने का तो विचार तक भी हमारे दीमाग में कभी नहीं आया । परन्तु हम आक्रमण के आगे आत्म समर्पण कभी नहीं करेंगे । हम आजाद रहना चाहते हैं और किसी की आजादी में हस्तक्षेप करने का हमारा कोई विचार नहीं । यदि हमारी आजादी में किसी प्रकार का हस्तक्षेप हुआ तो निश्चय ही हम अपनी पूरी ताकत से उसका मुकाबला करेंगे । दूसरों का विश्वास हो न हो, हमें पंचशील के पांच सिद्धान्तों पर अटल विश्वास है । आजके सभ्यता केयुग में समानपूर्वक रहने का यही एक व्यवहारिक साधन है । दूसरा तरीका युद्ध और विनाश का है । दोनों को निकट लाना और सम्मानपूर्वक जिन्दा रहना कुछ कठिन कार्य है, परन्तु कोई कारण नहीं कि हम इस कठिन कार्य से घबरा जायें ।

यह बात भी स्पष्ट ही है कि यदि युद्ध हो जाय, हमारी आजादी, एकता और प्रतिष्ठा खतरे में पड़ जाये, तो शांतिप्रिय नहीं रहा जा सकता । हमारे लोगों ने संसार को यह बता दिया है कि हमारा सब से प्रथम ध्येय अपनी आजादी और सम्मान की रक्षा करना है । आजादी ने हमारे भीतर एक अदभ्य भावना का निर्माण किया है । और उसे हर कीमत पर कायम रखा जाना चाहिए । १४ नवम्बर को हमने एक संकल्प किया था, देश की रक्षा करने का, उसपर हम कायम हैं । कल गणतंत्र दिवस पर हमारे राष्ट्र के करोड़ों लोग अपने उस संकल्प को पुनः याद करेंगे । विभिन्न ढंगों से वे भारत माता की रक्षा करने की प्रतिज्ञा दोहरा देंगे ।

हम चीन के सैनिक बल से घबराने वाले नहीं । इस निडरता के साथ साथ हमें कुछ बुद्धि से भी काम लेना होगा, नहीं तो यह मूर्खता हो जायगी । हमें आज के संसार की सभी हलचलों का बुद्धि से पूर्ण अनुमान लगा कर आगे कदम बढ़ाना होगा ।

पिछले २० अक्तूबर पहली बार हिन्दुस्तान पर बड़े पैमाने पर हमला किया गया। उससे लगभग छः सप्ताह पूर्व, ८ सितम्बर को, चीनी सेनाओं ने, नेफा क्षेत्र में, थागला रिज को पार करना आरम्भ किया । बड़े पैमाने पर हमला २० अक्तूबर, को हुआ । उस से ३ या ४ दिन पश्चात २४ अक्तूबर को, चीनी सरकार ने त्रि-सूत्रीय प्रस्ताव पेश किया । वह प्रस्ताव चूंकि भारत के लिये असम्मानजनक थे,

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

इसलिये हम ने उन्हें २ या ३ दिन के अन्दर ही रद्द कर दिया। इस कारण, हमारे लिए कोई निश्चित नीति घोषित करना तथा कोई निश्चितप्रस्ताव पेश करना आवश्यक था। कुछ लोगों ने चीन के प्रस्ताव को 'शांति अभियान, का नाम दिया। हमें किसी निश्चित नीति को घोषित करने के साथ साथ, उस 'शांति-अभियान, का सामना भी करना था। उसी समय हम ने यह सुझाव दिया था कि यदि चीन ८ सितम्बर, १९६२ से पूर्व वाली स्थिति को बहाल कर दे, तो हम उस के साथ बातचीत के लिए तैयार होंगे। हमारा प्रस्ताव केवल भारत के लिए ही नही वरन चीन क लिए भी बहुत अच्छा थाक्योंकि दोनों देश बड़े देश हैं, और अपने सम्मान के प्रति जागरूक हैं, इसलिये किसी एक के लिए अपमान सहना असम्भव है .....(अन्तर्बाधायें)

अध्यक्ष महोदय : क्या बहादुरी सिर्फ इन इंटरपशंज ; है। अब जो उनका ख्याल है, उस को आप सुनिये। आप ने अपनीं तकरीरों में अपने ख्यालात का इजहार कर लिया है। अब आप उनकी बात सुन लीजिये।

श्री राम सेवक यादव : बहादुरी के बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूं। मैं बहुत बहादुर नही हूं। लेकिन मैं कायर भी नहीं हूं, उस तरह से जिस तरह से ये लोग बोल रहे हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : शाँन्ति, शान्ति। हर सदस्य ने अपने विचार व्यक्त किये हैं, प्रधान मंत्री भी ऐसा कर सकते है। अब सदस्य कृपया शांत रहें और उन को सुनें।

†**श्री जवाहरलाल नहरू** : मैं ते परोक्ष रूप में भी किसी विरोधी पक्ष के सदस्य की ओर निर्देश नहीं किया, फिर इस असाधारण भावुकता की क्या आवश्यकता है। मैं तो आराम से, शांतिपूर्वक तथा निर्पेक्ष ढंग से स्थिति का विश्लेषण करते का प्रयत्न कर रहा हूं।

इस ८ सितम्बर वाले प्रस्ताव को मैं ने कई बार संसद में, रेडियो पर यसार्वजनिक सभाओं में तथा प्रैस भी दोहराया है। श्री राम सेवक यादव द्वारा एक स्थानापन्न प्रस्ताव पेश किया गया था जिस का आशय८ सितम्बर वाले प्रस्ताव को अस्वीकार करने का था। वह स्थानापन्न प्रस्ताव लोकसभा द्वारा बहुमत से ठुकरा दिया गया था। तदन्तर, सरकार के कार्यों तथा नीतियों का समर्थन करेने वाला एक मूल प्रस्ताव पारित किया गया। मैं उन प्रस्तावों को पढ़ कर सुनाऊंगा। चर्चाधीन प्रस्ताव इंस प्रकार था :

"कि चीन के भारत पर हमले से उत्पन्न सीमा स्थिति पर विचार किया जाय"

अपने भाषण के दौरान मैं ने कहा था :

"इस के उत्तर में यह कहा गया था कि हम उन के साथ बातचीत तब तक नहीं करेंगे जब तक कि पिछले आक्रमण को समाप्त नहीं किया जाता, और नेफा तथा लद्दाख ८ सितम्बर १९६२, से पूर्व वाली स्थिति को बहाल नहीं किया जाता। पिछले कुछ मासों से यही हमारी नीति रही है। और इस से अधिक हम कुछ नहीं कर सकते। चूंकि हम शांति कायम करने के इच्छुक हैं, इस लिये हम ने यह सुझाव दिया है, और केवल इसी तरह से शांति स्थापित हो सकती है।"

---

†मूल अंग्रेजी में

अपने भाषण में मैं ने दो, तीन और अवसरों पर भी, इसका उल्लेख किया था। उसमें से मैं आगे पढ़ता हूं :

"हमने ८ सितम्बर, १९६२ से पहले की स्थिति को बहाल करने के लिये एक सीधा और साफ प्रस्ताव पेश किया था, जिस तिथि से अग्रेतर आक्रमण आरम्भ हुआ"

श्री राम सेवक यादव ने उस प्रस्ताव पर एक स्थानापन्न प्रस्ताव पेश किया था, जो इस प्रकार था :

"चीन के भारत पर हमले के फलस्वरूप उत्पन्न सीमा स्थिति पर विचार करते हुए, इस सभा की यह राय है कि भारत सरकार की इस नीति को, कि यदि चीनी आक्रमण-कर्ता सितम्बर, १९६२ वाली रेखा तक लौट जायें, तो उन के साथ बातचीत आरम्भ की जा सकती है, अस्वीकार किया जाय; और यह कि तब तक बातचीत न आरम्भ की जाय जब तक कि चीनी आक्रमणकर्ता भारत सीमा की उस रेखा तक न हट जायें जो १५ अगस्त, १९४७ को थी।"

इस स्थान पन्न प्रस्ताव पर सभा में मत विभाजन हुआ था। उस मत विभाजन में १३ सदस्य पक्ष में थे, और २८८ विपक्ष में।

†श्री हरि विष्णु कामत : (होशंगाबाद) मेरा एक औचित्य का प्रश्न है। मैं आप का तथा सभा का प्रधान मंत्री द्वारा अपने संसद के भाषणों में तथा रेडियो पर प्रसारित विचारों की ओर दिलाना चाहता हूं। उस के अंश मैं पढ़ कर सुनाऊंगा।

†अध्यक्ष महोदय : अन्य भाषणों की चर्चा नहीं करनी है। केवल जो चर्चा यहां पर हुई थी वह उस की ओर निर्देश कर रहे थे।

†श्री हरि विष्णु कामत : मेरा औचित्य का प्रश्न इस प्रकार है। आप को उस के बारे में विनिर्णय देना है। हर अवसर पर प्रधान मंत्री ने यह बात साफ की है कि सरकार इस प्रस्ताव पर वचनबद्ध है। यह तथ्य यहां अभिलिखित है। मैं एक वाक्य को पढ़ूंगा।

†अध्यक्ष महोदय : औचित्य का प्रश्न क्या हैं ? वह वाद-विवाद में से पढ़ कर नहीं सुना सकते।

†श्री हरि विष्णु कामत : यदि वह पढ़ सकते हैं, तो मैं भी अवश्य ही पढ़ सकता हूं।

†अध्यक्ष महोदय : प्रधान मंत्री तो भाषण दे रहे हैं।

†श्री हरि विष्णु कामत : औचित्य के प्रश्न का सम्बन्ध उन के वक्तव्य से ही है।

†अध्यक्ष महोदय : औचित्य का प्रश्न क्या है ?

†श्री हरि विष्णु कामत : सक्षेप में वह ऐसे हैं। प्रधान मंत्री का यह कथन है कि संसद् ने ८ सितम्बर वाले प्रस्ताव का समर्थन किया है। मैं भी इस से विपरीत नहीं कहता। परन्तु, यह कहना सर्वथा झूट है कि संसद् ने इस प्रस्ताव का एकमत से समर्थन किया। निश्चय ही इस प्रस्ताव का उस प्रकार सहर्ष तथा एकमत से समर्थन नहीं किया गया था, जिस प्रकार कि १४ नवम्बर वाले संकल्प का किया गया था। संसद् ने इस प्रस्ताव का उस प्रकार समर्थन नहीं किया जिस प्रकार प्रधान मंत्री कह रहे हैं। मुझे यही कहना है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : मेरे विचार में यह औचित्य का प्रश्न नहीं है। वह केवल इस अपदेश पर खड़े हुए हैं। मैं सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जहां वास्तव में औचित्य का प्रश्न न हो, वह इस प्रकार की उत्तेजना से प्रभावित न हों। कम से कम पुराने सदस्यों से आशा की जाती है कि वह इस प्रकार अन्तर्बाधा न डालें। (**अन्तर्बाधा**)

†**श्री हरि विष्णु कामत** : सभा ने एकमत से कभी इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया।

श्री किशन पटनायक (सम्बलपुर): मेरा प्वाइंट आफ आर्डर यह है कि श्री राम सेवक यादव का जो अमेंडमेंट है उस के गलत मतलब निकाले जा रहे हैं। उन का जो अमेंडमेंट. . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : आप बैठ जाइये।

श्री किशन पटनायक : मैं जो निवेदन करना चाहता हूं, उस को कम्पलीट कर लेने दीजिये। श्री राम सेवक यादव का यह अमेंडमेंट था कि १५ अगस्त, १९४७ की लाइन को माना जाय। उस को रिजैक्ट करने का मतलब यह कैसे होता है कि ८ सितम्बर की लाइन को माना गया है? आप इस के मतलब को साफ कर दें।

अध्यक्ष महोदय : बस यही है आप का प्वाइंट आफ आर्डर? आप ही बतलाइये कि इस में प्वाइंट आफ आर्डर कहां है? मैं समझता हूं कि इस तरह से खड़े हो जाना और प्रोसीडिंग्स को इंटरप्ट करना निहायत नावाजिब है। एक इंटरप्रेटेशन प्राइम मिनिस्टर साहब दे रहे हैं और उस के लिए प्रोसीडिंग्स पढ़ रहे हैं। दूसरे आदमी की राय इस से मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन इस में प्वाइंट आफ आर्डर कैसे हो गया?

†**श्री प्रिय गुप्त** : कि औचित्य के हेतु प्रश्न। एक समय केवल एक सदस्य बोल सकता है।

श्री किशन पटनायक : आप अपनी राय दे दीजिये।

अध्यक्ष महोदय : इसमें मेरी राय की जरूरत नहीं है और न इस में कोई प्वाइंट आफ आर्डर है। मैं मेम्बर साहबान से कहूंगा कि वे इस तरह के प्वाइंट आफ आर्डर न उठायें। अब प्रधान मंत्री को बोलने दीजिये।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं ने केवल स्थानापन्न प्रस्ताव के शब्दों को पढ़ा था। इस का अर्थ निकालना माननीय सदस्यों का काम है। मैं इस स्थानापन्न प्रस्ताव को एक बार फिर पढ़ूंगा।

तदन्तर, श्री विद्या चरण शुक्ल द्वारा एक संशोधन प्रस्थापित किया गया कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर यह प्रस्ताव रखा जाय कि :—

> "चीन द्वारा भारत पर हमले से उत्पन्न सीमा स्थिति का विचार कर के, यह सभा, सरकार द्वारा, स्थिति का सामना करने के लिए, किये गये कार्यों तथा उस की नीति का, समर्थन करती है।

यह प्रस्ताव, मतदान के बगैर ही, लगभग एकमत से पारित कर दिया गया था, यद्यपि कुछ सदस्य सहमत नहीं भी थे। (**अन्तर्बाधायें**)

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति। उन्होंने कहा है "लगभग एकमत" से।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं निश्चय ही यह नहीं कहता कि आचार्य रंगा इस से सहमत थे। शायद वह किसी भी अच्छी बात पर सहमत नहीं होंगे। मैं जानता हूं कि मैं जो भी प्रस्ताव रखूंगा श्री रंगा उस से सहमत नहीं होंगे।

†**श्री रंगा** : जब तक मैं आपसे सहमति प्रकट करता था, तब तक मैं अच्छा आदमी था।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : कुछ शब्दों के लिए बहस करने का सवाल नहीं है। सभा द्वारा जो निश्चय कर लिया गया है, उस में तर्क की गुंजाइश ही नहीं है।। यही बात संसद् कार्य-संचालन के अनुकूल है। सरकार के लिये यह सम्भव ही नहीं है, कि हर मामले में पग उठाने से पहले वह संसद् की स्वीकृति ले। सरकार सामान्य नीति ही सभा के समक्ष रखती है, और उस के निर्णयानुसार उसे कार्य करना होता है। यदि संसद् उस नीति को अस्वीकार करे तो सरकार को उस में परिवर्तन करना पड़ता है। विशेषकर इस मामले में, किसी भी कानून के अनुसार या संविधान के अनुसार, सरकार को इस सभा से — मैं १० दिसम्बर की बात कर रहा हूं—राय जानने के लिए आने की आवश्यकता नहीं थी। ८ सितम्बर की रेखा वाला प्रस्ताव चीनियों के पहले प्रस्ताव के प्रतिवाद में पेश किया गया था। परन्तु, हम फिर भी यहां आये, और इस समय आये जबकि इस प्रस्ताव की चर्चा मेरे द्वारा तथा अन्य जनमत के साधनों द्वारा २ मास तक हो चुकी थी। सभा को विशेषकर इस का ज्ञान था। मैं स्वयं यहां पर आया और मैंने कहा कि : "यह हमारी नीति है", और तदन्तर, श्री राम सेवक यादव द्वारा प्रस्तुत स्थगनापन्न प्रस्ताव के अस्वीकार किये जाने के पश्चात्, एक संकल्प सभा द्वारा पारित किया गया, जिस के अनुसार सभा ने सरकार के कार्यों तथा नीति का समर्थन किया। मेरे विचार में ऐसा ही हुआ था। इस बारे में कोई सन्देह कैसे हो सकता है ? इस का परिणाम क्या हुआ ? परिणाम यह हुआ कि सभा ने सरकार की ८ सितम्बर वाली नीति का अनुमोदन किया। यही मैं आप को कहना चाहता हूं। बेशक, अब कोई इस तथ्य को स्वीकार न करे। परन्तु हर पहलू से यह बात स्पष्ट हो गई थी (**अन्तर्बाधायें**)

†**एक माननीय सदस्य** : नहीं, जनाब।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं यहां तक कहने को तैयार हूं कि सिवाय आचार्य रंगा के समस्त सभा ने इस का समर्थन किया था। यह हर समय सभा के अधिकार में है कि वह चाहे तो किसी पूर्व में स्वीकृत बात को भी बाद में अस्वीकार कर दे। वह बात अलग है। मैं सभा के अधिकारों को चुनौती नहीं देता। मैं केवल एक अभिलिखित तथ्य की चर्चा करते हुए बता रहा हूं कि यह मामला सभा के समक्ष आया; और बार बार इसे, मेरे द्वारा, सभा के भाषण में तथा अन्य सार्वजनिक वक्तव्यों में, दोहराया गया। तदन्तर, सरकार की नीति की सभा द्वारा पुष्टि की गई। इस बारे में कोई सन्देह नहीं है। उस नीति में, उस समय, यही विशेष बात थी, अन्य बातों का निर्णय पहले ही हो चुका था। इसलिए, मेरा निवेदन है कि इस विशेष मामले में न केवल सरकार ही बल्कि सभा भी सहमत हुई थी।

उसी समय, जब हम इस मामले पर सभा में चर्चा कर रहे थे, तो लंका के प्रधान मंत्री द्वारा आयोजित सम्मेलन की बैठक भी हो रही थी। लंका के प्रधान मंत्री ने इस बारे में, नवम्बर में किसी समय, उपक्रम किया। शायद यह उपक्रम नवम्बर के तीसरे सप्ताह में किया; और उन्होंने बैठक के लिए १ दिसम्बर का सुझाव दिया। उन्होंने इस विषय में हम से विचार विमर्श नहीं किया। हमें केवल उसी समय सूचना मिली जब यह सम्मेलन आयोजित किया गया। उन का अन्य देशों से विचार करना स्वाभाविक ही था। हम ने, एक प्रकार से, उन के उपक्रम का स्वागत

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहर लाल नेहरू]

किया, और तत्पश्चात् बैठक की तिथि में परिवर्तन करके एक दिसम्बर की बजाय १० दिसम्बर कर दी गई । और उस तिथि को इधर हमारी लोक-सभा की बैठक थी, उधर कोलम्बो में सम्मेलन आरम्भ हुआ । तदन्तर, उन्होंने कुछ संकल्प पारित किये जिस की प्रतिलिपियां हमें भी दी गईं । परन्तु उन्होंने साफ कह दिया था कि हम उन प्रस्तावों को गुप्त रखें, तब तक जब तक कि वह स्वयं हमारे पास नहीं आते । कुछ दिन पश्चात्, लंका के प्रधान मंत्री, अपने कुछ साथियों सहित, पीकिंग गईं, इन संकल्पों पर चर्चा के लिए और तदुपरान्त वह हमारे देश में आईं ।

अन्य देशों के दो प्रतिनिधि भी उन के साथ थे, एक अरब संघ गणराज्य के प्रधान मंत्री तथा दूसरे घाना के न्याय मंत्री । सर्वप्रथम, हम ने उन्हें इन संकल्पों के भावार्थों को साफ करने के लिए कहा, और पूछा कि क्या इन के निर्वाचनों में कोई सन्देह वाली बात तो नहीं है । यह जाहिर था कि संकल्पों के कुछ अंशों के अर्थ भिन्न भिन्न निकाले जा सकते हैं । इस कारण, उन को हम ने उन अर्थों के स्पष्टीकरण के लिए कहा । हम ने उन्हें कुछ प्रश्न पूछे जिस के उत्तर में उन्होंने लिखित रूप में हमें अपनी व्याख्यायें तथा विस्तारण दिये । तब हम ने कोलम्बो संकल्पों पर, मूल रूप में, उन के द्वारा दिये गये विस्तारणों सहित, विचार किया; और विचार करने के पश्चात् हम इस निर्णय पर पहुंचे कि वह हमारे द्वारा ८ सितम्बर वाली मांग को सार रूप में पूरा करते हैं । तब हम ने उन्हें बताया कि सिद्धान्ततः हम उन प्रस्तावों को सरकार की ओर से स्वीकार करते हैं; परन्तु हम चाहते हैं कि इन प्रस्तावों को हम संसद् के सम्मुख रख कर, उस की प्रतिक्रिया देख कर, अन्तिम उत्तर आप को दें ।

अब, मैं यह बताना चाहूंगा कि सितम्बर के प्रस्ताव का मामले के गुणावगुण के साथ कोई सम्बन्ध नहीं था । कोलम्बो शक्तियों ने कहा था कि वह ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर देना चाहते हैं जिस में दोनों पक्षों के लिए आपस में बातचीत करना सम्भव हो जाय; अतः वह केवल तनाव को कम कर के बातचीत का वातावरण उत्पन्न करना चाहते हैं । इसी बात पर विचार हम आज कर रहे हैं ।

जब कोलम्बो शक्तियों के प्रतिनिधि यहां पर आये तो उन्होंने हमें बताया, इसे हम पहले भी सुन चुके थे, कि उन प्रस्तावों के प्रति चीन का सकारात्मक प्रतिचार है । तदन्तर, यह मालूम हुआ कि वह तथाकथित सकारात्मक प्रतिचार कई महत्वपूर्ण तरीकों से सीमित तथा प्रतिबन्धित है । अभी अभी मैं सभा के सामने उन में से एक या दो का उल्लेख करूंगा । कुछ भी हो, यह हमें मालूम हो गया कि उन प्रस्तावों को, कोलम्बो शक्तियों द्वारा दिये गये विस्तारणों सहित, चीनी सरकार ने पूर्ण रूप में स्वीकार नहीं किया । हम ने उन्हें स्पष्ट रूप में बता दिया कि हमारा उन के प्रस्तावों को सिद्धान्त रूप में मानने का अर्थ यह है कि हम उन्हें उन के द्वारा निकाले गये अर्थों तथा विस्तारणों के अनुसार स्वीकार करते हैं । हम ने उन्हें उन प्रस्तावों में परिवर्तन लाने या फेरबदल करने के लिए नहीं कहा, यद्यपि हम चाहते तो ऐसा कर सकते थे; हम उन समस्त प्रस्तावों को उसी रूप में रखना चाहते थे । यदि हम कुछ परिवर्तन के लिए आग्रह करते तो यकीनन वह फिर पीकिंग जाते और उन परिवर्तनों को स्वीकार करवाने का प्रयत्न करते । कुछ भी हो, हम ने उन प्रस्तावों को उस रूप में स्वीकार किया, जिस रूप में वह चीन को, बाद में, स्वीकार्य नहीं थे । उन्होंने प्रस्तावों के अर्थ भिन्न निकाले थे ।

अब मैं प्रस्तावों के विषय में बोलूंगा, क्योंकि सभा में बहुत कुछ कहा गया है जिसे सुन कर मुझे आश्चर्य हुआ । प्रत्येक सदस्य अपनी विचारधारा रखने का अधिकारी है कि यह प्रस्ताव

अच्छे हैं या अलाभदायक; परन्तु किसी तथ्यहीन तथा आधाररहित बात का कहना अनुचित है। मैं चाहता हूं कि वह सदस्य जिन्होंने कहा है कि यह प्रस्ताव "भारत के लिए राजनीतिक, सैनिक तथा अन्य दृष्टियों से घातक हैं," एक बार फिर इन पर विचार करें। मैं यह फिर कहता हूं कि इन प्रस्तावों द्वारा हमारे ८ सितम्बर वाले प्रस्ताव का लक्ष्य सारभूत रूप में पूरा हो जाता है। मैं यह बता चुका हूं कि किस प्रकार ८ सितम्बर वाला प्रस्ताव उचित था। उस के पश्चात्, जब यह कोलम्बो प्रस्ताव हमारे समक्ष आये, तो हमें कोलम्बो शक्तियों के साथ समस्त स्थिति के बारे में चर्चा नहीं करनी थी; हमें उन के साथ मामले के गुणावगुणों में जा कर उन्हें यह बताना नहीं था कि किस प्रकार चीन ने हमारे साथ विश्वासघात किया। अनौपचारिक रूप से हमारी उन के साथ बातचीत बेशक हुई। परन्तु, इन प्रस्तावों के सम्बन्ध में हमें केवल यह देखना था कि क्या यह हमारी ८ सितम्बर वाली रेखा के साथ मेल खाते हैं कि नहीं। जहां यह हमारे प्रस्ताव से मेल नहीं खायें वहां हमें स्पष्टतया उन्हें अस्वीकार करना था। यदि वह हमारे हितानुसार थे तो हमें उन प्रस्तावों को स्वीकार करना ही था।

हम इस निर्णय पर पहुंचे कि वह हमारी ८ सितम्बर वाली मांग के अनुसार ही हैं। जहां कहीं हमें किसी भिन्नता का लक्षण मिला, हम ने साफ तौर से सुझाव दिया कि ८ सितम्बर वाली स्थिति को बहाल करना आवश्यक है। उन का दृष्टिकोण हम से भिन्न था, परन्तु अन्त में वह उसी निर्णय पर पहुंचे जिस से हमारी ८ सितम्बर वाली स्थिति बहाल हो जाती थी। कुछ मामलों में वह ऐसे निर्णयों पर नहीं पहुंचे; परन्तु अन्य मामलों में हमें अपनी इच्छा से भी बढ़ कर लाभ प्राप्त हुआ।

†**श्री हरिविष्णु कामत** : उन कुछ मामलों तथा अन्य मामलों को विस्तार से कहिए।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : उदाहरणार्थ, मैं लद्दाख क्षेत्र सम्बन्धी एक दो बातों का उल्लेख करूंगा, जोकि इस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। मध्यम खण्ड में कोई घटना नहीं हुई है; वहां पर ८ सितम्बर से पूर्व वाली स्थिति रही है; और इन प्रस्तावों के अनुसार भी वही स्थिति रहेगी, जब तक कि इस में किसी प्रकार का परिवर्तन न लाया जाय। नेफा क्षेत्र में, चीनी या तो हट गये हैं या समस्त क्षेत्र से हटने वाले हैं।

†**श्री हेम बरुआ** (गौहाटी) : वास्तव में स्थिति इस प्रकार नहीं है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। कोलम्बो प्रस्तावों में यह कहीं भी नहीं कहा गया कि चीनी सेनायें धोला और लौंगजू से पीछे हटें, हालांकि ८ सितम्बर से पूर्व वह इन क्षेत्रों में कहीं भी नहीं थे।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य को धैर्य रखना चाहिए। प्रधान मंत्री इन बातों का वर्णन करने ही वाले थे।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वह शांतिपूर्वक सुनने की आदत डालें।

†**श्री हेम बरुआ** : मैं ने सुना है। मैं तो केवल यह कहता हूं कि शब्द "समस्त क्षेत्र से" नहीं होने चाहिएं।

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति। वह उसी बात की चर्चा करने वाले हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री जवाहरलाल नेहरू : हम संसदीय रूढ़ियों का विकास कर रहे हैं। पूर्व इस के कि मैं एक पंक्ति समाप्त करूं, माननीय सदस्य अन्तर्बाधा डाल देते हैं। यहां पर औचित्य प्रश्न के आधार पर अन्तर्बाधायें डालने का क्रम, संसदों के इतिहास में, एक विचित्र आविष्कार है।

†श्री हेम बरुआ : मैं ने तो ऐसा नहीं किया।

†श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं आप से नहीं कह रहा।

†श्री प्रिय गुप्त : समयानुसार रूढ़ियों में भी परिवर्तन होते रहते हैं।

†अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति। माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें।

†श्री हेम बरुआ : प्रधान मंत्री को इस प्रकार हमें बुरा-भला कहने का अधिकार नहीं है।

†श्री हरिविष्णु कामत : हम भी वैसा ही कर सकते हैं, परन्तु हम ऐसा करना नहीं चाहते।

†श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं माननीय सदस्य से पूर्णतया सहमत हूं कि प्रधान मंत्री को किसी प्रकार भला-बुरा कहने का अधिकार नहीं होना चाहिए।

†श्री हरिविष्णु कामत : आप स्वयं दूसरों के लिए आदर्श कायम कीजिये।

†श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं पूर्णतया सहमत हूं। यदि मेरा यह कहना, कि सदस्यों को तब तक अन्तर्बाधा नहीं डालनी चाहिए जब तक मैं अपनी बात न कह लूं, जब तक मैं एक या कम से कम आधी पंक्ति भी न कह सकूं ; अथवा यह कि यहां पर औचित्य प्रश्न उठाने का विचित्र तरीका है, गाली समझा जाता है, तो मैं भाषा को नहीं समझता।

मैं ने केवल यह कहा था कि कोलम्बो प्रस्तावों के अनुसार, नेफा क्षेत्र में, हम उन दो स्थानों के अलावा और समस्त क्षेत्र में जा सकते है। उन दो स्थानों के बारे में अग्रेतर चर्चा द्वारा निर्णय होगा। उन प्रस्तावों के अनुसार इन के बारे में कोई निर्णय नहीं किया गया। वह दो स्थान है : धोला रिज और लांगजू के समीप कुछ क्षेत्र।

†श्री हरिविष्णु कामत : थागला रिज का क्या हुआ ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : जहां तक लांगजू का सम्बन्ध है, इन प्रस्तावों के अनुसार तथा हमारे ८ सितम्बर वाले प्रस्ताव के अनुसार किसी निर्णय की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम ने उन्हें ८ सितम्बर की सीमा रेखा तक हट जाने के लिए कहा है। लांगजू ८ सितम्बर वाली रेखा के ऊपर ही स्थित है। इसलिए इस बारे में प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। मैं लांगजू के इतिहास में जा कर यह देखना नहीं चाहता कि वह वहां पर कैसे है, और फिर, कि वह वहां से हट जायें या हम हट जायें ; और यह कि क्या ऐसा करना उचित है अथवा अनुचित। यह मामला बिल्कुल अलग है। परन्तु, ८ सितम्बर वाली रेखा के अनुसार लांगजू पर प्रभाव नहीं पड़ता। धोला पर निश्चय ही पड़ता है।

†श्री हेम बरुआ : लांगजू पर भी असर पड़ता है।

†श्री जवाहरलाल नेहरू : कुछ भी हो, लांगजू और धोला के बारे में बातचीत तथा विचार होना है। जहां तक हमारा सम्बन्ध है, हम ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि धोला तथा लांगजू. . . .

†श्री त्यागी : यदि धोला तथा लांगजू के बारे में भविष्य में चर्चा होनी है तो हमें उन के बारे में किसी प्रकार की टीका नहीं देनी चाहिए।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : हम टीका नहीं दे रहे हैं। इस विषय में कोलम्बो शक्तियों ने और हम ने बात स्पष्ट कर दी है। लांगजू के बारे में, मैं ने कई बार दोहराया है कि प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। मैं सभा से निवेदन करूंगा कि हमें इस विषय पर ८ सितम्बर वाली रेखा की दृष्टि से विचार करना है, गुणावगुणों के आधार पर नहीं। ८ सितम्बर की रेखा के अनुसार लांगजू एक सीमान्त ग्राम है जिस का आधा भाग हमारे पास है और आधा उन के पास। धोला चौकी भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। हमारी स्थिति इस प्रकार थी और अब भी है कि धोला और उस से इधर वाले क्षेत्र से चीनी हट जायें। इस से, यदि आप मेरे द्वारा बताई गई स्थिति को स्वीकार करें, तो नेफा में कोई झगड़ा नहीं रहता।

वर्तमान स्थिति इस प्रकार है : जैसाकि मैं ने कल भी कहा था, कि चीनी समस्त नेफा से हट गये हैं, सिवाय एक छोटे से क्षेत्र के जोकि थागला रिज के पास है और जिस का कि फैसला अभी होना है। इस बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। कोलम्बो शक्तियों द्वारा हमें यह आश्वासन दिलाया गया है कि हम इन सब क्षेत्रों में जा सकते है।

लद्दाख के बारे में, जो सदस्यों के लिए अधिक चिन्ता का विषय रहा है, प्रजा समाजवादी दल के नेता से मुझे यह सुन कर आश्चर्य हुआ कि वह उस में सन्देह रखते हैं कि चीनी केवल २० किलोमीटर ही आगे बढ़े हैं। मैं नहीं जानता कि वह किस प्रकार और किस स्थान से मापते हैं।

इन क्षेत्रों में फासलों को मापना बहुत कठिन है, क्योंकि वहां इस पर बहुत निर्भर करता है कि आप कहां से मापते हैं। जैसाकि माननीय सदस्य जानते हैं, वहां कोई सीधी रेखा नहीं है। लगभग ४० हमारी चौकियां वहां पर हैं और इतनी ही चीनियों की भी हैं। यह सब मिली जुली हैं। समस्या यह है कि कहां से मापना आरम्भ करें? वास्तव में, लद्दाख क्षेत्र में चीनी २० किलोमीटर से कम ही आगे बढ़े हैं। ८, १० या १२ किलोमीटर्ज़ वह साधारणतया आगे बढ़े हैं।

एक या दो स्थानों में, विशेष कर दक्षिण की ओर, वह शायद २० किलोमीटर से अधिक बढ़े हैं। परन्तु, वहां भी यह देखना पड़ेगा कि आप कहां से मापना आरम्भ करते हैं। कुछ भी हो, हमें तो यह देखना है कि यह हमारी ८ सितम्बर वाली मांग से किस प्रकार मेल खाते हैं। यदि इस ८ सितंबर वाली रेखा को देखा जाय, तो इस का यह अर्थ होगा कि हमारी और चीनियों की भी सारी चौकियां वहां पर रहें, क्योंकि वह ८ सितम्बर से पूर्व भी वहां पर थीं। वह चौकियां नई नहीं बनाई गईं। हमारी चौकियां, बेशक, इस आक्रमण के फलस्वरूप वहां नहीं रही थीं। इस का अर्थ यह हुआ कि हम अपनी छोड़ी हुई चौकियों पर चले जायेंगे, और चीनी अपनी लगभग ४० चौकियों पर रहेंगे। चीनियों की चौकियां सामरिक दृष्टि से हमारे मुकाबले में अधिक लाभदायिक स्थिति में रहेंगी। इस स्थिति में, कोलम्बो प्रस्तावों के अनुसार इन अधिक सशक्त चौकियों को हटा लिया जायगा जोकि हमारे लिए बहुत लाभदायक हैं। इस समय हम उन चौकियों पर नहीं हैं। उन प्रस्तावों के अनुसार उन क्षेत्रों में हमारी और चीन की कुछ असैनिक चौकियां होंगी। वह चौकियां करार के अनुसार भागिता में न हो कर, अलग अलग होंगी। मैं नहीं समझ पाया कि किस प्रकार, चीनियों द्वारा उन चौकियों से हट कर, असैनिक चौकियां स्थापित करने को उस क्षेत्र में भागिता नियंत्रण का नाम दिया जा सकता है। इस से, मेरे विचार में, चीन को इस क्षेत्र में कोई अधिकार नहीं मिल जाते। मुख्य प्रश्न चीनियों के हटने तथा किस सीमा तक हट जाने का है, ताकि वहां पर हम अन्य पग उठा सकें। गुणावगुण के आधार पर क्या हम उन के वहां से हट जाने का विरोध करते हैं? क्या हमें यह कहना चाहिए कि यदि आप वहीं पर रहें? अथवा यह कहें कि आप वहां से हट जायें? इस विषय में जो तर्क दिया गया है वह मेरी समझ में नहीं आया।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हरि विष्णु कामत** : ऐसा कैसे हो सकता है कि वह पीछे भी हट जायें और वहां रहें भी ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : वह अपनी सारी सैनिक चौकियां हटा लेंगे । समानता और बराबरी के आधार पर जितनी हम लोग निश्चित करेंगे उतनी ही असैनिक चौकियां वह वहां रखेंगे । यह ठीक है कि प्रशासन आदि का प्रश्न उठने पर कुछ कठिनाई होगी । किन्तु ऐसा प्रश्न वहां उठता ही नहीं । वह सैनिकों से रहित विसैन्यीकृत क्षेत्र होगा जहां से चीनी सैनिक हटेंगे, हमारे नहीं । क्योंकि हमारे सैनिक तो वहां हैं ही नहीं ।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** (मंदसौर) : हम उस क्षेत्र को खाली कर रहे हैं और उन्हें उस पर शांतिपूर्वक अधिकार करने दे रहे हैं ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मुझे खेद है कि मेरी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण नहीं है । जितनी माननीय विरोधी दल के सदस्यों की । सामान्य किन्तु व्यावहारिक बुद्धि ही तथ्यों को समझ सकती है ।

जो भी हो मैं इस सभा से यह निवेदन करना चाहता हूं कि लद्दाख के उस क्षेत्र के सम्बन्ध में कोलम्बो प्रस्ताव सभी दृष्टिकोणों से निश्चित रूप से अधिक अच्छे हैं ।

†**श्री हेम बरुआ** : नहीं, नहीं ।

†**श्री फ्रैंक एन्थनी** (नामनिर्देशित—आंग्ल-भारतीय) : नहीं, नहीं, । (**अन्तर्बाधायें**)

†**श्री किशन पटनायक** (सम्बलपुर) : इस प्रकार की बात कहना देशद्रोह है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति । माननीय सदस्य भिन्न प्रकार का मत रख सकते हैं । किन्तु क्या प्रधान मंत्री को अपना मत अभिव्यक्त करने का अधिकार नहीं है ?

श्री बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, आन ए प्वाइंट आफ आर्डर । मेरा कहना यह है कि वैसे तो प्रधान मंत्री महोदय हाउस का मान होना चाहिए, यह बात बहुत कहते हैं लेकिन कायदा, कानून क्या यह इजाजत देता है कि जब अध्यक्ष महोदय खड़े हों तब भी प्राइम मिनिस्टर स्तंभ की तरह खड़े रहते हैं लेकिन उस के मुकाबले यदि कोई दूसरा मेम्बर खड़ा होता है तो उस को कहा जाता है कि यह हाउस के कायदे, कानून के खिलाफ है । मैं इस पर रूलिंग चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं कह चुका हूं कि जब अध्यक्ष खड़े हों तब कोई मेम्बर खड़ा नहीं हो सकता । अब कोई मेम्बर में मिनिस्टर भी शामिल है यह कौन नहीं जानता ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : श्रीमान्, मेरा इन दलीलों का दुहराना उचित नहीं, क्योंकि यह दिन की रोशनी की तरह साफ़ है । कोलम्बो प्रस्तावों में सुझाया गया यह विसैन्यीकृत क्षेत्र तथा और सब बातें, क्योंकि अभी कोई भी पक्ष किसी भी वस्तु को नहीं छोड़ रहा, अस्थायी ही है । विसैन्यीकृत क्षेत्र बनाया जाना हमारे लिए सैनिक चौकियां बनाये रखने से जो उन की सैनिक चौकियों के साथ मिली जुली होने के कारण कठिनाई उत्पन्न कर रही हैं, सैनिक अथवा राजनैतिक, हर दृष्टिकोण से अधिक लाभकारी है । सिविलियन से भिन्न दूसरे लोगों ने भी यही राय दी है । माननीय सदस्य यदि दूसरा दृष्टिकोण रखना चाहे तो वह इस के लिए स्वतंत्र हैं । मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता । जो चीज साफ़ है उसे देखने में उन की सहायता नहीं कर सकता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेम बरुआ** : यह ८ सितम्बर वाला प्रस्ताव नहीं है । वह बिना शर्त पीछे हटने का था (**अन्तर्बाधायें**) । वह भ्रम में डाल रहे हैं ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : ८ सितम्बर वाला प्रस्ताव ८ सितम्बर की स्थिति कायम करने के बारे में था । इस स्थिति का मतलब है चीनियों और हमारी दोनों की चौकियां इस क्षेत्र में बिखरी हुई हों और चीनी चौकियों में बहुत बड़ी संख्या में सैनिक हों । ऐसी ही बात थी । यह लाभदायक स्थिति नहीं थी । मान लो कि वह कहें कि जो आप चाहते है हम देने के लिए तैयार है । हमें इसे स्वीकार करना पड़ेगा क्योंकि हम ने ऐसी ही मांग की थी ।

श्री बागड़ी: : क्या उन चौकियों के नाम मेंशन किये गये है या नहीं ?

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : इन को स्वीकार किये जाने के बाद भी ८ सितम्बर वाली स्थिति कायम नहीं होगी ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यह ८ सितम्बर की पूर्वस्थिति कायम किये जाने से ज्यादा अच्छा होगा । इसलिए चीन इन्हें स्वीकार नहीं करता (**अन्तर्बाधायें**) :

†**एक माननीय सदस्य** : वह अधिक चाहते है ।

श्री बागड़ी : स्पीकर साहब, ...

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर । क्या इस तरह से हाउस में कोई काम चल सकेगा ?

श्री बागड़ी : यह तो आप प्राइम मिनिस्टर से पूछिए । प्राइम मिनिस्टर खुद ऐसे हालात पैदा कर रहे है ।

अध्यक्ष महोदय : जब प्राइम मिनिस्टर यहां पर बोलेंगे, तो वह अपनी राय, अपने ख़याल और गवर्नमेंट का एटीट्यूड रखेंगे । अगर आप उन को नहीं सुनना चाहते, तो क्या मैं उन को बन्द कर दूं ? यह उन का ख़याल है और अगर आप उस से एग्री नहीं करते हैं और वह आप की मुआफ़िक़त में न भी हो, तो उस को सुनना तो पड़ेगा । जब वक्त आयेगा, तो इस का फ़ैसला तो यह हाउस ही देगा ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : इसलिए लद्दाख के विषय में यह कोलम्बो प्रस्ताव प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से न तो विभाजन चाहते हैं न इसे स्वीकार करते हैं । यह एक अस्थायी प्रबन्ध है जिसके स्वीकार नहीं किये जाने का यह अर्थ होगा कि और कुछ किये जाने तक वह क्षेत्र उसी के नियंत्रण में रहे ।

अब मैं एक बात को जिसे मैंने राज्य सभा में कहा था और जिसकी ओर श्री कामत तथा कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने निर्देश किया था स्पष्ट कर देना चाहता हूं । मैं समझता हूं मैं ने यह कहा था कि प्रथा यह है कि सरकार सभा को तथा संसद् को पूरी जानकारी देती रहे । सरकार के लिए यह ज़रूरी नहीं है कि वह अपने द्वारा उठाये जाने वाले हर कदम को सभा के सामने लाये और उस पर मतदान करवाये । बहुत सी बातों के सिलसिले में सरकार को किसी विशेष स्थिति में कदम उठाना पड़ता है । मान लीजिये युद्ध होता है । इस में जनरल सरकार को बताये बग़ैर ही कदम उठाते हैं । कभी-कभी वह महत्वपूर्ण बातों पर सरकार से सलाह, यदि ले सकें तो, लेते हैं । किन्तु हमेशा ऐसा नहीं कर सकते । इसलिये इन सब बातों में सरकार ऐसे कदम जो स्वीकृत सामान्य नीति के अनुसार हैं उठा सकती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस विषय में, जैसा कि मैं ने कहा है, हमारी सामान्य नीति सभा के सामने लाई गयी है और सभा द्वारा कई बार इसका अनुमोदन किया गया है। इसलिए सरकार उस सीमा के अन्दर वह कदम, चाहे उस विशेष कदम का अनुमोदन किया गया हो अथवा नहीं किन्तु वह उस नीति के अनुसार हो, उठाती है। मुझे किसी भी संवैधानिक परम्परा के अनुसार इस विषय को सभा के सामने लाने की आवश्यकता नहीं थी। किन्तु मैंने उसे उचित नहीं समझा खास तौर पर उस समय जब कि सभा की बैठक होने वाली थी। इसलिए मैं इसे सभा के सामने लाया और इसके लिये मुझे खुशी है।

इससे सभा के सामने लाने के बाद अब क्या करना है? इसके अनुमोदन के लिये मैं कोई मूल प्रस्ताव सभा के सामनें लाना इसलिए आवश्यक नहीं समझता था कि यह सभा द्वारा अनुमोदित सामान्य नीति के ही अन्तर्गत आ जाता है। मैंने यह भी सोचा कि यदि मैं सारी स्थिति . . .

†श्री नाथ पाई : यह सच नहीं है।

†श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं नहीं जानता माननीय सदस्य क्या समझ रहे हैं। यदि सभा की इच्छा हो तो मैं इसे अभी और इसी समय रख सकता हूं . . .

†कुछ माननीय सदस्य : हां, हां।

†श्री जवाहरलाल नेहरू: मैं तैयार हूं। मैं दो कारणों से इसे सभा के सामने नहीं लाया। पहला जैसा मैंने कहा यह था कि मैं इसे ज़रूरी नहीं समझता था और मैं नहीं चाहता था कि संसद् से हर विषय पर मत लिया जाना एक पूर्वोदाहरण बने। ऐसा पूर्वोदाहरण अच्छा नहीं। दूसरे संसदों में ऐसा नहीं किया जाता। दूसरी बात यह है कि चूंकि चीन सरकार ने अपना अन्तिम उत्तर नहीं दिया है सभा के लिये यह वांछनीय होगा कि वह इस विषय को सामान्य नीति की सीमा के अन्दर निबटाने के लिये सरकार के ऊपर छोड़ दे। किन्तु यदि किसी को यह सन्देह है कि यह ठीक रास्ता नहीं है तो मैं आप को और सभा को यह सुझाव दूंगा कि मुझे इसका इधर या उधर फैसला करवाने के लिये अभी और इसी समय संशोधन प्रस्तुत करने की आज्ञा दी जाय. . . (अन्तर्बाधाएँ)।

†श्री भुरेन्द्रनाथ द्विवदी : सरकार की सामान्य नीति का अनुमोदन करते समय हम नीति का मतलब उस नीति से समझे थे जिसे सभा ने १४ नवम्बर को स्वीकार किया था। किन्तु प्रधान मंत्री कहते हैं कि यह प्रस्ताव भी उसी के अन्तर्गत आ जाते हैं।

†श्री जवाहरलाल नेहरू : मुझे खेद है कि माननीय सदस्य ने गलत समझा। यदि इसे समझदारी से देखा जाय तो यही पता चलेगा कि ऐसा नहीं था। थोड़े समय के लिये संसद् की बात छोड़ दीजिये। सरकार एक दिशा पर कार्य करने को वचनबद्ध है जब तक संसद् के द्वारा नहीं रोका जाता उसी दिशा की ओर कार्य करती रहती है। इसे करना ही पड़ता है। सरकार इन बातों के बारे में पशोपेश में नहीं रह सकती। हम यह कह चुके हैं। पहली बात तो यह है कि जैसा कि मैंने कहा है कि जहां तक संसद् का सवाल है उसने ८ सितम्बर रेखा का नीति रूप में अनुमोदन कर दिया है। अब इस बात के समझने का प्रश्न पैदा होता है कि कोलम्बो प्रस्तावों में ८ सितम्बर की रेखा को कहां तक स्वीकार किया गया है। यही मुख्य प्रश्न है जिस पर कि सरकार को विचार करना है और हम ने बता दिया है कि हम इन्हें सिद्धान्त रूप में मानते हैं। हम ने सोचा कि हम उन्हें मंजूर कर लें। लेकिन हमारे ही मान लेने से बात नहीं बनती क्योंकि इसका सम्बन्ध चीन से भी है। चीन ने अभी तक इनको नहीं माना और में नहीं जानता कि वह इस बारे में क्या करेगा। लेकिन हम पशोपेश में नहीं रह सकते। हमें लंका की प्रधान मंत्री को बतलाना है कि हमारी स्थिति क्या है।

---

†मूल्य अंग्रेजी में

जैसा कि मैंने आप को बतलाया मैं उन्हें सूचित कर दूंगा । इसलिये विरोधी सदस्यों ने जो यह कहा कि मैं ने नवम्बर वाली बात के कारण मूल संकल्प पेश नहीं किया है इसे मैं बिल्कुल नहीं समझ पाया । इस वक्त हमें इससे क्या मदद मिल सकती है ? इसमें शक नहीं कि हम ८ नवम्बर वाली बात पर जमे हुए हैं । और यही बात कल हिन्दुस्तान में हज़ारों जगहों पर दोहराई जायेगी । यह एक अलग बात है । लेकिन उस बारे में हमें कुछ न कुछ ज़रूर कहना है । हमें "हां" या "ना" में जवाब देना है । इसलिये यह सभा को बताना है कि हमें "हां" कहना है या "ना" ।

†कुछ माननीय सदस्य : हां ।

†कुछ माननीय सदस्य : नहीं ।

†अध्यक्ष महोदय : यह सब क्या है ? इसे कैसे अभिलिखित किया जायगा, क्या मैं जान सकता हूं ?

†श्री रंगा : उन्हें वह उत्तर भी मिल गया है ।

†अध्यक्ष महोदय : वह अपने विषय पर तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं । और जहां "नहीं" की आवाज़ें हैं वहां "हां" की भी हैं । किन्तु मैं सभी माननीय सदस्यों से पूछ रहा हूं । एक पक्ष से ही नहीं . . . . (अन्तर्बाधाएं)

†श्री रंगा : आपको संतुलन नहीं खोना चाहिये ।

†अध्यक्ष महोदय : क्यों नहीं ? यदि कार्यवाही शान्तिपूर्वक नहीं चलती तो मुझे उसकी व्यवस्था करना है ।

†श्री रंगा : जब उन्होंने 'हां' कहा तो हमने भी 'नहीं' कहा ।

†श्री नाथपाई : जब प्रधान मंत्री ने हमें भेंट करने के लिये बुलाया था तो संसदीय कार्य मंत्री ने यह आश्वासन दिया था कि सरकार इस पर मतदान नहीं करवायेगी और यह आशा की जाती है कि हम इसे अस्वीकार करने के लिये कोई संशोधन प्रस्तुत नहीं करेंगे । हमें ऐसी स्थिति समझाई गई थी और वही अब भी है ।

†श्री जवाहरलाल नेहरू : इस मतभेद को देखते हुए मैं कहना चाहता हूं कि इसे दूर कर दिया जाये और यदि आप चाहें तो एक मूल प्रस्ताव को मतदान के लिए प्रस्तुत कर दिया जाये । यदि सभा की इजाज़त हो तो मैं इसे प्रस्तुत करूंगा . . . .

†श्री प्रिय गुप्त : आपको यह पहले ही प्रस्तुत करना था ।

†श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं जानता हूं कि मेरे लिये यह एक नई बात है कि इतनी देर बाद अब मैं इसका सुझाव दूं । किन्तु यदि सभा को और आप लोगों को यह स्वीकार हो तो मैं बिल्कुल रजामन्द हूं । इतना ही मुझे कहना है । मैं इस पर ज़ोर देना नहीं चाहता । किन्तु एक बात बिल्कुल साफ़ है ।

माननीय सदस्य श्री नाथपाई को मैंने या संसदीय कार्य मंत्री ने जो कुछ कहा है उस बारे में अवश्य कुछ गलतफहमी हो गई है । उन्होंने कहा था कि हम इसे पेश नहीं करेंगे क्योंकि साधारण हालातों में यह ज़रूरी नहीं है । सरकार एक नीति के अनुसार कार्य करती है और यदि वह नीति समझा दी जाती है, यदि सभा इसे मोटे तौर पर स्वीकार कर लेती है तो यह काफी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री रामेश्वरानन्द : अध्यक्ष महोदय, ...

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये आपकी प्रार्थना सुन ली जायेगी ।

श्री रामेश्वरानन्द : मेरी एक प्रार्थना तो सुन लीजिये ।

†श्री जवाहरलाल नेहरू : इसलिये स्थिति यह है कि मुझे हमारे रुख के बारे में कोलम्बो सम्मेलन के राष्ट्रों को और लंका की प्रधान मंत्री को आज या कल निश्चित उत्तर भेजना है । मैं उन से यह नहीं कह सकता कि अभी हमने कोई निश्चय नहीं किया । यह बेतुकी बात है । सच तो यह है कि हमने उनसे पहले ही कह दिया है कि सिद्धान्त रूप में हम इसे मंजूर करते हैं । और यह सरकार की प्रस्थापना है कि हम उनसे निश्चित रूप से यह कह दें कि हम विस्तार और स्पष्टीकरण सहित इन कोलम्बो प्रस्तावों को मंजूर करने के लिये तैयार हैं । उन पर अमल किया जायेगा या नहीं यह इस बात पर निर्भर करता है कि दूसरा पक्ष इसे मंजूर करता है या नहीं । अभी उन्होंने इन्हें मंजूर नहीं किया है । वह इन्हें मंजूर नहीं करेगी तो यह अमल में नहीं लाये जायेंगे । यह अलग बात है । मुझे दोनों में से एक रास्ता पकड़ना है इसके बिना कोई चारा नहीं । अगर किसी माननीय सदस्य के दिमाग में शक है तो मैं आपको और सभा को यह सुझाव दूंगा कि वह मुझे विशेष प्रस्ताव पेश करने की इजाजत दें जिससे मैं उस शक को मिटा सकूं ।

†श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : सरकार के रूप में आपके अधिकार को कोई भी चुनौती नहीं देता ।

†श्री हरिविष्णु कामत : यहां आपका बहुमत है ।

श्री रामेश्वरानन्द : मेरी प्रार्थना सुन लीजिये ।

आपके कहने के मुताबिक मैं पहले बैठ गया था । अब तो सुन लीजिये ।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये । मैं आपकी प्रार्थना सुन लूंगा ।

श्री रामेश्वरानन्द : आप कहें तो बैठ जाता हूं । लेकिन मेरी बात अवश्य सुन लीजाये ।

†श्री जवाहरलाल नेहरू : माननीय विरोधी दल के सदस्य का कहना है कि वह इस पर सरकार की प्रतिक्रिया को कोलम्बो सम्मेलन के देशों को बतला देने के अधिकार को चुनौती नहीं देते । लेकिन माननीय सदस्य किसी दूसरे दिन . . . . . .

श्री रामेश्वरानन्द : अध्यक्ष महोदय, हजरारों आदमी मरवा दिये गये हैं . . .

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपसे कहा है कि मैं प्रार्थना सुनूंगा । मगर अब आप बैठ जाइये ।

श्री रामेश्वरानन्द : तीन बार तो मैं आप के कहने से बैठ गया हूं । अब तो मेरी प्रार्थना सुन लीजिये । अभी तक आपने सुनी नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा है कि सुन लूंगा ।

श्री रामेश्वरानन्द : मेरा अनुशासन देखिये । आप के कहने के अनुसार मैं तीन बार बैठ चुका हूं ।

अध्यक्ष महोदय : कहिये आप क्या कहना चाहते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री रामेश्वरानन्द : मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार की पालिसी इस तरह से रोज कैसे बदलती रहती है ? कल तो वह कह रहे थे कि चीन जब तक हमारा इलाका खाली नहीं कर देता, तब तक उसके साथ बात नहीं करेंगे। आज आप क्या कह रहे हैं ? आज आप क्या कर रहे हैं ? आप उनको ईमानदार बता रहे हैं और कह रहे हैं कि बड़े सज्जन हैं। क्या उनकी नीयत ठीक हो गई है, क्या वे पहले जैसे भाई हो गए हैं या कुछ और ज्यादा हो गए हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपकी बात सुन ली है। आपने तकरीर करनी थी, वह कर ली है।

†श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं अपने आपको आपके और सभा के ऊपर छोड़ता हूं क्योंकि मुझे केवल भाषण ही नहीं देना इस पर कुछ कार्यवाही भी करनी है। और मैंने सरकार का इरादा साफ साफ सभा को समझा दिया है। हम समझते हैं कि हम ठीक रास्ते पर हैं। यह हो सकता है कि कुछ माननीय सदस्य इसे ठीक नहीं समझते हों। इस विषय पर कार्य करने के दो रास्ते हैं। पहला बिल्कुल स्पष्ट रास्ता तो यह है कि इसे मतदान के लिये रखा जाय। वास्तव में यह कुछ अप्रत्यक्ष रूप से श्री राम सेवक यादव के संशोधन द्वारा, जो कि नकारात्मक है और जो इसको अनुमोदन करने के बारे में है, मतदान के लिये रखा जायेगा। अगर वह नामंजूर कर दिया गया तो उसके कुछ नतीजे निकलेंगे किन्तु मैं उन नतीजों को मंजूर करने के लिये तैयार हूं। किन्तु यदि ऐसा नहीं होता और यदि सभा स्पष्ट विनिर्णय चाहती है तो मैं इसे सीधे मतदान के लिये पेश करने को तैयार हूं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किन्तु वास्तविकता यह है कि मैं चाहता हूं कि सभा इस बात को समझ जाय। मैं नहीं चाहता कि यह कहा जाय कि मैंने कोई काम सभा को बिना बताये या उसके नामंजूर करने पर भी किया। यह बात मैं पूरे तौर पर साफ़ कर देना चाहता हूं।

सरकार का इरादा है कि कोलम्बो प्रस्तावों का, उनके व्याख्या और स्पष्टीकरण सहित पूरे रूप से अनुमोदन करके, लंका की प्रधान मंत्री को इसका अन्तिम उत्तर भेज दिया जाय। स्वाभाविक ही है कि मैं यह और कह दूं कि उन्हें अमल में लाने का प्रश्न उसी समय पैदा होगा जब दूसरा पक्ष उनका अनुमोदन कर दे। मैं समझता हूं यह हालात हैं जिन पर मैं कार्य करने का विचार करता हूं और वह मैं उस समय तक नहीं कर सकता जब तक सभा इसका अनुमोदन न कर दे। स्वाभाविक है कि उस समय तक मैं कार्य नहीं कर सकता और न ही मैं करूंगा। जब तक सभा इसका अनुमोदन न कर दे। किन्तु इस विषय में किसी को शक करने की गुंजाइश मैं नहीं छोड़ना चाहता। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इन दो या तीन दिनों में दिये गये तर्कों के बावजूद भी ८ सितम्बर की रेखा और कोलम्बो प्रस्तावों वाली बात अस्थायी है और अस्थाई ध्येक के लिये है।

जैसा कि मैंने पहले कहा था चीन के साथ हमारे संघर्ष का सारा मामला बहुत गहरा है और चाहे दरम्यान में कुछ भी हो सालों तक चल सकता है। मैं यह नहीं कहता कि लड़ाई सालों तक चलती रहेगी। किन्तु संघर्ष फिर भी रहेगा और खतरा भी रहेगा। इसलिये हमें तैयार रहना है और अपनी हैसियत के अनुसार अपने को ज्यादा से ज्यादा ताकतवर बनाना है। चाहे कुछ भी हो हमें अपनी ताकत बढ़ानी है।

कुछ लोग यह सोचते हैं कि इन कोलम्बो प्रस्तावों के मंजूर कर लिये जाने से और इस पर कार्य किये जाने से हम लोग सुस्त हो जायेंगे। यह बिल्कुल लगत है। निश्चय ही ऐसा न तो सरकार का

†मूल अंग्रेजी में

और न ही, मैं समझता हूं सभा में से किसी का, मत है। हमें अपने को ताकतवर बनाना है। यह बहुत जरूरी है कि हम अपनी ताकत बढ़ाये। केवल ऐसी मदद से जैसी हमें मिल रही है—और जिनके लिये हम उन देशों के जो मदद दे रहे हैं, अहसानमन्द हैं—काम नहीं चलेगा। असली बात तो यह है कि हम भारत के अन्दर ही अपनी शक्ति का बढ़ाये अपने उद्योग की क्षमता बढ़ायें और हर ऐसी चीज का निर्माण करें जो युद्ध और शांति दोनों में हमारे देश को ताकतवर बनाये। यह बहुत जरूरी और महत्वपूर्ण है।

माननीय सदस्य श्री फ्रैंक एंथोनी ने अपनी सुन्दर और प्रभावपूर्ण शैली में कहा कि दो सौ वर्ष में कुछ अद्भुत घटना होने वाली है। यह घटना मेरे अथवा उन के जीवन काल में नहीं होगी तथा इस से अनेक बातें उद्भूत होंगी। मुझे प्रसन्नता है कि कभी कभी वह भविष्य के बारे में भी सोचते हैं। जैसा मैंने प्रारम्भ में कहा था कि यह दुनिया स्थिर नहीं है। यह परिवर्तनशील दुनिया है। यह भी संभव है कि दुनिया का वर्तमान रूप बिल्कुल ही बदल जाये। यह संभव है कि एक विश्व की आज की कल्पना साकार हो जाये। कदाचित साधारण प्रशासनिक आवश्यकता के अतिरिक्त सीमाओं का विलीन हो जाये। इस प्रकार की सब बातें हो सकती हैं। वर्तमान पर विचार करते समय भी हम भूत काल से अभिभूत हैं। तेजी से बदलते हुए इस जमाने में हमें यह बात याद रखना है कि हम दबाव या सैनिक बल के आगे न झुकें।

चीन की कोलम्बो प्रस्ताव के प्रति क्या आपत्ति है वे सब तो मुझे मालूम नहीं है किन्तु उन में से मैं एक दो का उल्लेख करूंगा। एक यह है कि वे लद्दाख में हमारी किसी प्रकार की सैनिक अथवा असैनिक चौकी नहीं चाहते हैं। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। चीन स्वयं वहां असैनिक नहीं परन्तु सैनिक चौकियां रखना चाहता है।

८ सितम्बर, के पहले वहां हमारी ४० चौकियां थीं, उन की भी ४० या ५० चौकियां थीं किन्तु मुझे निश्चित ज्ञान नहीं है। वहां उन की अनेक चौकियां हैं। चौकी की परिभाषा करना कठिन है। चौकी एक सुदृढ़ और सशक्त स्थान भी हो सकता है या यह भी हो सकता है कि आधे दर्जन व्यक्ति वहां अपना झण्डा लिये बैठे रहें। इस अभिप्राय से कि वहां किन्हीं अन्य व्यक्तियों को आने से रोक दें तथा वहां कोई कब्जा न करने पाये। यह चौकी शक्ति का प्रतीक न हो कर राष्ट्र की सार्वभौमता का एक प्रकट चिह्न मात्र है। चीनी वहां पर दोहरी सत्ता का विरोध कर रहे हैं। चीन और कोलम्बो प्रस्तावों के बीच यह मुख्य मतभेद है। हम चीन का यह दृष्टिकोण स्वीकार नहीं कर सकते हैं।

नेफा में एक स्थान है जिसे वे चे डांग रिज कहते हैं और हम उसे थागला रिज कहते हैं ये दो बड़े मामले हैं? कुछ और भी हो सकते हैं। उन्हों ने हमें सब बातें नहीं बताई हैं क्योंकि उनका और हमारा प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है। हम उन्हें इसलिये जानते हैं कि उनका उल्लेख किया गया था। कुछ और भी हो सकते हैं।

हम कोलम्बो प्रस्तावों में किसी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन इसलिये पसन्द नहीं करते हैं कि वह चीनियों को स्वीकार नहीं है। श्री कामत ने भूटान और सिक्किम की प्रवासी सरकारें तिब्बत में स्थापित करने का निर्देश किया है। हमें इस की जानकारी नहीं है। जब भूटान के प्रधान मंत्री यहां आये थे तो उन्होंने भी यही कहा था। इस कथन में कोई सत्यता नहीं है। चीन की सरकार ने क्रोध प्रकट करते हुए इससे इन्कार कर दिया है।

एक सदस्य ने यह भी कहा—मुझे उनका नाम मालूम नहीं है—कि चीनी सेनायें बर्मा पर दबाव डाल रही हैं और बर्मी सेनायें चीनी सेनाओं के साथ सहयोग कर रही हैं। बर्मी सरकार ने इस का जोरदार खण्डन किया है। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई सत्यता है।

कोलसबो राष्ट्र तथा अन्य देशों की आलोचना के बारे में भी मैं कुछ कह दूं। कोई भी व्यक्ति इन देशों को सैनिक रूप से सशक्त नहीं समझता है। इस में कोई सन्देह नहीं है कि ये देश किसी निर्णय के लिये मजबूर नहीं कर सकते हैं। वे केवल मध्यस्थ हैं और कुछ सुझाव दे सकते हैं। उनकी इस आलोचना से—सभा में दिये गये रिमार्कों से हमारा प्रचार व्यर्थ हो जाता है। यदि इन देशों के लिये किन्ही निन्दाजनक शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो वे यह कहते है कि यहां पार्लियामेंट में ये शब्द कहे गये थे। चीन हमारे विरुद्ध जो भी प्रोपैगण्डा करता है उन से भी बुरा प्रभाव इन शब्दों का पड़ता है। मैं सभा को यह बात स्मरण कारा दूं कि हमें दूसरे देशों के प्रति अत्यन्त सावधानी से कुछ कहना चाहिये विशेष रूप से उन देशों के प्रति जो हमारे मित्र हैं भले ही कुछ बातों पर वह हम से सहमत न हों।

यह भी कहा गया है कि इन राष्ट्रों ने पृथक रूप से चीन को आक्रमणकारी के रूप में निन्दा नहीं की ऐसा करना उन के लिए कठिन है। उनके विचार कुछ भी हो लेकिन जब वे मध्यस्थ के रूप में काम कर रहे हों तो उनके लिये ऐसा कहना कठिन हो जाता है। पृथक रूप से निस्सन्देह वे निन्दा कर सकते हैं। संयुक्त अरब गणराज्य ने हमारा सब से अधिक समर्थन किया है। उस देश की केबिनेट में हमारा समर्थन करते हुए एक संकल्प पारित किया है। मुझे उसके निश्चित शब्द तो मालूम नहीं हैं। किन्तु उसमें हमारा जबरदस्त समर्थन किया है। जब संयुक्त अरब गणराज्य के प्रधान मंत्री श्री अली साबरी यहां आये तो समाचार पत्रों ने उनकी आलोचना की और यह कहा कि वे चीन को आक्रमणकारी घोषित करें। जो व्यक्ति यहां मध्यस्थ बनकर आता है उस का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह निष्पक्ष रूप में सम्बन्धित पक्षों के प्रति अपना व्यवहार रखे। समाचार पत्रों में उसकी आलोचना करना दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं समाचार पत्रों के इस अधिकार को चनौती नहीं दे रहा हूं लेकिन उन की आलोचना से हमारे मित्र देशों में जो प्रतिक्रियायें उत्पन्न होती है उनके लिए हमें प्रस्तुत रहना चाहिये। सभा में बर्मा के ऊपर कुछ आरोप लगाये गये और कहा गया कि उस देश की सेनायें चीन के साथ सहयोग कर रही है। इस से वह बहुत चिढ़ गये और उन्हों ने इसका विरोध किया है। बर्मा की सरकार ने हमें लिखा है कि हमने अखबारों में छपे उक्त वक्तव्यों का खण्डन क्यों नहीं किया। हमने उनको बताया कि ऐसा करना कठिन है और इस से इस कार्य का और अधिक प्रचार हो जायेगा। और फिर इन अखबारों का अधिक प्रचार नहीं है एक समाचार पत्र—आनन्द बाजार पत्रिका, में श्रीलंका के प्रधान मंत्री श्रीमती बंडारनायिके के विरुद्ध व्यक्तिगत निन्दाजनक बात कहीं गई और मुझे भी उस में शामिल कर लिया गया। मेरी बात छोड़िये किन्तु एक ऐसे देश के प्रधान मंत्री के विरुद्ध जो हमारा मित्र है जो हमारे साथ सहयोग कर रहा है जो शान्ति की स्थापना में प्रयत्नशील है, उसके प्रधान मंत्री के लिय इस तरह की बात करना अनुचित है। यदि हमें दुनिया में सबका मित्र बन कर रहना है तो हमें संयम से काम लेना चाहिये। यह सम्भव नहीं है कि हम दूसरे देशों की निन्दा भी करें और यह भी आशा करें कि वह हमारे मित्र रहे और हमारी सहायता भी करें।

एक बात मैं फिर दोहरा दूं कि चीन ने हमारे ऊपर आक्रमण किया है। हमारी चीन के साथ लड़ाई है। किन्तु हमारी मूलभूत नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है कि हम शान्तिपूर्ण ढंग से समस्यायें हल करने में ही विश्वास रखते हैं। क्यूबा में क्या हुआ। २४ घण्टे के अन्दर २० करोड़ आदमी न्यूक्लीयर बमों से मर सकते थे। थोड़ी सी भूल से एक नया भयानक घटना घट सकती थी। यह सौभाग्य की बात है कि समय पर बुद्धि का उदय हुआ और यह घटना रुक गयी। हमारे पास बम नहीं हैं लेकिन तब भी हमें इस प्रकार के परिणामों के प्रति सावधान रहना है। हमारा दृढ़ निश्चय है कि हम अपनी भरसक योग्यता के साथ शान्ति और सम्मान सहित किसी भी समस्या को हल करने के लिए प्रयत्नशील रहें। मैंने यह भी कहा था कि हम इस प्रकार की समस्या को अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय को सौंपने के लिये तैयार

हैं। अभी यह स्थिति नहीं आयी है किन्तु यदि ऐसा अवसर उपस्थित हुआ तो मैं सभा की राय लूंगा।

यदि कोई ऐसा मार्ग है जो राजनैतिक दृष्टि से हमारे लिये हानिकर नहीं है तो इसे वांछनीय ही समझना चाहिये। सैनिक मामलों की ओर मैं निर्देश नहीं कर रहा हूं, संभवतः विरोधी दलों के सदस्य इसके विशेषज्ञ हैं। यदि हम इसे रद्द कर दें तो राजनैतिक दृष्टि से यह गलती होगी। कोलम्बो राष्ट्र ही नहीं परन्तु दूसरें बड़े, और छोटे देश भी यह विचार करेंगे कि हम गलत नीति अपना रहे हैं और वे हमारा समर्थन नहीं करेंगे। हम इन देशों के समर्थन के लिये आभारी हैं और हमें उन के समर्थन की आवश्यकता है। किन्तु यदि हम दो बात स्वीकार न करें तो यह हमारे लिये उचित नहीं होगा।

अपना भार हमें स्वयं वहन करना होगा। यदि हम चनौती स्वीकार न करें तो कोई हमारा सम्मान नहीं करेगा। हम सदा यद्धजनक दृष्टिकोण नहीं अपना सकते हैं। भारत के लिये आज की स्थिति में यह उचित हो सकता है किन्तु बाहर के देशों में इसका ठीक प्रभाव नहीं पड़ता है। युद्धकारी दृष्टिकोण कमजोर देश अपनाते हैं, ताकतवर देश नहीं। सशक्त राष्ट्र समय आने पर मजबूत कदम उठाते हैं और उसकी तैयारी करते हैं किन्तु शक्ति के लिये युद्धकारी कदम उठाने से किसी पर प्रभाव नहीं पड़ता है।

अन्त में मेरा निवेदन है कि सरकार ने जो दृष्टिकोण अपनाया है अथवा अपनाने का विचार रखती है। वह उचित है और मुझे विश्वास है कि सभा उसका समर्थन करेगी।

†**श्री हरिविष्णु कामत** : भारत में चीनी नजरबन्दियों को रिहा करने और वापस भेजने के बारे में चीन की सरकार की कथित कार्यवाही के सम्बन्ध में आपने कहा था कि प्रधान मंत्री हमारा इसका उत्तर देंगे।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जी हां। चीन की सरकार ने कहा था कि यहां नजरबन्द चीनी असैनिकों को ले जाने के लिये वे एक या दो जहाज भेजेंगे। हमने कहा है कि जिन के पास चीनी गणतन्त्र सरकार के पासपोर्ट हैं वे वापस जा सकेंगे। यह बात उन असैनिक नीतिज्ञों के सम्बन्ध में है जिन के विरुद्ध किसी प्रकार का असैनिक अथवा फौजदारी मामला नहीं चल रहा है। हम किसी को जाने के लिये मजबूर नहीं कर रहे हैं। यह उस की इच्छा पर निर्भर है कि वह जाना चाहता है अथवा नहीं।

†**श्री हरिविष्णु कामत** : क्या सरकार की यह नीति नहीं है कि चीनी नजरबन्दियों को रिहा करने के पहले हम चीन में भारतीय युद्धबन्दियों की मांग करें।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : ये युद्धबदी नहीं हैं असैनिक व्यक्ति हैं।

श्री बागड़ी (हिसार) : एक मामूली सी बात मैं कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, बहुत हो चुका।

श्री बागड़ी : मैं एक छोटा सा क्लेरिफिकेशन चाहता था। जो हिन्दुस्तान के फौजी चाइना के पास हैं उनकी रिहाई के बारे में क्या कुछ बनेगा और क्या कुछ फैसला हुआ है।

---

†मूल अंग्रेजी में

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री राम सेवक यादव का स्थानापन्न प्रस्ताव सभा के मतदान के लिये प्रस्तुत करूंगा ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मैं आप से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस समय १ बज कर ४५ मिनट हो चुके हैं । अगर आप उचित समझें तो ढाई बजे के बाद इस को ले लें । इस बीच में हम देश की रक्षा के नाम पर थोड़ा समझा लें और उनको अपना संशोधन वापस लेने के लिए राजी करने का प्रयत्न कर लें ।

अध्यक्ष महोदय : जैसा शास्त्री जी ने कहा, उसके मुताबिक जो प्रेक्टिस हम ने ऐडाप्ट कर रखी है वह यही है । लेकिन अगर हाउस और सभी पार्टीज चाहती हैं कि इसी वक्त इसको ले लिया जाय तो इसको इस वक्त लेने में कोई हर्ज नहीं है ।

श्री रामसेवक यादव : इसी वक्त हो जाय ।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, बाद में फिर आप सब लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री रामसेवक यादव का स्थानापन्न प्रस्ताव मतदान के रखा गया ।

लोक-सभा में मतविभाजन हुआ ।

पक्ष में : ५९; विपक्ष में : ३४१

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

श्री कि० पटनायक : अध्यक्ष महोदय, इस राय के बारे में . . . . .

अध्यक्ष महोदय : राय के बारे में मैं अब नहीं सुन सकता ।

स्वामी जी यहां पर खड़े हो कर बात कर रहे हैं ।

श्री रामसेवक यादव : अगर आप मुझे नहीं देखना चाहते तो मैं चला जाता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : जाते जाते भी वे बोलते जा रहे हैं ।

दिल्ली किराया नियन्त्रण (संशोधन) विधेयक

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : मैं श्री लाल बहादुर शास्त्री की ओर से प्रस्तुत करती हूं :

> "कि दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, १९५८ में संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये ।"

यह विधेयक पहले केवल नई दिल्ली क्षेत्र में ही लागू था । फिर दिल्ली किराया नियंत्रण आदेश, १९४४ पास किया गया जिसके फलस्वरूप किराया नियंत्रण पुरानी दिल्ली क्षेत्र में भी लागू हुआ । तदनन्तर दिल्ली, अजमेर, मारवाड़ किराया नियंत्रण एक्ट, १९४७ द्वारा यह निरस्त कर दिया गया । उसके बाद दिल्ली अजमेर किराया नियंत्रण अधिनियम, १९५२ ने इस का स्थान ले लिया ।

श्री दात्री

दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, १९५८, जो आजकल मकान मालिक किरायेदारों के परस्पर सम्बन्ध तय करता है व्यापक विधान है तथा उस से पुराने आदेश और अधिनियमन निरस्त हो गये हैं। यह अधिनियम सब प्राइवेट भूगृहादि पर लागू होते हैं किन्तु धारा ३ के अनुसार सरकार से सम्बद्ध भूगृहादि पर ये लागू नहीं होते हैं। यह पूर्व अधिनियमन में सन्निहित उपबन्धों के अनुसार हैं।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

सरकारी पट्टे की जमीन पर दिल्ली के नगरीय क्षेत्रों में अनेक इमारतें बन गई हैं। किराया नियंत्रण के उपबन्ध १९३९ से नई दिल्ली में और १९४४ से अन्य क्षेत्रों में उन इमारतों पर लागू होते थे जो सरकार की पट्टे की जमीनों पर बनाई गई हैं। इस प्रकार इन भूगृहादि में रहने वाले किरायेदारों को मकान मालिकों के शोषण और बेदखली से रक्षा की गई है। तथापि किराया नियंत्रण ट्रिब्यूनल, दिल्ली ने कतिपय किराया नियंत्रण अपीलों में, नई दिल्ली में सरकार की पट्टे की जमीन पर बने प्राइवेट मकानों के बारे में निर्णय दिया कि सरकार की पट्टे की जमीन पर बने भगृहादि "सरकार से सम्बन्धित भगृहादि" हैं और अतः धारा ३ में सम्मिलित उपबन्धों के कारण वह इन भूगृहादि पर लागू नहीं हैं।

दिल्ली के नगरीय क्षेत्र में अनेक किरायेदार लगभग ६०,००० प्राइवेट रिहायशी मकानों और १०,००० गैर रिहायशी व्यापार स्थलों आदि में रहते हैं। किराया नियंत्रण ट्रिब्यूनल के निर्णय के अनुसार इतनी बड़ी संख्या में ये व्यक्ति स्टैंडर्ड किराया तय करने और बेदखली से बचने के लाभ से वंचित रह जाते हैं।

इसलिए दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम की धारा ३ में संशोधन करने का विचार किया गया है। उस में यह परन्तुक जोड़ दिया गया है कि यदि सरकार के साथ किये करार के अनुसार किसी व्यक्ति ने ऐसे स्थान को किराये पर दिया है तो कानून के उपबन्ध उस पर भी लागू होंगे।

इस संशोधन को भूतलक्षी प्रभाव देने के लिए "सदा जोड़ दिये गये समझे जायेंगे", विधेयक के खंड २ में जोड़ दिये गये हैं। न्यायालय अथवा प्राधिकार के आदेश के होते हुए भी उक्त संशोधन लागू रहेगा और धारा ३ में जोड़ने वाला परन्तुक को भी मसौदा प्रस्तुत किया गया है।

यह एक सामान्य विधेयक है। इस का अर्थ सीमित है, इस का अभिप्राय किराया नियंत्रण ट्रिब्यूनल के निर्णय के विपरीत प्रभाव से किरायेदारों की रक्षा करना है।

मैं आशा करती हूं कि सभा इस विवादरहित विधेयक को बिना झिझक पास कर देगा।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** (जोधपुर) : क्या इस विधेयक विशेष के लिए कोई समय नियत किया गया है और क्या सरकार की इच्छा आधे घंटे में इसे समाप्त करने की है ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : हम अगले दिन चर्चा जारी रखेंगे। श्री दाजी।

†**श्री दाजी** (इन्दौर) : संशोधन विधेयक एक अभाव की पूर्ति करता है, परन्तु अधिनियम में उस के अतिरिक्त और भी अभाव हैं। खण्ड ६ और १२ एक दूसरे के विरोधी हैं। खण्ड १२ में

---

†मूल अंग्रेजी में

उल्लेख है कि उचित किराया निर्धारण के लिए अधिनियम स्वीकार होने से दो वर्ष में प्रार्थनापत्र दिया जाना चाहिये, जबकि खण्ड ६ में उल्लेख है कि वर्ष १९५७ के बाद बने मकानों का किराया निश्चित करने के लिए ५–७ वर्ष व्यतीत हो जाने चाहियें। मैं समझता हूं इन उपबन्धों में संशोधन करना और जिस समय विधान बना था, उस समय की विधायकों की सच्ची और मूल इच्छा को लागू करना सरकार का कर्त्तव्य है। मालिक मकान के प्रयोग के बारे में एक व्यापक उपबन्ध है। हम ऐसे मामले जानते हैं, जिन में मालिक मकान ने अपने प्रयोग के लिए १६ कमरे मांगे। यह अनुचित है। परन्तु किरायेदार के निकालने के लिए सभी मकान-मालिक यही तर्क देते हैं।

इस विधेयक का उद्देश्य किरायेदारों की सहायता करना था, परन्तु विभिन्न प्रकार से उन्हें तंग करने का यह एक साधन बन गया है। मैं निवेदन करता हूं कि सरकार न्यायाधिकरणों में मकानों संबंधी मामलों के शीघ्र निपटाने की ओर ध्यान दें। अब तो, इस संकट में किरायेदार को और भी अधिक संरक्षण मिलना चाहिये। नीति तो भिन्न नहीं है। हम उस से सहमत हैं। परन्तु यदि हम उसे प्रभावी रुप में लागू न कर सकें, तो हम वह कार्य पूरा नहीं करते जिस के लिये हमें संसद् में भेजा गया है। दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम एक उपबन्ध क्यों न कर दिया जाये कि जो भी धन किराये के रुप में लिया जाये उस की रसीद दी जाये। कुछ लोग यह करते हैं कि किराया के अतिरिक्त पगड़ी लेते हैं और उस की रसीद नहीं देते। ऐसा नहीं होना चाहिये। इस के लिए अधिनियम में उपबन्ध होना चाहिये।

†**श्री नरसिन्हा रेड्डी** (राजमपेट) : मैं श्री दाजी से सहमत हूं कि किरायेदार को संरक्षण मिलना चाहिये। मेरा ख्याल है कि मकान-मालिक की परेशानियों को ध्यान में रख कर किरायेदारों को उचित संरक्षण दिया जाना चाहिये। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिये कि यदि कोई मकान मालिक जिस की अनेक इमारतें एक ही स्थान पर हों अपने ही प्रयोग के लिए मकान चाहे, तो उसे कोई भी एक मिल जानी चाहिये।

†**श्री अ० ना० विद्यालंकार** (होशियारपुर) : विधान को लागू करने में हमारा प्रशासन बहुत कमजोर है और इस से अनेक कठिनाइयां पैदा हो जाती हैं। चोरबाजारी क्यों होती है या पगड़ी क्यों ली जाती है, इस का कारण यह है कि किरायेदारों को उचित न्याय नहीं मिलता। कभी कभी मालिकों को भी परेशानी होती है। अतः वे समझौता कर लेते हैं और वह बात अधिनियम के विरुद्ध जाती है। अतः हमारे विधान में कोई अभाव नहीं होना चाहिये। उन्हें सख्ती के साथ लागू किया जाना चाहिये और प्रशासन व्यवस्था को उचित ढंग से कार्य करना चाहिये।

हां सरकारी मकान, जो कर्मचारियों को सेवा काल के लिए दिये जाते हैं, उन पर यह लागू नहीं होना चाहिये, परन्तु जो स्थान किराये पर दिये जाते हैं और गैर-सरकारी व्यक्ति प्रयोग करते या वाणिज्यिक कार्य के लिए प्रयोग होते हैं उन पर लागू होने चाहियें। मैं समझता हूं कि यह होना आवश्यक है क्योंकि अन्यथा स्थान का दुरुपयोग होता है। अतः मैं महसूस करता हूं कि समूचे अधिनियम के पुनरीक्षण की आवश्यकता है और हमें अभावरहित विधान बनाना चाहिये।

श्री नवल प्रभाकर (दिल्ली करौल बाग) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो किराया नियंत्रण अधिनियम (संशोधन) विधेयक लाया गया है उस में जो उस के कारण और उद्देश्य दिये गये हैं, मैं उन से सहमत हूं। किन्तु मुझे ऐसा लगता है कि इस विधेयक में जो संशोधन की शब्दावली दी गई है वह अब

†मूल अंग्रेजी में

भी डिफेक्टिव है और उस का वही परिणाम होगा कि जोकि इस से पहले वाले विधेयक में दी हुई पंक्ति का हुआ था ।

जहां तक किरायेदार और मालिक मकान के सम्बध की बात है यह सही बात है कि हमारे न्यायकर्ता जो इस सदन की भावनायें हैं उन पर इतना विचार नहीं करते जितना कि शब्दावली पर । इस सदन की मंशा यह थी कि सरकारी भवन जो हैं, इमारतें जो हैं या सरकार की सम्पत्ति जो है उस पर यह किराया नियंत्रण लागू नहीं होगा । उन के अतिरिक्त सब पर वह लागू होगा । बिल्कुल सीधी सादी सी बात थी । किन्तु हुआ यह कि जो जमीनें सरकार ने लीज पर ली हुई हैं उन का निर्णय देते समय यह कहा गया कि चूंकि वह जमीनें सरकारी हैं और उन ज़मीनों पर बने हुए जो मकान हैं वह भी सरकारी हैं, इसलिये उन के ऊपर यह जो अधिनियम है, वह लागू नहीं होता । मैं आप को यह बतलाना चाहता हूं कि मेरे ही निर्वाचन क्षेत्र में एक भाई ने मकान किराये पर लिया और ऐसी जगह पर ही लिया । जब वह अदालत में गया तो उन्होंने कहा कि इस पर किराया नियंत्रण किया जाय । उस से पूछा गया कि वहां जमीन का क्या भाव है । उसने कहा कि सरकार ने २९ रु० गज में जमीन ली है, उस के ऊपर २ रु० महीने लीज का लिया जाता है । उस के हिसाब से आप लगा लीजिये, जो स्ट्रक्चर उस के ऊपर खड़ा है उस के ऊपर जो कीमत आये उस के हिसाब से लगा लीजिये, और ७½ या ८ परसेन्ट जो बढ़ा कर लगाते हैं, उस के अनुसार फैसला कर दीजिये । उस के बा. उस से यह कहा गया कि जो जमीन आप ने ली है वह तो ठीक है कि मकान मालिक ने उसे सरकार से २९ रु० में ली है, लेकिन सरकार ने उस पर मेहरबानी कर के नामिनल रेंट पर दिया है, इसलिये वह मार्किट रेट नहीं है। अगर ब्लैक मार्केट में कोई चीज बिकती है और उसी को मार्केट रेट कहा जाय तो फिर आप कैसा भी कानून बना लीजिये, उस का वही अर्थ निकलेगा । अब दिल्ली प्रशासन जो है वह २५ रु० गज जमीन देता है, यह खुली हुई बात है, लेकिन अगर उसी इलाके में ५० रु० गज जमीन बिकती है या ७० रु० गज बिकती है ो वह उस की कीमत नहीं है । कीमत तो असल में वह है जोकि सरकार ने निर्धारित की है । अगर यह कहा जाय कि उसी इलाके में अगर कोई ज़मीन ७० रु० या १०० रु० गज बिकती है तो उसके हिसाब से लगाया जायेगा तब फिर आप यह किराया नियंत्रण करें या न करें, सब बराबर है । मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी अपने भाषण में इस बात को बिल्कुल स्पष्ट करें कि जो जमीन सरकार से ली जाती है और उस का पैसा दिया जाता है, क्या वह मार्केट वैल्यू नहीं है । अगर वह मार्केट वैल्यू है तो फिर ब्लैक मार्केट क्या है ? इस चीज का फैसला होना चाहिये और उस फैसले के अनुसार किराया कानून लागू होना चाहिये ।

हमारे पुनर्वास विभाग ने बने बनाये मकान दिये । कहीं वह २,००० रु० में दिये और कहीं ५,००० रु० में दिये । वही उस की कीमत है । पांच साल पूरे हो जाने पर इस अधिनियम के अनुसार उस की कीमत के ऊपर किराया लागू होना चाहिये क्योंकि वह आदमी उसी दिन से बैठा है । अगर यह कहा जाय कि इस जमीन का भाव यह हो गया है और उस के स्ट्रक्चर का भाव यह हो गया है और जो पहले ५,००० रू० का था वह आज ५०,००० रु० का हो गया है, इस लिये ५०,००० रु० के ऊपर किराया देना पड़ेगा, तो मैं समझता हूं कि दिल्ली में कोई किरायेदार रहने वाला नहीं है ।

आप को यह देखना होगा कि आप ने इस में जो शब्दावली दी है अगर उस में यह सब बातें नहीं आती हैं तो उन को आप पूर्णतया दें, और उस को देने से ही सब कुछ सही

हो जायेगा । आज किरायेदारों और मकान मालिकों के बीच में जो आये दिन झगड़ा होता है उस का सब से बड़ा कारण यह है । मैं एक और मिसाल देना चाहता हूं । हमारे पुनर्वास विभाग ने बहुत से मकान दिये हैं और उन की कीमत उन्होंने तय कर दी है और उस में लीज का भी हिसाब नहीं है । परन्तु मकान मालिक बहुत चतुर हैं । जो उस की सेल डीड है वह उसे नहीं लेते । पैसा सब दे देते हैं लेकिन सेल डीड नहीं लेते, यह इस लिये कि चूंकि उस के नाम वह नहीं होती है इस लिये उस पर किराया नियंत्रण लागू नहीं होता है । अब आज जो किरायेदार है, जो कि बारह वर्ष से बैठा हुआ है, वह यह सोच रहा है कोई बात नहीं है, पांच वर्ष पूरे हो जायेंगे तो वह जो ५० रु० देता है वह २५ भी हो जायेंगे । इसी आशा में वह पांच साल से बैठा था, किन्तु जब वह किराया कंट्रोल करने वालों के पास गया तो वह कहते हैं कि यह कानून तो उस पर लागू नहीं होता । इस लिये नहीं लागू होता कि वह सरकारी है । उस के कारण आज एक नहीं, दो नहीं, हजारों किराये दार उस के अन्दर पिसे जा रहे हैं, और हालत यह हो रही है जब वे किराया नहीं दे पाते हैं तो उन को वहां से निकाल दिया जाता है । मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि वह इसको देखें, सोचें और समझें । जहां तक इस की शब्दावली का सवाल है, वह बिल्कुल साफ नहीं है । आप ने कहा है, जैसा कि असली अधिनियम है, उस में लिखा है :

"सरकार की किसी भी इमारत पर"

उस के आगे आप ने यह जोड़ने के लिये कहा है :

"यदि कोई सरकारी इमारत वैध रूप में किराये पर दी जाती है, तो न्यायालय, आदि का आदेश के होते हुए यह अधिनियम लागू होगा ।"

किन्तु मैं ने जो अमेंडमेंट दिया है उस में मैंने यह और भी स्पष्ट कर दिया है और स्पष्ट कर के मैं ने यह कहा है :

"सरकार के अधिकार में इमारत आदि" शब्दों से अभिप्राय .....

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य अगले दिन इस पर अपना भाषण जारी रखें । अब हम अगले विषय को लेंगे ।

अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों को उचित स्तर पर बनाये रखने के बारे में प्रस्ताव

†**उपाध्यक्ष महोदय**: ११ दिसम्बर, १९६२ को श्री इन्द्रजीत गुप्त द्वारा पेश किये गये प्रस्ताव पर आगे विचार,

"कि यह सभा अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों को उचित स्तर पर बनाये रखने संबंधी उपायों के बारे में योजना और श्रम तथा रोजगार मंत्री द्वारा १० नवम्बर, १९६२ को सभा पटल पर रखे गये वक्तव्य पर विचार करती है ।"

†**श्री व० बा० गान्धी** (बम्बई नगर—मध्य—दक्षिण) युद्ध में फंसे हुए देश को मूल्यों के स्तर की ओर से असावधान नहीं होना चाहिये अपितु इस बात को उचित महत्व दिया जाना

---

†मूल अंग्रेजी में

चाहिये । हमें यह भी याद रखना चाहिये कि किसी भी मुल्य नीति का उद्देश्य मूल्यस्तर को एक ही स्थान पर बनाये रखना हो, यह बात आवश्यक नहीं है । इस बारे में हमें साक्षेप मूल्य की बात करनी चाहिये । हमें आयोजन का बारह वर्ष का अनुभव है और इससे लाभ उठाकर सरकार ने चीनी आक्रमण के बाद कुछ ही महीनों में अपनी मूल्य नीति के बारे में सभा पटल पर एक वक्तव्य रख दिया है । सरकार ने मूल्यों को उचित स्तर पर बनाये रखने के उपाय किये हैं ।

सरकार ने इस उद्देश्य से तीन कार्यवाही करने का निश्चय किया हैं, पहिली बात यह है कि वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में मूल्य स्थिरीकरण संबंधी एक उच्च स्तरी समिति बनाई जाये । दूसरा, सरकार ने सहकारी समितियां तथा अन्य उपभोक्ता स्टोर बनाने की एक योजना पहिले ही स्वीकार कर दी है । ऐसा लगता है कि सरकार की इच्छा २०० थोक तथा मुख्य सहकारी स्टोर और लगभग ४००० शाखा और प्रारम्भिक स्टोर खोलने की इच्छा है । हम सरकार की नीति के अनुसार देश में उत्पादन की ओर से भी लापरवाह नहीं हैं । उदाहरणार्थ, औद्योगिक उत्पादन १९५७ में १३७.३ देशनांक से बढ़कर १९६१ में १८१.२ देशनांक हो गये हैं । इस नीति में हमें जनता का भी सहयोग मिल रहा है और यह बात नीति के सफल होने की गारन्टी है ।

†**श्री रंगा** (चित्तूर) : कोई नहीं चाहता कि दैनिक प्रयोग की वस्तुओं के मूल्य बढ़ें । परन्तु अधिकतर व्यक्तियों के जाने बिना मूल्य बढ़ते जाते हैं क्योंकि मुद्रास्फीति अनिवार्य हो गई है । यह सरकार की अपनी योजनाओं, औद्योगिक विकास आदि से बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे । फिर, हमें मूल्यों में वृद्धि होने की बात पर विचार करते समय विभिन्न वर्गों के लोगों पर इसके प्रभाव में समानता की बात नहीं भूलनी चाहिये । परन्तु अब यह होता है कि कृषकों पर इसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है । जिसके परिणामस्वरूप उनके ऋण बढ़ते जाते हैं । ऋण पर ब्याज की दर भी बढ़ रही है । जब कि प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि अन्य उद्योगों के साथ यह बात नहीं है । कृषि-ऋण पर ब्याज कीं दर अधिक होने के कारण कृषि लागत बढ़ रही है । सरकार को चाहिये कि कृषि लागत का ध्यान रखा जाये और उन्हें इस योग्य बनाया जाये कि वे न्यूनतम जीवन-स्तर तथा न्यूनतम आय-स्तर बनाये रख सकें । सरकार ने अनेक बार वचन देने पर भी इस दिशा में कोई कार्यवाही नहीं की है । कृषकों तथा उद्योगपतियों में समानता रखने के लिए यह सब करना होगा । अतः मैं चाहता हूं कि मेरे माननीय मित्र श्री नन्दा कृषकों के साथ सहृदयता का व्यवहार करें । ये लोग सत्तर प्रतिशत से अधिक हैं और अपने जीवन-यापन, रोजगार के लिए सरकार पर निर्भर नहीं है । यहां तक तो सरकार को उनका आभारी होना चाहिये । मैं समझता हूं कि श्री नन्दा इस बात पर मुझ से सहमत होंगे कि सरकार जो भी करती है, वह पर्याप्त नहीं है और करना चाहती है वह भी कृषकों के अनुकूल नहीं है । अतः कृषकों के लिए मूल्यों का प्रश्न अत्यधिक महत्व का है । मैं अपने माननीय मित्र को चेतावनी देता हूं कि जहां वह इसके लिए उत्सुक हैं कि उनके औद्योगिक मजदूरों को अनाज आदि सस्ते दामों पर मिले, वहां उन्हें इस बारे में भी उत्सुक होना चाहिये कि अनाज उत्पादकों का भी ध्यान रखा जाये और उनका अहित न होने दिया जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अन्त में, मुझे आशा है कि मेरे माननीय मित्र, वित्त मंत्री वर्तमान संकट के कारण कृषकों के हितों को नष्ट नहीं होने देंगे ।

†**श्री करथिरमण** (गोवीचेट्टियमम) : वर्तमान समय में यह प्रस्ताव बहुत महत्वपूर्ण है और यह अनिवार्य है कि मूल्य-स्तर पर नियन्त्रण रखा जाये । हम सब उत्पादकों के लिए निर्धारित होने वाले उचित मूल्य के बारे में उत्सुक हैं । उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं के विचारों को ध्यान में रखकर मूल्य ऐसा निर्धारित किया जाना चाहिये जो दोनों के अनुकूल हो । यदि मूल्य उचित नहीं रहा, तो खाद्यान्न का उत्पादन नहीं बढ़ेगा । युद्धपूर्व धान की उत्पादन लागत ४० रु० प्रति एकड़ थी और आज कल यह ४०० रु० है । केवल इस कारण कि इस सभा में कृषकों के उचित प्रतिनिधि नहीं हैं और यहां उनका कोई योग्य वक्ता नहीं है, यह सुझाव दिया जा रहा है कि मूल्य स्तर सदैव ही कम होता रहना चाहिये । क्या गरीब किसान के लिए अपनी पैदावार का उचित मूल्य पाने की आशा करना उचित नहीं है ? जब तक कि हम उन्हें उचित मूल्य नहीं देते, तब तक हम उन्हें अधिक पैदा करने के लिए कैसे कह सकते हैं । यहा अत्यावश्यक है, विशेषकर इस वर्तमान संकट में जब कि हमें खाद्य उत्पादन बढ़ाने की अवश्यकता है, कि हम कृषकों को उचित मूल्य दें ।

फिर, उपभोक्ता मूल्य क्या हो ? होता यह है कि विचौलिया व्यापारी अधिकतर लाभ ले लेता है और उपभोक्ताओं को वस्तुयें ४० या ५० प्रतिशत उस मूल्य से अधिक मूल्य पर मिलती हैं जिस पर कृषक बेचते हैं । क्या हम कोई ऐसा उपाय नहीं ढूंढ़ सकते जिससे उत्पादक तथा उपभोक्ता मूल्य में १० प्रतिशत से अधिक न हो । अब मंत्रालय ने चावल का न्यूनतम मूल्य १५ रु० प्रति मन निर्धारित किया है जो कि उत्पादक को मिलेगा । मद्रास राज्य में लगभग २० बोरे धान प्रति एकड़ पैदा होता है, अर्थात्, यदि समूची पैदावार बिक जाये तो कुल ३०० रु० मिलेंगे जब कि प्रति एकड़ उत्पादन लागत ४०० रु० है । अतः जब तक कि निम्नतम मूल्य २० या २१ रु० प्रतिमन नहीं होता तब तक कृषक के लिए जीवन निर्वाह अति कठिन है । हमें उत्पादकों को उचित मूल्य देना चाहिये । सरकार को इस बारे में कड़ी कार्यवाही करनी चाहिये कि उत्पादक के लिए मूल्य में और उपभोक्ता के लिए मूल्य में उचित अंतर रहे और यह अन्तर १० प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिये । यदि यह कार्यवाही की जाती है तो मुझे विश्वास है कि उत्पादन केवल ८ करोड़ टन ही नहीं रहेगा, अपितु १० करोड़ टन हो जायेगा ।

श्री बागड़ी (हिसार) : डिपुटी स्पीकर साहब, जब भावों का उतार-चढ़ाव इस किस्म का हो कि देश की जनता का जीवन-निर्वाह होना कठिन हो जाये, उस वक्त भावों के चढ़ाव को रोकना बहुत जरूरी है । इसके बारे में इस सदन के सामने जो विचार प्रकट किए गए हैं और प्रकट किये जायेंगे, अगर उनके बारे में गम्भीरता से सोच कर और वक्त की आवाज को सुन कर मुनासिब कार्यवाही नहीं की गई, तो देश इस बीमारी से टूट जायगा, क्योंकि यह एक बहुत बड़ी बीमारी है । चूंकि भावों के बारे में सरकार की कोई निश्चित नीति नहीं है, इस लिये भावों के चढ़ने की वजह से देश के कमेरे तबके की कमाई लुटती रहती है । सरकार की कोई भी नीति निश्चित नहीं है । भावों को चढ़ने से रोकने के लिए एक निश्चित नीति का होना बहुत जरूरी है । किसी अनिश्चित नीति से निरखों के उतार-चढ़ाव पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता है । जैसा कि मैंने अभी कहा है, सरकार की कोई निश्चित नीति नहीं है और इस बात का कोई इन्तजाम नहीं है कि कोई काम एक ठीक और

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री बागड़ी]

निश्चित तरीके से होगा । मिसाल के लिए आप स्ट्रैप्टोमाइसीन को ले लीजिये, जो कि टी० बी० के मरीजों को इन्जेक्शन देने के काम में आती है । उसकी कीमत दो चार आने होती है, लेकिन सरकार के कारखाने में बनने के बावजूद उस की कीमत बारह, चौदह आने, बल्कि डेढ़, दो रुपए तक, ली जाती है और इस तरह जर्जरीभूत फेफड़ों के लिए खून की इतनी ऊंची कीमत वसूल की जाती है । वह सरकार जिसकी कोई निश्चित नीति नहीं है, वह महंगाई को रोक नहीं सकती है । वह चाहे जितनी कोशिश कर ले, महंगाई को रोक नहीं सकती है । महंगाई बढ़ती ही जा रही है । सरकार के जितने इदारे हैं, उन सब के अन्दर इस तरह की अनिश्चित नीति चल रही है । उन सब के मुनाफे बढ़ते ही जा रहे हैं । वे सब अपने मुनाफे बढ़ाते ही चले जा रहे हैं ।

इस वास्ते मैं अर्ज करना चाहता हूं कि अगर आप महंगाई को रोकना चाहते हैं तो आपको दो बातें करनी होंगी । ये बुनियादी बातें हैं । पहले तो आपको यह देखना होगा कि पैदावार कहां होती है । पैदावार एक तो खेत में होती है और दूसरे कल कारखानों में होती है, शहरों में होती है और देहातों में होती है । शहरों और देहातों के भाव आज ठीक तरह से नहीं चल रहे हैं । अगर शहरों के भाव हाथी की चाल चलते हैं तो गांवों के भाव गधों की चाल चलते हैं, शहरों के भाव गधों की चाल चलते हैं तो गांवों के भाव हाथी की चाल चलते हैं । कभी शहरों के भाव आकाश को छूने लगते हैं तो कभी गांवों के भाव पाताल तक पहुंच जाते हैं और गांवों के भाव आकाश को छूने लगते हैं तो शहरों के भाव पाताल तक पहुंच जाते हैं । इस वास्ते मैं कहना चाहता हूं कि जो किसान अनाज पैदा करता है, कच्चा माल पैदा करता है, गन्ना पैदा करता है, उसका भी आप खयाल रखें और जो उपभोक्ता है उसका भी आप खयाल रखें । अब आप देखें कि जो किसान गन्ना पैदा करता है, उसको गन्ने की कीमत बहुत ही कम मिलती है और वही गन्ना जिस वक्त मिल मालिक के पास पहुंच जाता है तो वह कितना ही मुनाफा उस पर कमाता है । जो किसान अनाज पैदा करता है, उसको तो उसका दस या बारह रुपये मन भाव मिलता है लेकिन वही अनाज जब कारखाने दार के घर जाता है, डालमिया या बिड़ला की फैक्ट्री में चला जाता है और वहां से बिस्कुट की शक्ल में निकलता है तो दो सौ और तीन सौ रुपये मन की सूरत में निलकता है । यह लूट है । इस लूट को बरदाश्त नहीं किया जा सकता है । जब तक कोई निश्चित नीति नहीं अपनाई जाती है तब तक इस लूटपने को नहीं रोका जा सकता है । भाव तब तक चढ़ते ही चले जायेंगे । आप इनको चढ़ने से रोक नहीं सकते हैं । अगर आप चाहते हैं कि कोई निश्चित नीति हो तो आपको इस बात को मानना पड़ेगा कि किसान की फसल का जहां तक सम्बन्ध है, जब वह निकलती है और जब वह बोता है, उस बीच में कभी भी कीमत इतनी न बढ़ सके कि किसान को नुकसान हो और इसके बारे में आपको कोई निश्चित नीति अपनानी होगी और कहना होगा कि इससे ज्यादा भाव नहीं बढ़ सकते हैं और न ही नीचे जा सकते हैं । साथ ही साथ आपको यह भी घोषित करना होगा कि कारखानों में जो सामान बनता है, उसकी उसकी लागत से डेढ़ गुना से अधिक कीमत नहीं हो सकती है । अगर आपने इस तरह की नीति बनाई तब तो बात बन सकेगी और अगर नहीं बनाई तो बात नहीं बन सकती है ।

सरकार कारखाने खोलती जाए, इससे कुछ होने वाला नहीं है । इससे तो यही होगा कि भ्रष्टाचार बढ़ेगा, जिनको परमिट आप देना चाहते हैं उनको परमिट दे सकेंगे और मंत्रियों के भाई भतीजों और उनके कुनबों का पेट और बढ़ेगा । भावों को रोकने का जो मलमंत्र है, उसको आपको पकड़ना होगा । इस विषय को जो इस सदन में विचारार्थ रखा गया है, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं । लेकिन विचार से कुछ नहीं हो सकता है । जरूरत इस बात की है कि इस पर अमल किया जाए । अमल तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि कोई निश्चित नीति नहीं बनाई जाती है ।

अभी पिछले दिनों की एक बात मैं आपको बतलाना चाहता हूं। यह जो वाकया मैं बयान करने जा रहा हूं, यह बहुत ही दिलचस्प वाकया है। मैं एक तांगे वाले के पास गया और उससे कहा कि चलोगे। उसने घोड़े की आंखों पर हरी ऐनक लगा रखी थी और घोड़ा सूखा घास खा रहा था। उसने घास उठा कर अन्दर रख लिया और घोड़े की आंखों से ऐनक को उतार लिया और कहने लगा आइये, चलें। मैंने पूछा कि यह ऐनक क्यों लगा रखी थी? उसने कहा कि यह घोड़ा बड़ा कम्बख्त है, हरी घास के सिवाय दूसरी सूखी घास खाता ही नहीं है। हरी घास मिलती नहीं है, इसलिए हरी ऐनक लगा रखी है ताकि इसको घास हरी नज़र आए और यह खा जाए। यह हरी घास समझ कर सूखी घास को खा रहा है। आप भी किसानों को हरी ऐनक से सूखी घास चराते चले जा रहे हैं। यह बहुत दिन तक नहीं चल सकता है।

मैं अर्ज करूंगा कि आप निश्चित नीति अपनायें। आपको चाहिये कि आपके घर से जो चीज चलती है, सरकार के जो कल-कारखाने हैं, उनसे जो चीज चलती है, सरकार की दूकानों से जो चीज चलती है, वह चीज बेमुनाफे के जनता को मिले। शहरों और देहातों, खेतों और कारखानों के भावों में ज्यादा अन्तर न हो। आप यह न भूलें कि सौ में से अस्सी आबादी किसानों की है। आज किसान के ऊपर हिन्दुस्तान का सिंहासन खड़ा हुआ है। आप किसी तरफ भी चले जायें, किसान आपकी मदद करने के लिये तैयार हैं। रक्षा कोष में किसने धन दिया है? मंत्रियों और उसकी बेटियों को आज किसने सोने में तोला है? किसान ने तोला है। गरीब ने तोला है, देश के अन्नदाताओं ने तोला है। बड़े दुःख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि किसान की कमाई पर आज हमला हो रहा है। गैर-मुल्की हमलावरों ने भी उस पर डाका डाला है और गाजी लोगों ने भी डाका डाल कर गजब किया है। इस पिछले पन्द्रह सालों के अन्दर भावों के मामले में किसान की कमाई पर कितना डाका पड़ा है और आए साल पड़ता जा रहा है, उतना न आज तक कभी पहले पड़ा है और न ही पड़ेगा इसका इतिहास साक्षी है।

अन्त में मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि हरी ऐनक से आप सूखा घास न चरायें, कुछ किसान की भी बात करें।

डा० क० ल० राव (विजयवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, श्रीमान, यह आपात काल, जिसमें हमें अपनी प्रतिरक्षा सैनिक शक्ति का निर्माण करना है, लगभग १० वर्ष तक चल सकता है। हमें इस पर कितना रुपया व्यय करना होगा इसका अनुमान हम इस बात से लगा सकते हैं कि गत युद्ध में इंग्लैंड को १,३०० करोड़ रुपये केवल युद्ध के लिये शस्त्र बनाने के कारखानों में ही खर्च करने पड़े थे। इसके अतिरिक्त उन्हें ११,००० करोड़ रुपये की लागत के शस्त्र सम्भार अमेरिका से पट्टे पर लेने पड़े थे। इतना रुपया खर्च करने का अर्थ होगा मूल्यों में वृद्धि और परिणामस्वरूप मुद्रास्फीति। मुद्रा-स्फीति से उत्पादन परिव्यय में वृद्धि होगी और प्रगति की गति मन्द हो जायेगी।

इतनी लम्बी अवधि में जिस पर हम विचार कर रहे हैं मूल्यों में वृद्धि होना स्वाभाविक ही है। इसलिये मूल्यों को एक विशेष स्तर पर बनाये रखने के लिये हमें कुछ बड़े शहरों में संमित रूप से राशनिंग की भी व्यवस्था करनी होगी। इसलिये माननीय मंत्री ने मुनाफाखोरी और माल को दबाये रखने पर नियंत्रण करने के लिये बहुत कुशलतापूर्वक यह विभिन्न उपाय निर्धारित किये हैं।

मूल्यों की उच्चतम सीमा पर भी विचार किया गया है। किन्तु यह उपाय पर्याप्त नहीं है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण कारक हैं जिन पर संक्षेप में चर्चा करूंगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

[गा० क० ल० राव]

पहला और सब से आवश्यक कारक है खाद्य उत्पादन में वृद्धि । इस आपात काल में खाद्य उत्पादन बढ़ाने का हर संभव उपाय अपनाया जाना चाहिये । सार्वजनिक स्थानों में भोजन करने और मनोरंजन पर भी कुछ नियंत्रण लगा देने चाहियें । गत युद्ध में इंग्लैंड में सादा भोजन करने के लिये वायुयानों द्वारा प्रचार किया गया था ।

दूसरा मुख्य कारक है मजूरी आदि उत्पादन परिव्यय । यह मूल्यों के स्थायीकरण के लिये बहुत आवश्यक है । मूल्य वृद्धि पर इनका प्रभाव उपभोक्ता की मांग द्वारा पड़ने वाले प्रभाव से बहुत अधिक होता है । यदि मजूरी और उत्पादन परिव्यय बढ़ रहे हों तो सरकार को उन्हें स्थायी रखने के लिये सहायता देनी चाहिये ।

आधुनिक पद्धति और नई तकनीक अपनाने से भी इसमें सहायता मिलेगी । नई तकनीक के लिये इंजीनियरों को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है ।

अनुत्पादी कर्मचारियों पर किये जाने वाले अनावश्यक व्यय को कम करके भी लागत घटायी जा सकती है । दामोदर घाटी निगम का ही उदाहरण लीजिये । वहां का कार्य पूरा हो गया है । अब वहां इतने बड़े कार्यालय और भारी संख्या में कर्मचारियों को रखने की आवश्यकता नहीं है । बचा हुआ काम सरलता से सम्पन्न किया जा सकता है ।

एक दूसरा पहलू भी है । आसाम में सीमेंट का कोई भी कारखाना नहीं है । वहां पर कोयला और चूने की खानें हैं । एक सीमेंट का कारखाना स्थापित करके यह कमी भी दूर कर देनी चाहिये ।

असैनिक मांगों में भी कमी की जानी चाहिये, उदाहरणार्थ उपभोक्ता वस्तुओं में । इसके लिये हमें कुछ बलिदान की आवश्यकता होगी । हमें कुछ ऐसी प्रणालियां चालू करनी चाहियें जिनसे पदार्थों का मितव्ययता के साथ उपयोग किया जा सके । इससे लोगों की मांगें कम हो जायेंगी । मकान इत्यादि बनाने में भी मितव्ययता की जानी चाहिये ।

चौथा महत्वपूर्ण कारक अतिरिक्त भाग को खपाने का है ।

श्री रामेश्वरानन्द : "ओ३म अग्ने नय सुपथा राये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान
युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम ।"

हे भगवन्, हमारी सरकार को सुबुद्धि दे जिस से उस की अपनी कोई निश्चित नीति बने।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इस लिये मैं आप का धन्यवाद करूंगा।

आज आवश्यक वस्तुओं के निश्चित मूल्यों के सम्बन्ध में आप विचार कर रहे हैं । प्रथम तो आवश्यक वस्तु क्या है इसका पता नहीं चलता । कौन सी वस्तु आवश्यक नहीं है। जो भी प्रयोग में आती हैं वे सभी वस्तुयें आवश्यक हैं । आप चाहते हैं कि आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर नियंत्रण हो। किस का हो ? अन्न पर आप नियंत्रण कर सकते हैं, परन्तु आप को यह भी देखना पड़ेगा कि किसान को अन्न का उत्पादन करने में कितना काम करना पड़ता है । आप एक गेहूं को ही ले लीजिये। कम से कम २० बाढ़ लगानी पड़ती हैं । तब जा कर उस में गेहूं पैदा होता है । और अधिक से अधिक गेहूं पैदा होता है तो एक बीघा में ५ मन होता है । आप वर्ष भर का हिसाब लगायें कि किसान ने कुल कितनी मेहनत की है । आप अन्न को आवश्यक तो समझ लें लेकिन उसके उत्पादन पर आप का ध्यान ही नहीं है, इसलिये जहां पर आप आवश्यक मूल्यों का निर्धारण करना चाहते हैं वहां

उसके उत्पादन के बारे में भी कोई नीति होनी चाहिये । हमें पता है कि जब तक देश स्वतंत्र नहीं हुआ था, छः आने में हल की फारी मिलती थी, लेकिन इस समय २।। रु० में मिलती है। किसान का गंडासा उस समय १। रु० में दो के हिसाब से मिलता था, इस समय ७ या ८ रु० में १ मिल रहा है। जब हम यहां से अपने घरों को पहले जाते थे तो १४ आ० में जाते थे लेकिन इस समय २।। रु० में जाते हैं। तो आप के सम्बन्ध की जो चीजें हैं उन पर तो आप मूल्य बढ़ाते जा रहे है और जनता से जिनका सम्बन्ध है उन पर आप कहते हैं कि नियंत्रण होना चाहिये। कैसे नियंत्रण हो सकता है? आप कर लें नियंत्रण। चोर बाजारी होती ही इसीलिये है। चोरी लोग करते ही इसलिये हैं कि आज तक आप की अपनी कोई नीति नहीं है । हम लोगों को इसे देख कर बड़ा आश्चर्य हुआ है कि सरकार ने यह सोचा तो सही कि आवश्यक वस्तुओं का मूल्य निश्चित हो। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार की नीति निश्चित है? आज तो सरकार कुछ कहती है और कल कुछ और कहती है। कल चीन के सम्बन्ध में उन्होंने कहा कि उसको निकाल कर दम लेंगे, हम उससे बात तक नहीं करेंगे । कल श्री लाल बहादुर शास्त्री कह रहे थे कि लाल किले में कि चीन को निकाल कर रहेंगे, लेकिन आज सब ने हाथ उठा दिये और कह दिया कि पहले भी बात हो सकती है। इसीलिये मैं कहना चाहता हूं कि सरकार की कोई निश्चित नीति होनी चाहिये। लेकिन आज उसकी निश्चित नीति नहीं है ।

आप किस तरह से देश में मूल्य नियंत्रण कर सकते हैं जब कि एक व्यक्ति को तो कई कई हजार रुपये मिलते हैं और एक व्यक्ति को, जो कि चपरासी है, आप ७० रु० दे रहे है। सेना के अन्दर जो दम कड़ा कर के खड़ा है चीनियों का सामना करने के लिये, उसको आप ८० रु० देते हैं और जो कोठियों में मौज कर रहे हैं उन को आप कई कई हजार रुपये देते हैं। आज जब ७५ और ८० रु० पाने वाला बाजार जाता है और साथ में कई कई हजार रुपये पाने वाला भी जाता है तो आप बतलाइये कि ८० रु० पाने वाले को कैसे ठीक मूल्य पर वस्तु मिल सकती है क्योंकि कई कई हजार रुपये पाने वाला तो चार पैसे अधिक देकर भी खरीद सकता है? आप को इसको जरूर देखना चाहिये कि सब से आवश्यक वस्तुयें कितनी हैं और उनका बराबर प्रवाह चलता रहे । आप का इस प्रकार का प्रबन्ध होना चाहिये । मंत्री महोदय को पर्याप्त मिलता है, राष्ट्रपति को पर्याप्त मिलता है लेकिन एक लोक सभा के चपरासी को क्या मिलता है? मुझे इसका पता नहीं है, लेकिन मुझे अपने जिले के बारे में मालूम है । पंजाब के बारे में पता है कि जो डिप्टी कमिश्नर का चपरासी होता है उसको ७५ रु० मिलते हैं। आज आप अवश्य मूल्यों पर नियंत्रण करना चाहते है लेकिन एक मामूली आदमी किस प्रकार से अपना निर्वाह कर सकता है? जब कोई बड़ा आदमी जाता है सामान लेने तो वह ज्यादा लेता है और थोक के भाव पर सामान मिल जाता है, लेकिन कोई छोटा मोटा आदमी लेता है, तो उस बेचारे को ज्यादा महंगे दाम देने पड़ते हैं। किस तरह से आप इसका नियंत्रण कर सकेंगे ?

मैं कहना चाहता हूं कि कोई दृढ़ मंत्री इस तरह का होना चाहिये जो कि इस काम को कर सके । अभी थोड़े दिन हुए, स्वतंत्रता के दिनों में ही महाशय किदवई आप के यहां मिनिस्टर थे। उन्होंने अन्न का नियंत्रण नहीं किया लेकिन उस को ठीक स्थिति पर ला कर छोड़ा, जो कंट्रोल से भी नहीं लाई जा सकती थी, उस स्थिति पर ला कर छोड़ दिया।

आप तो लोक सभा में विचार कर लेते हैं, आपको जनता के सामने जाना चाहिये । जब तक जनता का चरित्र बल ऊंचा नहीं होता तब तक चाहे अपना कितना ही डंडा लिए पीछे फिरते रहें

[श्री रामेश्वरानन्द]

कुछ नहीं हो सकता। लोगों को आप ऐसी भावना दें जैसी कि स्वामी दयानन्द ने दी। उनका कहना था कि प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से सन्तोष नहीं करना चाहिए किन्तु सब की उन्नति का प्रयत्न करना चाहिए। प्रत्येक को सामाजिक नियम का पालन करने में परतंत्र रहना चाहिए। पर हितकारी कार्य करने में स्वतंत्र रहना चाहिये। जब तक आप लोगों में यह भावना नहीं ला सकते तब तक आप सफल नहीं हो सकते। आज आपकी शिक्षा क्या है? शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता।

आवश्यक वस्तुओं के नियंत्रण के लिए आपको दो तीन पग दृढ़तापूर्वक उठाने होंगे। आपके बालकों में भातृ भाव होना चाहिए, उन में कोई ऊंच नीच का भाव न रहना चाहिए। लेकिन आप तो भेदभाव स्वयं करते हैं कि ये हरिजन है, ये गैर हरिजन है, ये सवर्ण हैं, ये गैर सवर्ण है आदि। तो आपकी अनिश्चित नीति है, आपको राष्ट्र में एकएकता की नीति लानी चाहिए।

आज आपके हाथ में शासन है, लेकिन आप से पहले भी राजे महाराजे होते रहे हैं। दो अरब वर्ष से देश का शासन चल रहा है, लेकिन ऐसी समस्या जैसी आज हमारे सामने आयी है वैसी कभी नहीं आई। आज जनता में आप की नीति का मजाक हो रहा है। जहां भी दो आदमी बात कर रहे हों वहां आप सुन कर देख लीजिये कि वे आपकी नीति के सम्बन्ध में क्या कहते हैं। लोक सभा में वे लोग आ कर नहीं बोल सकते लेकिन बाहर सुन लीजिए कि आपकी नीति की क्या आलोचना हो रही है। मैं आपसे सत्य बात कहता हूं और मेरी बात सही है।

सत्यवक्ता न वंचकः

सत्य बोलने वाला वंचक नहीं होता, हां आपको उसकी बात जरा कठोर लग सकती है। मैं कोई सरकार को गद्दी नहीं लेना चाहता। मैं तो चाहता हूं कि देश का शासन सुचारू रूप से चले और देश की रक्षा के लिए आप सब लोगों को नियंत्रण में ले कर चल सकें और देश में सुख और समृद्धि हो और फिर हमारा देश सोने की चिड़िया बन जाए जैसा कि वह पहले था।

आप सोने पर नियंत्रण लाए, लेकिन उसका क्या परिणाम हो रहा है यह आपको क्या मालूम। आप तो यहां बैठे है। उन हजारों लाखों सुनारों और मजदूरों से पूछिए कि उन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है, और वे लोग आपकी नीति के सम्बन्ध में क्या कह रहे हैं। इधर आपका ध्यान जाना चाहिये।

आप अपनी एक निश्चित नीति बनाइए तब आवश्यक वस्तुओं के मूल्य पर नियंत्रण हो सकेगा अन्यथा कोई नियंत्रण नहीं चल सकता।

श्री च० का० भट्टाचार्य (रायगंज) : मैं स्वामी जी को गीता का एक वाक्य सुझाना चाहता हूं, वह इस प्रकार है :—

अनुद्वेग करं वाक्यं सत्यं प्रयहितम् च यत्

श्री रामेश्वरानन्द : यह तो ठीक है, लेकिन चोर को चोर कहा जाएगा तो उसको बुरा अवश्य लगेगा।

श्री दे० शि० पाटिल (यवतमाल) : उपाध्यक्ष महोदय, अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों को उचित स्तर पर बनाए रखने के सम्बन्ध में श्री नन्दा जी ने जो वक्तव्य दिया है उसमें तीन बातें

बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो यह है कि गवर्नमेंट ने आवश्यक वस्तुओं को उचित स्तर पर बनाए रखने का डिटरमिनेशन किया है। दूसरे ऐसा करने के लिये उन्होंने दो मेन डिसीशन्स लिए हैं और एक हाई लेविल कमेटी आन प्राइस स्टेबिलाइजेशन बनायी है। और फुडग्रेन तथा कॉटन टेक्सटाईल के बारे में कुछ स्कीम्स मंजूर की हैं।

अत्यावश्यक वस्तुओं में खाद्य और कपड़े को माना गया है और इसके बारे में पेज ३ कालम ३ पर पालिसी फार फूडग्रेन दी गयी है। आज ऐसा आश्वासन देने का समय आ गया है कि जो किसान अन्न का उत्पादन करता है उसको उसका उचित मूल्य मिलेगा। इसी संबंध में मैंने एक संशोधन दिया है। मेरे संशोधन का मतलब ही यह है कि किसान को अपनी उपज का रीजनेबिल मूल्य मिलना चाहिए। लेकिन यह रीजनेबिल मूल्य क्या हो इसका निर्धारण सरकार को शहरी बिचोलिये लोगों के कहने पर नहीं करना चाहिये। रीजनेबिल रेट निर्धारित करते समय, किसान का कास्ट आफ प्रोडक्सन, उसका जीवन मान और जो वह नई पूंजी लगाता है उस सबका ध्यान रखना चाहिए। यह नीति मेरी अपनी नीति नहीं है। प्लानिंग कमीशन ने पेज ३६६ पर तीसरी योजना में कृषि मूल्य की नीति के सम्बन्ध में यही कहा है। यह नीति बहुत महत्वपूर्ण है। प्लानिंग कमीशन ने कहा है :

उत्पादक को यह पूरा विश्वास होना चाहिये कि ज्यादा उत्पादन के लिये जो अतिरिक्त प्रयत्न और पूंजी लगेगी उसका उसे पर्याप्त प्रतिफल मिलेगा। इसी प्रकार किसान को यह विश्वास दिलाया जाना चाहिये कि खाद्यान्न तथा अन्य वस्तुओं को जिनको वह उत्पादन करता है उनका मूल्य एक युक्तियुक्त स्तर से नीचे नहीं गिरने दिया जाएगा। यह प्लानिंग कमीशन का आश्वासन है और यही आश्वासन पूरा करने के लिए मैंने अपना संशोधन दिया है।

जो भाव बढ़ते हैं उनके लिये किसान जिम्मेदार नहीं है। ये भाव तो मिडिलमैन के कारण बढ़ते हैं। उसको रोकना चाहिये। मेरा सुझाव है कि आज जो अनाज के भाव हैं उनमें थोड़ा वृद्धि होनी चाहिये। आज जो भाव हैं वह कम है। इसके वृद्धि के कारण भी मैं बताता हूं। किसान का कास्ट आफ प्रोडक्शन बढ़ा है, उस पर टैक्स भी बढ़े हैं इसलिये उसकी उपज का दाम बढ़ना चाहिये। गवर्नमेंट ने ज्यूट, सुगर केन टी आदि अनेक पदार्थों के बारे में अपनी पालिसी से भाव बढ़ाए हैं। किसान के अनाज के उचित मूल्य मिलने के बारे में हमारे कृषि मंत्री श्री पाटिल बहुत कर रहे हैं लेकिन कामर्स और इंडस्ट्री मंत्रालय का असहकार होने से जितनी चाहिये उतनी कीमत नहीं बढ़ पायी है। श्री पाटिल ने एक मीटिंग मेंकहा था जब कि वह अनाज के मूल्यों के बारे में बोल रहे थे :

> "७० प्रतिशत उपभोक्ता उत्पादक स्वयं ही हैं। इसलिये कृषि में इन्हीं के हितों की रक्षा की जानी चाहिये और अनाज के मूल्य कुछ बढ़ा देने चाहिये।"

प्राइसेज के बारे में जब खयाल किया जाता है तो कंज्यूमर के इंटरेस्ट को देखा जाता है और किसान के इन्टरेस्ट को नहीं देखा जाता। मैं गवर्नमेंट से निवेदन करूंगा कि कंज्यूमर को किसान के कास्ट पर प्रोटेक्शन नहीं दिया जाना चाहिये।

दूसरा सवाल मेरा नन्दा जी की उस योजना के बारे में है जो उन्होंने पेज ५ कालम ७ में कॉटन टैक्सेटाइल के बारे में दी है। वह इस प्रकार है। :

> "मिलों को कपास अनुमोदित पर्यवेक्षकों के माध्यम द्वारा ही खरीदना चाहिये जो कपास का सर्वेक्षण करके उचित मूल्य निर्धारित करें।"

यह उन्होंने स्कीम दी है और उस के बहुत से डिटेल्स भी दिये हैं।

[श्री दे० शि पाटिल]

मुझे यह कहते हुये बहुत खेद होता है कि किसान का कपास और अनाज का गल्ला वगैरह जब हारवेस्ट में बाजार में बिकने के लिये आता है तो उस का भाव गिर जाता है लेकिन वही किसान का माल जब व्यापारी लोगों और मिलओनर्स के हाथों में पहुंच जाता है तब उस के भाव बढ़ जाते हैं। यह हाल आज अनेकों वर्षों से चला आ रहा है लेकिन सरकार उसे ठीक नहीं कर पायी है और आज भी हकीक़त यह है कि किसानों को उनके उत्पादित माल का पूरा और मुनासिब दाम नहीं मिलता है। प्लानिंग कमिशन ने आश्वासन दिया है और जो कि मैंने अभी पढ़ कर सुनाया है। उन्होंने कहा है कि कीमतें एक मिनिमम लेबल के नीचे नहीं गिरने देनी चाहिये। लेकिन प्लानिंग कमिशन का यह आश्वासन भी सरकार से पूरा नहीं हो सका है। नन्दा जी ने भी अपने स्टेटमेंट में यह आश्वासन दिया है कि किसी भी प्रकार मूल्यों को एक युक्तिसंगत स्तर से नीचे नहीं गिरने देना चाहिये और न ही उन्हें मुनाफाखोरी इत्यादि समाजविरोधी कृत्यों द्वारा बढ़ने देना चाहिये। लेकिन आज परिस्थिति ऐसी हो गई है कि किसान की पैदा कपास को कोई लेने वाला नहीं है। आज अहमदाबाद और विदर्भ में हम ने देखा कि किसानों की कपास को कोई लेने वाला नहीं है, मिनिमम प्राइस की तो बात अलग रही। इसके फलस्वरूप किसान बिलकुल लुटा जा रहा है।

उपाध्यक्ष० महोदय : माननीय सदस्य का समय समाप्त हो रहा है।

श्री दे० शि० पाटिल: वैसे कहना तो मुझे इस के बारे में अभी बहुत कुछ था लेकिन चूंकि आप ने घंटी बजा दी है इसलिये मैं अधिक न कहते हुए आप की इजाजत से केवल १, २ मिनट में अपना भाषण समाप्त कर दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, यह कौटन टेक्सटाइल में जो सूपरवाइजर्स और टैक्सटाइल कमिश्नर हैं, मैं बहुत ज़िम्मेदारी के साथ यह बात कहना चाहता हूं कि यह दरअसल एग्रीकलचरिस्ट्स के एनिमीज़ हैं। टेक्सेटाइल कमिश्नर देश के हित में और किसानों के हित में काम नहीं करते हैं बल्कि वह तो मिलओनर्स और ट्रेडर्स के हित में काम करते हैं। सूपरवाइजर्स मिलओनर्स और ट्रेडर्स से मिले रहते हैं। वे नाजायज़ तौर से पैसा कमाते हैं। मैं आप के जरिये गवर्नमेंट से रिक्वैस्ट करूंगा कि वे टेक्सटाईल कमिश्नर और सूपरवाइजर की चल और अचल सम्पत्ति के बारे में इनक्वायरी कराये और देखे कि जब से उनकी नियुक्ति हुई है उस के बाद से अब तक उन के पास कितनी सम्पत्ति जमा हो चुकी है और तब गवर्नमेंट को पता चलेगा कि यह किसानों को किस तरह से लूटने की स्कीमें तैयार करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं ने ११ नवम्बर, को यह सदन में इस बारे में एक कौलिंग अटेंशन का प्रस्ताव रक्खा था उससे मालूम होता है कि टेक्सेटाइल कमिश्नर ने कोटेन के मूवमेंट, सर्वे और स्टाक के बारे में बंधन लगाये थे लेकिन बाद में जब इस के बारे में डिसकशन हुआ तो वे बंधन हटा लिये गये। अब वे रिट्रक्शंस क्यों उठा लिये गये इसका कोई कारण नहीं दिया गया। उन को इस से काफ़ी नुकसान हुआ। मैं आख़िर में दिल में दर्द लिये बहुत गम्भीरता से गवर्नमेंट से निवेदन करूंगा कि किसान ग़रीब हैं, असंगठित हैं। मैं कामर्स और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से रिक्वैस्ट करूंगा कि उन को मत सताइये क्योंकि याद रखिये अगर देश के कृषक दुखी होते हैं और वे रो दिये और उन की बददुआ लग गई तो तमाम मुल्क रोयेगा।

श्री शिव नारायण (वांसी) : उपाध्यक्ष महोदय, जीवन में तीन आवश्यक वस्तुएं हैं, खाना, कपड़ा और रहने को मकान। मुझे याद है कि पहले महायुद्ध के बाद जब जर्मनी इंग्लैंड के मातहत हुआ था, तब जर्मनी तैयार हो गया था कि उसे खाना, कपड़ा और रहने को मकान दिये जांय और वह इंग्लैंड के सारे कारखानों में चल कर काम करेंगे। लेकिन इंग्लैंड इस पर तैयार नहीं हुआ। मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में इंसाफ की तराजू को अगर ठीक करा जाय तो आज चीन की कौन कहे, दुनिया की कोई भी शक्ति हम भारतवासियों का मुकाबला नहीं कर सकती है। हमारी कौम एक जिंदा कौम है। हमारी कौम हमेशा से जांबाज और बहादुर क़ौम रही है। हिन्दुस्तान के मुस्लिम बादशाहों की हिस्ट्री हमारे सामने मौजूद है। अलाउद्दीन का राज्य काल हमें याद है। उस के ज़माने में ३, ३ रुपये में सिपाही मुकर्रर होते थे। घी रुपये का कई सेर बिकता था। खाने और कपड़े आदि चीजों का फिक्स रेट था और मजाल नहीं थी कि कोई भी बनिया या व्यापारी निश्चित मूल्य से अधिक दाम जनता से वसूल कर सके। लेकिन आज हालत यह हो रही है कि क्वार के महीने में जब धान कटता है तब वह रुपये का आठ सेर बिकता है लेकन उस के दो, चार महीने बाद जब वही धान मार्केट में पहुंचता है तब वह पबलिक को २, ३ सेर का मिलता है। अब यह कहां का इंसाफ़ है कि किसान जो दिन रात एक करके कठिन परिश्रम करके अनाज पैदा करता है उसको तो अनाज के वाजिब दाम न मिलें और जब बाज़ार में वह बिचौलियों द्वारा जनता के लिये लाया जाय तो वह उसको काफी मुनाफे पर बेचें ? आज यह तथ्य है कि किसानों को उनकी उपज का उचित पैसा नहीं मिलता है। मैं इस के बारे में एग्रीकलचर मिनिस्टर को चैलेंज करता हूं कि वे हिसाब लगा कर देखें। मैं एक किसान का बेटा हूं और यह बात बहुत ज़िम्मेदारी के साथ कहता हूं कि उसको उचित मुनाफा नहीं मिलता है। अगर आप इसका हिसाब लगाइयेगा कि प्रोडक्शन में उसका कितना पैसा लगा और कितना उसको प्राफिट हुआ तो आप जान जायेंगे कि मैं जो कह रहा हूं बिल्कुल ठीक कह रहा हैं। अगर ५० (?) परसेंट से उसको ऊपर प्राफिट होता है तो आप वह सारा प्राफिट बड़े शौक़ से ले लीजिये और उस हालत में वह आपको पूरे टैक्सेज़ देने के लिये तैयार है।

काश्तकार गन्ना बोता है। एक मन गन्ने में पौने चार सेर चीनी होती है। पौने चार सेर चीनी की बाज़ार में पौने चार रुपये दाम मिलता है लेकिन किसान को केवल एक रुपये दस आने मिलते हैं। वह पैसा कहां जाता है ? उस की चैकिंग हो। गवर्नमेंट इस को चैक करे। आख़िर यह सरकार किस की बनी हुई है ? ज़ाहिर है कि यह सरकार गरीब किसानों और मिडिलमैन के ऊपर डिपेंड करती है। इस देश के ग़रीब किसान और मिडिल क्लास पीपुल उसकी रीढ़ हैं और अगर उन को तकलीफ़ होती है तो स्पष्ट है कि सरकार अपने कर्त्तव्य का ठीक तरह से पालन नहीं कर रही है। कोई भी सरकार कुछ बड़े बड़े पूंजीपतियों या बड़े बड़े विद्वानों के ऊपर नहीं चलती है। सरकार को वह नहीं चलाते हैं। किसान और जितने यहां मिडिल क्लास के आदमी बैठे हुए हैं, सरकारी कर्मचारी और अन्य लोग, इन मिडिल क्लास के लोगों पर कोई भी कौम या मुल्क डिपेंड करता है। सरकार को यह देखना चाहिये कि यह लोग अनुचित रूप से दुखी न हों।

अपनी प्रशासन की मशीनरी को भी हमें ठीक करना है। मैं गवर्नमेंट से कहना चाहता हूं कि आप अनाज पर कंट्रोल की बात करते हैं, गेहूं आप को कल कंट्रोल करना है लेकिन व्यापारियों को यह बात चार दिन पहले आउट हो जाती है और तमाम माल अंदर छिपा लिया जाता है। अभी स्वामी जी ने रफ़ी साहब को कोट किया। मैं इस के लिये उन को धन्यवाद देता हूं। मैंने भी

[श्री शिवनारायन]

रफ़ी साहब को यहां पर कोट करना चाहूंगा । मुझे याद है कि एक बार मद्रास में अन्न की शौर्टेज हुई । रफ़ी साहब के पास वायरलैस आया । वह केन्द्रीय मन्त्रालय में खाद्य मंत्री थे उन्होंने उस वायरलैस का जवाब टैलीग्राम से यह दिया अनाज के १०० डिब्बे भेजे जा रहे हैं अब रफ़ी साहब की सूझ देखिये । शासक कीं बुद्धि को देखिये कि वायरलैस का जवाब उन्होंने वायरलैस से न दे कर टेलीग्राम से दिया । टेलीग्राम पोस्ट मास्टर्स के जरिये पास हुआ और उन्होंने बनियों और व्यापारियों को आगाह कर दिया कि गल्ले की कमी नहीं रहने वाली है और १०० बैंगन गल्ला भेजा जा रहा है । नतीजा यह हुआ कि गल्ले की कमी बाज़ार में जाती रही, व्यापारियों ने जो गल्ला छिपा रक्खा था वह उन्होंने बाज़ार में रख दिया और दूसरे दिन मार्केट में गेहूं बिकने लग गया । यह शासक का कर्त्तव्य है कि वह अपने प्रशासन को ठीक रक्खे । अपने प्रशासन यंत्र को ठीक कर किसी भी चीज़ की प्राइस फ़िक्स करे । यह नहीं कि अभी चार दिन पहले जैसे सोने का दाम फ़िक्स किया और बाज़ार में उसका क्या हाल रहा, इस तौर पर शासन न करे ।

श्री राम सेवक यादव : इसका तो मतलब यह है कि शासन ठीक नहीं है ।

श्री शिव नारायण : आप जो कुछ मैं कह रहा हूं उसे सुनने की कोशिश कीजिये । मेरा कहना है कि आज की अवस्था के लिये केवल सिनिस्टर्स ही जिम्मेदार नहीं हैं बल्कि सारी मशीनरी ऊपर से नीचे तक जिम्मेदार है । और मैं तो कहूंगा कि यह कम हैं, ज्यादा जिम्मेदार तो हमारे सोशलिस्ट भाई हैं जोकि कल सरकार को रिप्लेस करने वाले हैं । आज तो इस गवर्नमेंट को हम लोग चला रहे हैं, हम गवर्नमेंट में हैं लेकिन आप चूंकि भावी सरकार बनाने वाले हैं इसलिये आप पर बड़ी जिम्मेदारी आती है । अगर आप अनुशासित नहीं हैं और एक अच्छा नमूना नहीं पेश करते हैं तो जाहिर है कि आपकी जगहंसाई होगी और आज पबलिक इन की गैर जिम्मेदारी पर हंसती है । लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम चूंकि गवर्नमेंट में हैं इसलिये हम आंख बन्द कर के गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं । हम जिम्मेदारी के साथ और एक रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुये जहां आवश्यकता होती है अपनी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज भी करते हैं । इसलिये मैं अपनी गवर्नमेंट से कहना चाहता हूं कि जो प्राइस जुलाई में फिक्स हो तो पांच साल के बाद उसको आप चेंज कीजिये, आज नहीं । जो बर्डेन किसान पर पड़े वह हर आदमी पर पड़े । एक लेविल पर रख दीजिये । आज हमारी कौम और मुल्क एक सूत्र में बंधा हुआ है । इस इमरजेंसी के पीरियड में अगर थोड़ा सा बर्डेन हम पर रक्खा जाता है तो उसे उठाने में हमें कोई ऐतराज नहीं है । आज मुझे यह कहने के लिये क्षमा किया जाये कि जितना पैसा इस इमरजेंसी में सुरक्षा कोष में आ रहा है वह ज्यादातर इस देश की गरीब जनता दे रही है, बड़े लोग नहीं दे रहे हैं । बड़े लोग उस रेशियो से पैसा नहीं दे रहे हैं जिस रेशियो से कि इस देश के गरीब लोग दे रहे हैं । जहां गरीब ने एक दिन की कमाई डिफेंस फंड में दी है वहां बड़े लोगों ने अपने एक दिन की इनकम फंड में नहीं दी है । अगर उन्होंने भी उसी तरह सहायता दी होती तो आज हमको अमरीका और इंग्लैंड से सहायता मांगने की आवश्यकता न पड़ती । हिन्दुस्तान के जवान और फौज दुनिया के जवानों और फौजों से ज्यादा मजबूत, जांबाज और कलेजा रखने वाली है । हम कमजोर नहीं हैं और न ही किसी से पीछे हैं । मैं केवल अपने प्लानिंग के मिनिस्टर नन्दा जी से प्रार्थना करूंगा कि वे कम से कम उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों का दौरा करें और स्वयं देखें कि वहां के गरीब काश्तकारों की कैसी खराब हालत है । मैं उस बस्ती जिले को रिप्रेजेंट करता हूं जिसके कि लिये गवर्नमेंट के पास रिपोर्ट आई है कि वह सबसे गरीब और पिछड़ा हुआ इलाका है । अभी तक मंत्री महोदय को उस इलाके में जाने और अपनी आंखों से वहां के हालात का मुआयना करने का मौका नहीं मिला है ।

मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे उस इलाके में अब जरूर जायें और स्वयं देखें कि वहां की क्या पोजीशन है और आपके मुल्क का क्या स्टैन्डर्ड है ? प्लानिंग कमीशन के यहां पर बैठ कर रेजोल्यूशन पास कर देने से यह समस्या हल नहीं हो सकती है ।

योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा): मैं माननीय सदस्य के इलाके में हो आया हूं ।

श्री शिव नारायण : माननीय मंत्री जी बस्ती नहीं गये होंगे ।

श्री नन्दा: मैं बस्ती भी गया हूं ।

श्री शिव नारायण : मुझे तो इसका पता नहीं है । मैं पिछले पन्द्रह बरस से एसेम्बली और पार्लियामेंट में हूं, लेकिन मुझे इसका ज्ञान नहीं है ।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दुनिया का रिकार्ड हमारे सामने है, संसार का इतिहास हमारे सामने है । मैंने अभी अलाउद्दीन का जिक्र किया है । सिनेमा, फाउनटेन-पैन, घड़ियों वगैरह की कीमत चाहे बढ़ा दी जाये, लेकिन खाने, कपड़े, मकान, नमक और तेल पर कंट्रोल कर दिया जाये और इनकी बेशी कीमत न ली जाये । इस इमर्जेंसी पीरियड में जो लोग ब्लैक-मार्केटिंग करते हैं, उनको सजा अवश्य दी जाये ।

इन शब्दों के साथ मैं पुनः सरकार से प्रार्थना करूंगा कि प्राइसिज को फिक्स कर दिया जाये । उससे बड़ा कल्याण होगा ।

श्री गौरी शंकर कक्कड़ (फतेहपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सामने जो मोशन आज विचाराधीन है, उसको यहां पर प्रस्तुत करने के लिये मैं माननीय सदस्य, श्री इन्द्रजीत गुप्त, को बधाई देता हूं ।

सरकार ने इस बात का संकल्प किया है कि इस देश में एक समाजवादी आर्थिक व्यवस्था और प्लान्ड इकानोमी होनी चाहिये । लेकिन समाजवादी आर्थिक व्यवस्था कभी भी सफलता से नहीं चल सकती, जब तक कि प्राइसिज का कंट्रोल न हो और विशेष तौर पर इस संकटकालीन स्थिति में इस ओर ध्यान देना चाहिये । लेकिन हम देखते हैं कि यद्यपि सरकार कहती है कि हम देश में एक समाजवादी आर्थिक व्यवस्था स्थापित करेंगे, लेकिन उसके द्वारा जो कानून बनाये जाते हैं और उन कानूनों को जिस तरह से निभाया जाता है, उसका परिणाम यह हो रहा है कि जो मुशक्कत और मेहनत करता है, वह तो गरीब होता चला जा रहा है, परन्तु जिन के पास सरमाया है, उनके पास अधिक संग्रह होता जा रहा है ।

विशेष तौर पर आप एक कृषक की हालत को देखें । कृषकों के ऊपर जो कर्जा होता है, उसकी जांच करने के लिये एक रूरल क्रेडिट सरवे कमेटी बनाई गई । उस कमेटी ने रूरल इनडेटिडनैस के बारे में जांच पड़ताल की और उसके आधार पर अपनी राय दी । उस राय को इम्प्लीमेंट करने के बारे में यह समझा गया कि सहकारिता के द्वारा कृषक को जो ऋण दिया जा रहा है, वह अगर मार्केटिंग के साथ लिंक कर दिया जाये, तो उसको अपने उत्पादन का उचित मूल्य मिलेगा । मैं सहकारिता में आठ बरस से काम कर रहा हूं । मेरा अनुभव यह है कि यह कदम उठाने से कृषक का कोई कल्याण नहीं हुआ और उसको अपने उत्पादन का उचित मूल्य नहीं मिला । बल्कि उत्तर प्रदेश में तो एक रुपया नौ आने सैकड़ा के हिसाब से और अधिक टैक्स लगाया जा रहा है ।

[श्री गौरी शंकर]

यह देखा जाता है कि कृषक को अपने उत्पादन के लि जिन चीजों की आवश्यकता होती है, उनके भाव तो बराबर बढ़ते चले जा रहे हैं। प्लानिंग के अन्तर्गत एक नया कानून एनफोर्स किया गया है कि अनिवार्य तौर पर पच्चीस प्रतिशत क्रेडिट लेने वाले को को-आपरेटिव सोसायटी से मैन्योर और रसायनिक खाद दी जाये। लेकिन यह ध्यान नहीं रखा गया कि जो कृषक जवार और बाजरा बोते हैं, उनको भी अनिवार्य तौर पर रासायनिक खाद दी जा रही है। इसके बरअक्स जो कृषक आलू की काश्त करते हैं उनको जितनी रासायनिक खाद मिलनी चाहिये, उससे कम दी जा रही है। मेरा अभिप्राय यह है कि इस तरफ कहीं पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि जिस चीज की जहां पर आवश्यकता है, जिस चीज से उत्पादन अधिक बढ़ सकता है, उन चीजों को उन जगहों पर पहुंचाया जाये। सरकार के द्वारा ऐसा नहीं किया जा रहा है।

संकट कालीन स्थिति की घोषणा के बाद यह देखा गया है कि गल्ले के भावों में बहुत बड़ा अन्तर पड़ा है। किसान जो गल्ला पैदा करता है, वह तो सस्ता हो रहा है और उसके बरअक्स उस के लिये रोज की आवश्यक चीजों के मूल्य बराबर बढ़ते जा रहे हैं। अगर यह स्थिति रहेगी और कृषक के उत्पादन और उसकी आवश्यकता की चीजों के मूल्यों में यह अनुपात रहेगा, तो फिर कृषक किसी तरह से खुशहाल नहीं हो सकता है।

इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में इस संकट कालीन स्थिति के बाद सभी कृषकों पर पच्चीस प्रतिशत **एड बैलोरेम** मालगुजारी की वृद्धि कर दी गई। सरकार करों और मालगुजारी को बढ़ा रही है। इसके अलावा किसानों के इस्तेमाल की चीजों के मूल्य बढ़ रहे हैं और उसके मुकाबले में गल्ला सस्ता हो रहा है। इसका अर्थ तो यह है कि जो मेहनत करता है, जो खून पसीना एक करता है, उसका सरकार शोषण कर रही है। इस प्रकार के कदम उठा कर भी सरकार समाजवादी आर्थिक व्यवस्था का नारा लगा रही है।

मैं समझता हूं कि प्लानिंग मिनिस्टर महोदय का मस्तिष्क इस बारे में साफ होना चाहिये कि प्राइसिज के मामले में एक निश्चित प्रोग्राम बना लेना चाहिये। इस बात पर विचार किया जाये कि गल्ला पैदा करने में किसान को प्रति एकड़ कितनी लागत आती है और उसके बाद इस बात का ध्यान रखा जाये कि उसका जो स्टैंडर्ड आफ लिविंग है, उस में साल में उसको कितनी आवश्यकता होगी। इसका मतलब यह है कि लागत और स्टैंडर्ड आफ लिविंग को दृष्टि में रखते हुये, उससे अधिक गल्ले का भाव निश्चित होना चाहिये। आम तौर पर यह देखा जाता है कि जब गल्ला पैदा होता है, कटता है और मार्केट में आता है, तो उसके दाम बहुत सस्ते हो जाते हैं। लेकिन जब किसान को बीज के लिये जरूरत होती है, तो उसके दाम सवाय और ड्योढ़े हो जाते हैं। इस बारे में माननीय सदस्य, श्री यादव, ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है, मैं उससे सहमत हूं। उनके संशोधन का तात्पर्य यह है कि इस बात का ध्यान रखा जाये कि किसी भी हालत में दो फसलों के बीच में गल्ले के दाम में एक आना प्रति सेर के हिसाब से अधिक वृद्धि न हो। इस तरह का नियंत्रण होना चाहिये।

फैक्टरियों के द्वारा जो सामान बनता है, उस पर भी नियंत्रण की बहुत बड़ी जरूरत है। यह निश्चित कर दिया जाये कि कास्ट आफ प्राडक्शन आदि का ध्यान रख कर फैक्ट्री प्राडक्ट्स का दाम तय किया जायगा और उनका दाम कास्ट आफ प्राडक्शन से डेढ़ गुना से ज्यादा नहीं होगा। इस संबंध में कोई मात्रा निश्चित की जा सकती है। इस बात की व्यवस्था कर देनी चाहिये कि फैक्ट्री ओनर्स कास्ट आफ प्राडक्शन से डेढ़ गुना से ज्यादा दाम न लें। अगर गल्ले के दाम निश्चित कर दिये जायें और इसके साथ ही फैक्ट्री में तैयार चीजों के दाम भी निश्चित कर दिये जायें, तब

तो सरकार यह कहने की हकदार होगी कि हम वास्तव में एक समाजवादी आर्थिक व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं। इस समय तो यह स्थिति है कि समाजवादी आर्थिक व्यवस्था का नारा लगा कर हमारी सरकार बड़ी तेजी से सरमायादारों की तरफ अपना कदम बढ़ा रही है।

†**श्री शिवाजी राव शं० देशमुख** : (परभणी) : इस आपातकाल में मूल्य रेखा को स्थिर किये जाने की आवश्यकता है। किन्तु किसान पर इसका भार नहीं पड़ना चाहिये। चीनी आक्रमण के कारण किसानों को भी काफ़ी हानि उठानी पड़ रही है। क्योंकि अनाज का मूल्य कम हो गया है।

महाराष्ट्र में कपास का मूल्य ५० रुपये प्रति कुन्तान कम हो गया है। पूरे राज्य के किसानों को लगभग ४.५ करोड़ रुपये की हानि हुई ह। इसका उत्तरदायित्व वस्त्रायुक्त के कार्यालय पर है। इस बात की जांच की जानी चाहिये कि इस हानि के लिये वस्तुतः कौन उत्तरदायी है।

यह कहा जाता है कि कपास का मूल्य निम्नतम और उच्चतम मूल्य को देखकर तय किया जाता है। चूंकि कपास का मूल्य उच्चतम स्तर को पार कर गया था इसलिये वस्त्रायुक्त द्वारा नियन्त्रण लगा दिया गया था। किन्तु आंकड़ों को देखने से पता चलता है कि कपास का मूल्य उच्चतम स्तर से आगे कभी नहीं बढ़ा। पिछले दस वर्षों में किसान ने आढ़तियों को निम्नतम मूल्य पर कपास बेचा है जबकि आढ़तियों ने मिल को उच्चतम मूल्य पर दिया है। आढ़तियों द्वारा होने वाली इस हानि को रोका जाना चाहिये। और इस बात की जांच की जानी चाहिये कि वस्त्रायुक्त ने इस प्रकार के अनुचित प्रतिबन्ध क्यों लगाये।

कपास का निम्नतम और उच्चतम मूल्य निश्चित करने का निर्देश कृष्णमाचारी समिति के प्रतिवेदन में किया गया था। उसमें कहा गया था कि निम्नतम मूल्य ब्रिटिश राज्य के समय इसलिये निश्चित किया गया था कि वह लोग यहां कपास के उत्पादन को निरुत्साहित करना चाहते थे। किन्तु अब वह समय चला गया। इस समय हम कपास का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं। किन्तु अब भी निम्नतम मूल्य के सिद्धान्त को काम में लाया जा रहा है। निम्नतम मूल्य एक ही बार बढ़ाया गया है जबकि उच्चतम मूल्य तीन से अधिक बार बढ़ाया जा चुका है। इसलिये इन दोनों मूल्यों में कोई भी तुलना नहीं। अब यह युक्तियुक्त प्रतीत होता है कि निम्नतम मूल्य इतना बढ़ा दिया जाय कि दोनों मूल्यों में एक गांठ रुई पर १०० रुपये से अधिक का अन्तर नहीं रहे।

जहां तक कपास के सर्वेक्षण का प्रश्न है मैं विश्वासपूर्वक कहता हूं कि सर्वेक्षण करने वाले सर्वेक्षण के बारे में कुछ नहीं जानते : वह हर एक सर्वेक्षण में, जिसे वह नहीं करते, लाखों रुपये कमा लेते हैं। वह निरंकुश और ऐच्छिक रूप से कपास और उसकी श्रेणी में परिवर्तन कर देते हैं। जिस से किसानों के हित को हानि होती है। सर्वेक्षण की चालू पद्धति, जो क्रेता और विक्रेता के बीच का विवाद हल करने के लिये ही की जाती है समाप्त कर देनी चाहिये और सर्वेक्षण, सर्वेक्षण के लिये ही किया जाना चाहिये। इसके लिये अधिक सर्वेक्षण केन्द्रों की स्थापना की जानी चाहिये और कपास में सट्टा लगाना समाप्त कर दिया जाना चाहिये। सट्टा इसीलिये लगाया जाता है कि निम्नतम और उच्चतम मूल्यों में ४०० रुपयों का अन्तर है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री शिवाजी राव शं देशमुख]

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

इसलिये मैं श्री नन्दा से आशा करता हूं कि अब वह निम्नतम मूल्यों को बढ़ाने और किसानों को लाभ पहुंचाने के लिये उचित कदम उठायेंगे।

†**श्रीमती लक्ष्मी कान्तम्मा** (खम्मम) : अध्यक्ष महोदय, श्रीमान हम जीवनोपयोगी वस्तुओं के मूल्य नियन्त्रण के विषय में चर्चा कर रहे थे। वस्तुओं का मूल्य कुछ कार्यरत आर्थिक शक्तियों का परिणाम है। मूल्य रेखा को स्थिर रखने के लिये हमें इन शक्तियों पर नियन्त्रण रखने की आवश्यकता है।

हमें वर्तमान परिस्थितियों ने सैनिक शक्ति बढ़ाने की आवश्यकता होगी। इसके लिये हमें प्रतिरक्षा उत्पादन में वृद्धि करनी होगी। जिसके परिणामस्वरूप हमारे आर्थिक ढांचे में धन की एक बहुत बड़ी राशि लगानी होगी। चूंकि इस व्यय की गई अतिरिक्त राशि से प्राप्त उत्पादन से उपभोक्ता वस्तुओं में वद्धि नहीं होगी, वस्तुओं के उपबन्ध प्रदाय पर उपभोक्ता मांगों का दवाब बढ़ जायगा जिसके फलस्वरूप मूल्य स्तर भी उंचा हो जायगा।

इस स्थिति से बचने के लिये हमें चार जीवनोपयोगी वस्तुओं—अनाज, वस्त्र, ईंधन और आवास—पर नियन्त्रण करना होगा इस से निर्वाह परिव्यय में वृद्धि नहीं होगी। इसके अतिरिक्त कर राजस्व को भी बढ़ाने की आवश्यकता होगी।

यदि हमें आगामी वर्ष में अपनी राष्ट्रीय आय ७०० करोड़ रुपया बढ़ाना है और इसे प्रतिरक्षा उत्पादन में बढ़ाना है तो हमें कुल राष्ट्रीय उपभोग स्थिर रखना होगा। इससे प्रतिव्यक्ति उपभोग में कमी होगी और यह स्फीतिकारी दवाब को कुछ सीमा तक कम कर देगा। वर्तमान परिस्थितियों में कर पद्धति का प्रयोग केवल प्रतिरक्षा व्यय की वित्त व्यवस्था के लिये ही नहीं किया जाना चाहिये अपितु प्रतिरक्षा व्यय के परिणामस्वरूप बढ़ी आय से उत्पन्न अतिरिक्त मांगों को कम करने के लिये भी किया जाना चाहिये।

इस व्यय स्तर को बनाये रखने के लिये हमें राष्ट्रीय आय यदि प्रतिव्यक्ति उपभोग में कमी हो तो ४ प्रतिशत और यदि नहीं तो ७½ प्रतिशत बढ़ानी होगी। चूंकि आय का ७ या ८ प्रतिशत बढ़ाया जाना असम्भव है यह सरल होगा कि हम कुल राष्ट्रीय उपभोग को स्थिर कर दें।

प्रतिरक्षा प्रयासों में निरन्तर वृद्धि किये जाने से खाद्यपदार्थों पर भी दवाब बढ़ेगा। इसलिये अनाज के अधिकतम उत्पादन के लिये प्रयन्न किया जाना चाहिये। कृषि उत्पादन कार्यक्रमों पर विशेषतया, चावल, गेहूं, कपास और तिलहन के उत्पादन पर हमें ध्यान केन्द्रित करना चाहिये। अल्पकालीन सिंचाई योजनाओं पर जोर दिया जाना चाहिये। किसानों को उचित मूल्य दिये जाने की व्यवस्था की जानी चाहिये। किसान को अच्छे बीज और खाद इत्यादि दिये जाने का प्रबन्ध भी किया जाना चाहिये।

कृषि उत्पादनों के सब थोक विक्रेताओं को लाइसेंस देकर समय समय उनके माल का निरीक्षण किया जाना चाहिये। उत्पादकों द्वारा खाद्य अथवा औद्योगिक अनाजों को रोक रखना एक दण्डनीय अपराध घोषित कर दिया जाना चासिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

व्यापारी वर्ग ने हमारे साथ बहुत कुछ सहयोग किया है—और मैं आशा करती हूं कि सरकार और किसानों के निश्चय और व्यापारीवर्ग के सहयोग से हम मूल्य रेखा पर नियन्त्रण रख सकेंगे।

†**श्री राम रतन गुप्त** : मूल्यों के स्थिरीकरण के प्रश्न पर संसद निरन्तर विचार करती रही है और माननीय मंत्री भी सदा इस मामले को ध्यान में रखते होंगे। मूल्यों का आधार स्वाभाविकता लागत पर होता है। मेरा सुझाव है कि समस्या का व्यवहारिक हल यह है कि आवश्यक वस्तुओं के लिए अधिकतम और निम्नतम मूल्यों की प्रणाली प्रचलित की जाये, ताकि इन के मूल्य विनियमित किये जा सकें। मूल्यनिर्धारण के प्रश्न का सम्बन्ध गोदामों की सुविधा से भी है। इन सुविधाओं के लिए यदि मुद्रास्फीति से काम लेना पड़े, तो भी कोई हर्ज नहीं। यदि सरकार को अपनी व्यवस्था न हो, तो वह आढ़तियों की सहायता ले सकती है। वे सरकार की ओर से खरीद कर संग्रह कर सकते हैं।

रुई नीति के सम्बन्ध में पहली बात यह है कि उन माननीय सदस्यों ने जिन्हों ने इस की आलोचना की है, इस नीति के मूल्यों के ढांचे पर पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा।

कपड़ा आयुक्त जो कार्यवाही कर रहा है, उस से उद्योग को नहीं बल्कि किसान को लाभ हो रहा है। क्योंकि किसान नियन्त्रण से अन्त में उसे अपनी फसल को बेचते समय लाभ होगा। यह सर्वेक्षण से प्रकट होता है। अन्यथा जब रुई के मूल्य अधिक हों, तो किसान नियन्त्रण संभव नहीं है।

कपास सौदा बाजार भारत में केवल उत्पादन के पक्ष में काम कर रहा है।

†**श्री नन्दा** : माननीय सदस्य किन वस्तुओं के विषय में हमारे द्वारा यह कार्यवाही करवाना चाहते हैं ?

†**श्री राम रतन गुप्त** : वाणिज्य की प्रमुख वस्तुएं, सभी तेलों के बीज और सब खाद्यान्न।

श्री इकबाल सिंह (फीरोजपुर) : स्पीकर साहब, मैं इस बात से बिलकुल इत्तिफाक करता हूं कि जंग के जमाने में कीमत न बढ़नी चाहिये और मैं यह भी समझता हूं कि इस वक्त गवर्नमेंट का फर्ज है कि वह कीमतों को कन्ट्रोल करे। इस बात पर कोई दो रायें नहीं हो सकती। रकिन दो रायें हो जाती हैं जब कि कीमत के कन्ट्रोल के सिलसिले में किसान को नुक्सान पहुंचाने की बात कही जाती है।

अभी कपास की बात हुई। जिस कांस्टीट्यूएंसी से मैं आता हूं उसमें हिन्दुस्तान के कपास का तकरीबन तेरहवां हिस्सा पैदा होता है। हमारे कम्युनिस्ट भाई चीन और रूस के प्रोडक्शन के बारे में कहते हैं लेकिन इस इलाके के किसानों ने अपनी मेहनत से जहां पहले एक बेल होती थी वहां साठ बेलें पैदा करके दिखा दीं हैं। लेकिन उसकी बदकिस्मती यह है कि जब कपास की कीमत की बात आती है तो उसका कन्ट्रोल करने वाले अहमदाबाद में बैठे होते हैं, उनके सामने किसान का इंटरेस्ट नहीं, उनको किसान की हमदर्दी नहीं। मैं इस बात को साबित कर दूंगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री इकबाल सिंह]

अभी पंजाब में कीमतों के सिलसिले में आप ने फ्लोर और सीलिंग मुकर्रर किया है और उस को लागू करने के लिये कमेटी बनायी जाती है। उसमें ९ मेम्बर हैं। उनमें से पांच बम्बई के रहने वाले हैं। मुझे बम्बई से कोई गिला नहीं है। लेकिन मेरा कहना यह है कि पंजाब की कपास को खरीदने वाले जो बम्मई में बैठे हैं वे कपास की कीमत मुकर्रर करते हैं। दो मेम्बर पंजाब के उस कमेटी में हैं और उनको इस लिये रखा गया है कि उनके बगैर काम चल नहीं सकता था।

इधर गुप्त जी ने कहा कि जो फारवर्ड मारकेट का सिलसिला है वह प्रोड्यूसर के फायदे में है और इसी लिये उसे कायम रखा गया है। मैं इतना कह सकता हूं कि पंजाब में फारवर्ड मारकेट कमीशन ने पंजाब में काटन की मंडी मुकर्रर की है जहां कपास के सौदे हो सकते हैं, वह भटिंडा है जहां का टोटल प्रोडक्शन ३००० बेल है। लेकिन पंजाब की सबसे बड़ी मंडी को जहां ९०००० बेल का प्रोडक्शन है उसको कमीशन ने मंडी मुकर्रर नहीं किया जिससे किसान को फायदा होता। आप फर्क तो देखिये कहां तीन हजार और कहां नब्बे हजार। फिर भी गुप्ता जी कहते हैं कि यह चीज किसान के फायदे के लिये है। मैं कहता हूं कि उनको किसान से हमदर्दी करना चाहिये। किसान दफ्तर में बैठ कर कपास पैदा नहीं करता, उसको सख्त मेहनत करनी पड़ती है। सरदी के दिनों में पानी लगाना पड़ता है। उसकी कमाई बड़ी मेहनत की है। उसके साथ हमदर्दी रखी चाहिये।

इस काटन कन्ट्रोल के सिलसिले में जो कंट्रोलर हैं उन्होंने कमेटियां इस ढंग की बनायी हैं कि किसानों को फायदा न हो। मैं ने मीटिंग में भी कहा था। वह ऐसे वक्त बाहर से कपास मंगाते हैं कि किसान को नुक्सान हो जाता है। जब किसान की कपास बाजार में आती है उसी वक्त वह अमरीका से पी० एल० ४८० के मातहत कपास इम्पोर्ट करते हैं जिसका नतीजा यह होता है कि कपास का भाव डैम्प हो जाता है और जब किसान के हाथ से कपास निकल जाती है तो फिर खुला छोड़ देते हैं। मेरा कहना है कि वे उस वक्त कपास का इम्पोर्ट करें जब किसान का कपास मिलों के पास पहुंच जाये। जो तीन चार महीने स्लैक रहते हैं उस वक्त उनको इम्पोर्ट करना चाहिये। ऐसा करें तो किसी को ऐतराज नहीं हो सकता। लेकिन वह चूंकि सर्टेन फंक्शन करते हैं और सर्टेन इंटरैस्ट्स के लिये करते हैं इसलिये वह जानबूझ कर ऐसा करते हैं। यह नहीं कि यह कोई एक एलिगेशन की बात है, यह इतनी ग्लेयरिंग बातें हैं कि उन को कोई छिपा नहीं सकता।

एक सर्वेयर मुकर्रर किया गया। अब सर्वेयर तो साढ़े सात परसेंट लेता है। आज पंजाब में कपास की कीमत ३०–४० रुपये हैं। २०-३० रुपये १२ क्विन्टल के हिसाब से वह साढ़े सात परसेंट कम होगा और वह कोई २० करोड़ रुपया हिन्दुस्तान की फर्मों के पास एक साल में, ट्रैंजक्शन होगा और वह सरकार में होगा।

सरकार ने कन्ट्रोल का जो सिलसिला बनाया है उस की बाबत मैं नन्दा जी से जो कि सोशलिज्म के बड़े हामी हैं, क्या यह पूछ सकता हूं कि हमें इस के लिये क्या हक पहुंचता है कि हम एक प्राइवेट कैपिटेलिस्ट को फायदा पहुंचायें? हम सरकार की मशीनरी इस्तेमाल कर के लोगों का भाव कम कर के और जो उन में बेहतरी हो सकती है उसको इस तौर से दबायें और जो २६ आदमी हैं उन का एक साल में २० करोड़ के करीब ट्रैंजक्शन हों, उनके पास हो और फिर वह २० करोड़ का फायदा लें। अब वह उस २० करोड़ से कितना बिजनैस करेंगे, कितना व्यापार करेंगे वह तो बाद की बात है, वह तो

में छोड़ता हूं लेकिन मेरा सवाल यह है कि गवनमेंट उस में हिस्सेदार क्यों हो ? गवर्नमेंट यह क्यों कहे कि साढ़े सात परसेंट जब तक नहीं देंगे उस वक्त तक कपास की कोई बेल नहीं बिक सकती। जो टोटल खर्चा आयेगा जितना उनको फायदा होगा उस के हिसाब से हर एक को एक, एक लाख के करीब होगा। अब एक लाख रुपया तो हिन्दुस्तान में बड़े-बड़े सेक्रेटरी को भी नहीं मिलता। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि नन्दा जी को कोशिश करनी चाहिये कि यह कपास के कन्ट्रोल का जो सिलसिला है उसको अपने हाथ में लें और किसानों के हित को सुरक्षित करें। हमारे मुल्क के किसान ने कपास ज्यादा पैदा करके देश की सरकार की सहायता की है और आज जरूरत इस बात की है कि सरकार इस बात की निगरानी रक्खें कि कहीं कैपटेलिस्ट जोकि इस कोशिश में हैं कि किसानों को नुक्सान पहुंचाया जाय वह अपनी इस नाभुनासिब कोशिश में कामयाब न हो सकें। इसमें पूंजीपतियों की मंशा यह रहती है कि किसी तरह से किसानों को नुक्सान पहुंचाया जाय ताकि यह कौटन ज्यादा प्रोड्यूस न कर पायें और हम हमेशा अमरीका से मांगते रहें।

मुझे पूरा भरोसा है कि जिस ढंग से पंजाब के किसानों ने सात गुना कपास पैदा करके दिखायी है वे और भी अधिक पैदा कर सकते हैं अगर सरकार का उन पर हाथ रहें।

आखिर में मैं एक बात कह कर खत्म किये देता हूं कि आप फ्लोर प्राइस पर कपास लेते हैं। लेकिन क्या कभी कपड़े के दाम भी कम किये हैं ? कपड़े के दाम तो दिन पर दिन बढ़ते ही जाते हैं। लेकिन फ्लोर और सीलिंग की बात तबदील नहीं होती है। इसलिये जरूरत इस बात की है कि जो मिडिलमैन हैं उनको उचित सुविधायें दी जायें।

कौटन कन्ट्रोल के सिलसिले में खासतौर से मेरी नन्दा जी से अपील है कि वे इधर ध्यान दें और मुझे आशा है कि किसानों की इस बारे में जो जैनविन डिफीकल्टीज हैं उन को वे दूर करेंगे। किसान हिन्दुस्तान में अपनी पैदावार उस हालत में और भी ज्यादा बढ़ा सकेंगे।

†**श्री बालकृष्णन्** (कोइलपट्टी) : हमारे व्यापारी अपने उत्तरदायित्वों को समझते हैं। किन्तु हो सकता है उन में कुछ ऐसे भी हों, जो चोरबाजारी करते हैं। इनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करनी चाहिये। यह बड़ी अच्छी बात है कि वाणिज्य मण्डल ने कुछ मास पूर्व थोक और पर्चून के मल्य निर्धारित करने का निश्चय किया था। ऐसे प्रबन्ध सारे देश में किये जाने चाहियें। पंचायत स्तर से जिला स्तर तक समितियां बनायी जानी चाहियें। जिला समिति में थोक, पर्चून वालों और उत्पादकों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये। थोक और पर्चून दुकानदारों को कहना चाहिये कि वे मूल्यों की सूचियां प्रदर्शित किया करें।

न केवल रुई के मामले में बल्कि हर फसल के मामले में यह देखा गया है कि जब तक फसल उत्पादक के हाथ में होती है, मूल्य कम होते हैं, किन्तु फसल के मंडी में आने के बाद, मूल्य फिर बढ़ने शुरू हो जाते हैं। यह बन्द होना चाहिये और उत्पादकों को भी अपने परिश्रम के बदले लाभ मिलना चाहिये।

खाद्यान्न के अलावा, अन्य वस्तुओं के मूल्यों पर भी नियंत्रण रखना चाहिये।

श्री राम सेवक यादव (बाराबंकी) : अध्यक्ष महोदय, समाजवादी समाज की रचना के नकली नारों के पीछे भावों के चढ़ाव उतार के द्वारा भारी मुनाफा कमा कर पूंजीवाद फल फूल रहा है। दाम बढ़ रहे हैं। दामों का बढ़ना रोका जा सकता है अगर उस का इरादा हो। आज जिन

†मूल अंग्रेजी में

हाथों में ताकत है, उनको महंगाई नहीं अखरती है क्योंकि उन की आमदनी में और जो इस देश के मध्यमवर्गीय और निम्न मध्यमवर्गीय लोग हैं, उन की आमदनी में जमीन आस्मान का फर्क है और वह जो बड़ी आमदनी उन की है उस आमदनी के जरिये जो बढ़े हुए दाम हैं वह उन को अखरते हैं। जब तक यह स्थिति बनी रहेगी भावों की बढ़ने से रोकने के लिये सही कदम हम नहीं उठा सकते। इन शब्दों के साथ मैं मंत्री महोदय के सामने तीन सुझाव रक्खूंगा और अगर वह उन पर अमल करेंगे तो सही मायने में दाम बढ़ने से रोकने के लिये एक निश्चित कदम होगा और वही एक तरीका हो सकता है।

अनाज बहुत ही आवश्यक वस्तु है। उस के मूल्य दो फसलों के बीच एक आने सेर से अधिक न बढ़ने पायें। होता यह है कि फसल के समय तो अनाज के कम दाम होते हैं, लेकिन किसान के घर से निकल जाने के बाद उस के दाम चढ़ जाया करते हैं। इस से न तो उपभोक्ता को फायदा होता है और न बेचने वाले किसान को लाभ होता है।

अनाज के अतिरिक्त जिन्दगी के लिये जो अन्य जरूरी चीजें हैं, मोटा कपड़ा, चीनी, मिट्टी का तेल, दवाइयां, आदि, उन के दाम लागत खर्च से कई गुना ज्यादा होते हैं। जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा है, सरकारी कारखाने में जो स्ट्रैप्टोमाइसीन बनाई जाती है, जो कि तपेदिक के मरीजों को सुई लगाने के काम आती है, इस के दाम तो चार आने होते हैं, लेकिन बाजार में वह बारह, चौदह आने, बल्कि सवा रुपये और डेढ़ रुपये तक, बिकती है। उन दामों को इस प्रकार बढ़ने से रोका जा सकता है कि यह निश्चित कर दिया जाये कि ऐसी चीजों के दाम लागत-खर्च से डेढ़ गुने से अधिक नहीं होंगे। उससे कम हो सकते हैं, यह नहीं कि डेढ़ गुना जरूर हों। यह व्यवस्था की जाये कि किसी भी कल कारखाने में बनी चीजों और खास तौर से जीवन की आवश्यक वस्तुओं के दाम लागत खर्च से डेढ़ गुना से ज्यादा न हों।

अन्त में मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि अनाज और कच्चे माल के मूल्य इस तरह से निश्चित किये जायें कि एक तो लागत-खर्च निकल आएं और इस के साथ ही उन के पैदा करने वाले उन से अपनी जिन्दगी का गुजारा कर सकें। इसके साथ ही कल-कारखानों की चीजों के दाम में और किसानों द्वारा पैदा किये गये अनाज तथा कच्चे माल के दाम में एक संतुलन कायम हो।

इन तीन सुझावों के अनुसार अमल कर के अगर सरकार कोई निश्चित मूल्य नीति निर्धारित करती है और उस के अनुसार एक आवश्यक और समुचित ढांचा तैयार करती है, तो वह सही मानों में मूल्यों को स्टैबिलाइज़ करने में सफल होगी।

श्री नन्दा: माननीय सदस्य, श्री यादव ने जो सुझाव दिया है, उस के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि ——

अध्यक्ष महोदय : मिनिस्टर साहब अब अपनी स्पीच शुरू कर दें और एक मिनट तक बोल लें।

†**योजना तथा श्रम तथा रोजगार मंत्री (श्री नन्दा):** प्रस्तावक के और अन्य सदस्यों के बहुत से सुझावों से मैं सहमत हूं, यद्यपि मैं देखता हूं कुछ कि गलत निष्कर्ष निकाले गये हैं।

†**अध्यक्ष महोदय:** श्री यादव के बारे में उन का क्या उत्तर था ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री नन्दा : उन के अन्तिम सुझाव पहले सुझाव के विरुद्ध हैं। यदि कृषकों के हित में मूल्य उत्पादन व्यय के आधार पर निश्चित किया जाये, तो इस से उपभोक्ता को अधिक मूल्य देना पड़ेगा जिसे भी वे रोकना चाहते हैं।

†अध्यक्ष महोदय : शेष भाषण वे अगली बार जारी रखें ।

---

*रेल दुर्घटना की जांच

†श्री द्वा० ना० तिवारी (गोपालगंज) : हम १२ नवम्बर, १९६२ को हुई एक गम्भीर दुर्घटना के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिस में २८ व्यक्ति मरे थे, जिन में से दो नदी में से निकाल गये थे। समाचार पत्रों के अनुसार लगभग १०० व्यक्ति मरे, किन्तु सरकारी आंकड़ों के अनुसार केवल २८।

खेद की बात है कि जांच प्रतिवेदन अभी तक पटल पर नहीं रखा गया । अन्यथा हमें बहुत से तथ्य मालूम हो जाते।

एक बात यह है कि घटनास्थल के बारे में न तो मंत्री को और न उपमंत्री को कुछ ज्ञान है।

†रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): मैं वहां गया था।

†श्री द्वा० ना० तिवारी : पुल जिस पर दुर्घटना हुई थी, मांझी से एक दो फर्लांग के फासले पर है। यदि गाड़ी को वहां रोका गया होता, तो रेलवे अधिकारी यात्रियों को कह सकते थे कि वे गाड़ी से उत्तर आयें । वे मान जाते क्योंकि उन की जानों को ख़तरा था। गाड़ी के पुल पर जाने से पहले इस खतरे के बारे में उन्हें नहीं बताया गया था । गाड़ी को मांझी पर रोक कर यात्रियों को उत्तरने के लिए कहा जाना चाहिये था। किन्तु ऐसा नहीं किया गया । संवत: रेलवे अधिकारी चाहते थे कि यात्रियों को एक सबक सिखाया जाय । यह कहना सत्य नहीं है कि दुर्घटना को रोकने के लिए हर संभव पग उठाये गये थे माननीय उपमंत्री ने नौकरशाही तरीके से उत्तर दिया है। उनका कहना है कि यात्रियों को तीन बार चेतावनी दी गई थी।। किन्तु यदि छपरा पर जिलाधीश की सहायता से पुलिस मंगाई गई होती, तो हर एक यात्री को छत से उतारा जा सकता था । अधिकारियों को मालूम था, कि जब गाड़ी पुल पर से गुजरेगी, यात्रियों की जान खतरे में पड़ जायेगी ।

दूसरी बात यह है कि पुल पर जाने से पहले गाड़ी को रोका क्यों नहीं गया। उस समय गाड़ी रोक कर यात्रियों को छत पर से उत्तर आने के लिए कहा जा सकता था।

सारांश यह है कि दुर्घटना को रोकने के लिए पर्याप्त सावधानी से काम नहीं लिया गया।

†श्री बड़े (खारगोन) : मालूम होता है कि रेलवे अधिकारी उन के आदेश का पालन न करने के लिए यात्रियों से बदला लेना चाहते थे ।

†श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : क्या यह सदन के विशेषाधिकार का उल्लंघन नहीं है कि आश्वासन दिये जाने के बावजूद भी दुर्घटना की जांच के बारे में प्रतिवेदन सभापटल पर

---

*आधे घंटे की चर्चा

†मूल अंग्रेजी में

नहीं रखा गया है ? क्या यह सच नहीं है कि इस दुर्घटना के बारे में रेलवे पदाधिकारियों ने असावधानी बरती है और अपना कर्तव्य पालन नहीं किया है ? यात्रियों को छत से नीचे उतारने के लिये बल प्रयोग क्यों नहीं किया गया ? क्या इस मामले में कोई निदेश है ?

†रेलवे मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह): मैं बताना चाहूंगा कि अभी तक कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ । ये केवल प्रारंभिक निष्कर्ष थे। जो पदाधिकारी जांच कर रहा था, दुर्भाग्य-वश उसकी मृत्यु हो गई थी । अब एक और पदाधिकारी जांच कर रहा है। उसका प्रतिवेदन प्राप्त होने पर पटल पर रख दिया जायेगा ।

†रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री से० वें० रामस्वामी): दुर्घटना के बारे में अस्थायी जांच से यह पता चलता है कि गोगरा पुल पर मांझी और बकुलहा के बीच जाने वाली गाड़ी की छत पर यात्रा करने वाले यात्रियों के हताहत होने का कारण उनकी अपनी बेपरवाही और जल्दबाज़ी का व्यव-हार था। यह मैं पहले भी कह चुका हूं।

दूसरे प्रश्न का कि क्या इस विषय में कोई नियम है, उत्तर यह है कि १९६० में जमुना पुल की दुर्घटना के बाद रेलवे के सभी महाप्रबन्धकों को और राज्य सरकारों को एक प्रपत्र भेजा गया था जिस में यह कहा गया था कि इस प्रकार छत पर चढ़ कर यात्रा करना एक अपराध है जिस के लिए न्यायालय दंड दे सकता है । रेलवे बोर्ड ने रेलवे प्रशासनों से कहा कि वे रेलवे पुलिस के सहयोग से यात्रियों को किसी खतरनाक तरीके से यात्रा करने से रोकने के लिये प्रभावो-त्पादक पग उठाये ।

†श्री हरि विष्णु कामत : क्या ये पग उठाये गये थे ?

†श्री से० वें० रामस्वामी : इसी तरह राज्य सरकारों को भी एक परिपत्र के द्वारा यह कहा गया था कि वे भी अपने पुलिस अधिकारियों को कहे कि वे स्थानीय रेलवे अधिकारियों के सहयोग से यात्रियों को अनधिकृत रूप से सफ़र करने से रोकें और अपराधियों के विरुद्ध भारतीय रेलवे अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करें। यह चिट्ठी २६ सितम्बर, १९६० की है। इसके अनुसरण में उत्तर पूर्वी रेलवे ने विभागीय पदाधिकारियों को निदेश दिये थे कि मेलों इत्यादि के समय विशेष सावधानी बरती जाये ।

यह नोट करना चाहिये कि यह दुर्घटना नवम्बर में हुई थी जब कि आपातकाल शुरु हो चुका था । हमने बिहार सरकार को कहा था कि इस कारण और आवश्यक माल को ले जाने के कारण हम मेला यातायात के लिए अतिरिक्त गाड़ी नहीं दे सकते। हमने नियमों की ओर भी उनका ध्यान दिलाया । इसके बावजूद भी यात्री छत पर चढ़ गये थे। सब से पहले छपड़ा पर देखा गया था कि यात्री छत पर चढ़े हुए हैं। वहां गाड़ी ३० मिनट के लिए रोकी गई ताकि यात्रियों को नीचे उतारा जाये । गार्ड, रेलवे सुरक्षा दल और पुलिस सब ने मिल कर इस के लिए अपील की और प्रयत्न किये । इस के बाद खेल गंज पर रुकी। यहां फिर लोगों से नीचे आने के लिये प्रार्थना की गई।

माननीय मित्र ने पूछा है कि क्या लोगों को पुल के बारे में बताया गया था। वे स्थानीय लोग हैं और उनको मालूम था कि आगे पुल है। श्री द्वा० ना० तिवारी ने पूछा था कि गाड़ी

†मूल अंग्रेजी में

पुल से पहले क्यों नहीं रोकी गई । यह मालूम होना चाहिये कि ऐसा करने में संचालन सम्बन्धी कठिनाइयां हैं। यदि गाड़ी पुल पर रोक दी जाये, तो दोबारा चलाना कठिन हो जाता है। इस तरह सारा यातायात रुक जाता है । अतः पुल पर गाड़ी नहीं रोकी जा सकती।

खेलगंज पर गाड़ी १५ मिनट रुकी इस के बाद एक और स्थान पर भी तीसरी बार रोकी गई थी। चौथी बार रोकने से क्या लाभ होता? बोर्ड ने रेलवे कर्मचारियों को जो निदेश दिये हुये हैं उन के अनुसार सब कार्यवाही की गई थी। अब यह प्रकट है कि लोग अंधेरे में छत पर चढ़ गये थे, जैसा कि हाथरस की दुर्घटना के मामले में हुआ था। फिर भी यह पूछा गया है कि आपने बल का प्रयोग क्यों नहीं किया। यदि ऐसा किया होता, तो माननीय सदस्य स्वयं सब से पहले आपत्ति करते। एक माननीय सदस्य ने कहा है कि रेलवे पदाधिकारी ने यह कहा है कि यात्रियों को सबक सिखाना चाहते थे। यह सत्य से कोसों दूर है। वे इतने निर्दयी नहीं हो सकते कि आदेशों का पालन न किये जाने के अपराध में यात्रियों को मौत के मुंह में धकेलते। यात्रा करने वाले भी उन के मानव हैं और उन के भाई है। क्या वे यह जानते हुए कि छत पर आदमी हैं, और वे मारे जाएंगे, गाड़ी चलाते? हम उन्हें इतना निर्दयी नहीं समझ सकते। यह बात भी ठीक नहीं है कि हमारा उत्तर नौकरशाही का उत्तर है। यह सत्य नहीं है। मैं कह सकता हूं कि रेलवे अधिकारियों ने रेलवे पुलिस और रेलवे सुरक्षा दल कर्मचारियों के सहयोग से रेलवे बोर्ड के निदेशों का पालन करने का पूरा प्रयत्न किया। उन्होंने अपने कर्तव्य को निभाया है। कुछ लोग उनकी जानकारी के बिना ऊपर चढ़ गये थे। यह मीटर गेज की गाड़ी थी, यदि बड़ी लाइन की होती, तो उन पर चढ़ना कठिन हो जाता। अतः यह संभव है कि उन की जानकारी के बिना, ये लोग चलती गाड़ी में छत पर चढ़ गये थे। इन परिस्थितियों में रेलवे की ओर से कोई कसूर नहीं हुआ।

इसके पश्चात् लोक-सभा अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित हुई।

दैनिक संक्षेपिका

{ शुक्रवार, २५ जनवरी, १९६३ / ५ माघ, १८८४ (शक) }

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर	४६९—९८
	तारांकित प्रश्न संख्या	
४८५	मोटर गाड़ियों का निर्माण	४६९—७२
४८६	भारत का इंग्लैंड तथा यूरोपीय साझा बाजार के देशों के साथ कपड़ा व्यापार	४७२–७३
४८७	कच्चे माल के आयात का वैज्ञानिक व्यवस्थाकरण ..	४७३–७४
४८८	सोलवीन विशेषज्ञ दल	४७४–७५
४८९	सुखाई गई मछलियों के निर्यातक . . .	४७५
४९०	विशेष इस्पात का निम र्ण	४७६—७८
४९१	हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल . . .	४७८
४९२	हैवी इलैक्ट्रिकल्स प्लांट , भोपाल . . .	४७९—८०
४९३	सीमेंट में चोर बाजारी	४८१—८३
४९४	भारत का निर्यात व्यापार . . .	४८३—८५
४९७	केरल में शुद्ध मापक यंत्र बनाने का कारखाना . .	४८५–८६
४९८	रूस को केलों का निर्यात	४८६–८७
४९९	भारतीय व्यापार प्रतिनिधि मंडल द्वारा लंका का दौरा .	४८८–८९
५००	केन्द्रीय लोहा और इस्पात मजूरी बोर्ड . . .	४८९–९०
५०१	पटसन के मूल्य में कमी	४९०—९३
५०२	कानपुर के कारखानों में कपड़े का जमा हो जाना . .	४९३—९५
५०३	बोकारो इस्पात संयंत्र	४९५
५०४	अहमदाबाद कपड़ा मिलों में कपड़े का इकट्ठा हो जाना .	४९५—९७
५०५	पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा तकुओं का लगाया जाना .	४९७
५०६	नालीदार चादरें	४९७–९८

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी ४९८—५२८

तारांकित
प्रश्न संख्या

४९५ पटसन की वस्तुओं के लिये समिति . . . ४९८
४९६ कपड़ा मिलें ४९८–९९
५०७ प्रतिरक्षा उत्पादन के लिये गैर-सरकारी क्षेत्र को तैयार करना . ४९९
५०८ चैकोस्लोवाकिया द्वारा एक इस्पात संयंत्र की स्थापना . . ५००
५०९ भारी मशीनी औजार कारखाना, रांची . . . ५००–०१
५१० मध्य प्रदेश में उर्वरक संयंत्र ५०१
५११ नारियल में उद्भिद रसायन संयंत्र . . . ५०१
५१२ भेषजिक उद्योग द्वारा काम में लाई जाने वाली कच्ची सामग्री . ५०१–०२
५१३ उद्योगों पर उप-कर लगाना ५०२
५१४ निर्यात में कमी ५०२

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१०८७ नारियल जटा की वस्तुओं का निर्यात . . . ५०३
१०८८ काली मिर्च का निर्यात ५०३–०४
१०८९ काजू के छिलके का तेल ५०४
१०९० नारियल जटा उद्योग का यंत्रीकरण . . . ५०४
१०९१ इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्यात . . ५०५
१०९२ आंध्र प्रदेश में जूट के मूल्य ५०५
१०९३ प्रशुल्क के मामले में अधिमानात्मक व्यवहार . ५०५–०६
१०९४ नाइट्रोलाइन उर्वरक ५०६
१०९५ प्रतिरक्षा प्रयत्नों में सहायता देने वाले उद्योग . . ५०६
१०९६ उद्योगों के कार्यवहन के अध्ययन के लिये शिष्टमंडल . . ५०६–०७
१०९७ मछली पकड़ने के जाल बनाना . . . ५०७
१०९८ कोयला धोने के कारखाने के उपकरणों का निर्माण . ५०७—०८
१०९९ कोयला खनन मशीन संयंत्र ५०८
११०० फाउण्ड्री फोर्ज परियोजना ५०८–०९
११०१ इस्पात का उत्पादन ५०९–१०
११०२ ट्रकों की आवश्यकता ५१०
११०३ मशीनों और संयंत्रों का आयात ५१०

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
११०४	उड़ीसा में नारियल जटा उद्योग	५११
११०५	हिन्दुस्तान डिजाइन संगठन का बजट	५११
११०६	केरल में मशीनी औजार संयंत्र	५१२
११०७	मसालों का निर्यात	५१२–१३
११०८	अनकामली में विद्युत् ट्रान्सफार्मर कारखाना	५१३
११०९	बढ़िया किस्म के कोयले का आयात	५१३
१११०	समुद्री डीजल इंजन	५१४
१११९	इस्पात कारखानों में उत्पादन	५१४–१५
१११२	फरीदाबाद में औद्योगिक गियर निर्माण करने का संयंत्र	५१५
१११३	पाकिस्तान में भारतीय चलचित्रों पर प्रतिबन्ध	५१५
१११४	केन्द्रीय भेषज पुनर्नियंत्रण संस्था	५१६
१११५	अखबारी कागज का कारखाना	५१६
१११६	हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल	५१६
१११७	लोहे और इस्पात का उत्पादन	५१७
१११८	मूंगफली का तेल	५१७–१८
१११९	उच्च शक्ति वाले संचार 'रिसीवर्स' का निर्माण	५१८
११२०	यूरोप को तम्बाकू का निर्यात	५१८
११२१	काजू की गिरी का निर्यात	५१९
११२२	नमक बोर्ड	५१९–२०
११२३	आंध्र प्रदेश में कच्चा लोहा तैयार करने का कारखाना	५२०
११२४	रामचन्द्रपुरम् में भारी बिजली उपकरण, तैयार करने का कारखाना	५२०
११२५	कोठागुडियन में उर्वरक संयंत्र	५२१
११२६	अमरीका की खादी का निर्यात	५२१
११२७	तेल निकालने का उद्योग	५२१–२२
११२८	औद्योगिक लाइसेंसों का दिया जाना	५२२
११२९	उत्पादन तथा निर्यात में वृद्धि	५२२–२३
११३०	रूस से ट्रैक्टरों का आयात	५२३
११३१	सिन्दरी उर्वरक कारखाने में आग	५२३–२४
११३२	मछली का निर्यात	५२४

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी

अतारांकित
प्रश्न संख्या

११३३ कपड़े की मशीनों की खरीद . . ५२४
११३४ तिलहन का निर्यात . . . ५२५
११३५ स्कूटरों के कारखाने ४२५
११३६ गुजरात में कच्चे लोहे और कोयले की कमी . ५२५–२६
११३७ संश्लिष्ट रबड़ का उत्पादन . ५२६
११३८ सीमेंट का उत्पादन ५२६–२७
११३९ अमरीका से सोयाबीन का आयात . . . ५२७
११४० मास्को में औद्योगिक प्रदर्शनी . ५२७
११४१ जिन्सों के वायदा कारोबार पर प्रतिबन्ध . ५२८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना ५२८–२९

(एक) श्री अ० क० गोपालन ने देश में विशेषकर केरल में हथकरघे के कपड़े का स्टाक जमा हो जाने की ओर, जिस के फलस्वरूप हथकरघा बुनकर बेरोजगार हो गये हैं, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री का ध्यान दिलाया ।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया ।

(दो) श्री यशपाल सिंह ने उप-निर्वाचन करने के बारे में निर्वाचन आयोग के कथित सुझाव और उसके बारे में सरकार की प्रतिक्रिया की ओर विधि मंत्री का ध्यान दिलाया ।

विधि उप-मंत्री (श्री विभुवेन्द्र मिश्र) ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र ५२९—३२

(१) निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति :—

(एक) (क) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९-क की उप-धारा (१) के अन्तर्गत इण्डियन आयल कम्पनी, लिमिटेड, बम्बई की वर्ष १९६१–६२ का वार्षिक प्रतिवेदन लेखा परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(ख) उक्त समवाय के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

विषय पृष्ठ

(दो) (क) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९-क की उप-धारा (१) के अन्तर्गत इण्डियन रिफाइनरीज लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष १९६१-६२ का वार्षिक प्रवेतदन, लेखा परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित।

(ख) उक्त समवाय के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(२) प्रेस और पुस्तक पंजीयन अधिनियम, १८६७ की धारा २०-क की उप-धारा (२) के अन्तर्गत दिनांक १२ जनवरी, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ८५ में प्रकाशित समाचार पत्र पंजीयन (केन्द्रीय) संशोधन नियम, १९६३ की एक प्रति।

(३) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उपधारा (६) के अन्तर्गत, दिनांक १२ जनवरी, १९६३ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ८२ में प्रकाशित लोहा तथा इस्पात (नियंत्रण) संशोधन आदेश, १९६३।

(४) (क) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९-क की उप-धारा (१) के अन्तर्गत हैवी इलैक्ट्रिकल्ज (इंडिया) लिमिटेड, भोपाल का वर्ष १९६१-६२ का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित।

(ख) उक्त समवाय के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(५) रबड़ अधिनियम, १९४७ की धारा २५ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत निम्नलिखित नियमों की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक ८ दिसम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १६६६ में प्रकाशित रबड़ (तीसरा संशोधन) नियम, १९६२।

(ख) दिनांक २२ दिसम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १७४५ में प्रकाशित रबड़ (चौथा संशोधन) नियम, १९६२।

(ग) दिनांक ५ जनवरी, १९६३ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० १९ में प्रकाशित रबड़ बोर्ड सेवा (भर्ती) संशोधन नियम, १९६३।

(घ) दिनांक ५ जनवरी, १९६३ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २० में प्रकाशित रबड़ बोर्ड सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) संशोधन नियम, १९६३।

(६) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उपधारा (६) के अन्तर्गत दिनांक २९ दिसम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या ८/२६/६२—इम्प० में प्रकाशित अखबारी कागज नियंत्रण, (तीसरा संशोधन) आदेश, १९६२ की एक प्रति।

विषय

(७) नारियल-जटा उद्योग अधिनियम, १९५३ की धारा १७ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत नारियल-जटा बोर्ड, एरणाकुलम् की वर्ष १९६१–६२ के प्रमाणित लेखे और उस पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति ।

(८) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) समवाय अधिनियम १९५६ की धारा ६४१ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत उक्त अधिनियम की अनुसूची ६ में कतिपय परिवर्तन करने वाली दिनांक १२ जनवरी, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७८ ।

(दो) सोवियत रूस, चेकोस्लोवाकिया और रूमानिया में तेल उद्योग के सम्बन्ध में भारतीय उत्पादकता दल का प्रतिवेदन ।

(तीन) (क) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९–क की उप-धारा (१) के अर्न्तगत, हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड, बर्दवान की वर्ष १९६१–६२ का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे और नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(ख) उक्त समवाय के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(चार) (क) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९–क की उप-धारा (१) के अन्तर्गत नेशनल न्यूजप्रिंट और पेपर मिल्ज लिमिटेड, नेपानगर की वर्ष १९६१–६२ के वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(ख) उक्त समवाय के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(पांच) (क) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९–क की उप-धारा (१) के अन्तर्गत राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष १९६१-६२ का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(ख) उक्त निगम के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(छ) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९–क की उप-धारा (१) के अन्तर्गत पुनर्वास उद्योग लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष १९६१–६२ का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(९) मोटर गाड़ी अधिनियम, १९३९ की धारा १३३ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिल्ली मोटर गाड़ी नियम, १९४० में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २७ सितम्बर, १९६२ के दिल्ली गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एफ०१२/४६/६०–परिवहन की एक प्रति ।

विषय पृष्ठ

(१०) विमान निगम अधिनियम, १९५३ की धारा ३७ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित रिपोर्टों की एक-एक प्रति :—

(क) एयर-इण्डिया का वर्ष १९६१-६२ का वार्षिक प्रतिवेदन ।

(ख) इण्डियन एयरलाइंस कारपोरेशन का वर्ष १९६१–६२ का वार्षिक प्रतिवेदन ।

(११) विमान निगम अधिनियम, १९५३ की धारा १५ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत एयर इण्डिया के वर्ष १९६१–६२ के वार्षिक लेखे और उस पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति ।

(१२) निम्नलिखित प्रतिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन), अधिनियम, १९६२ की धारा ३ के अन्तर्गत जारी की गई दिनांक १३ दिसम्बर, १९६२ की एस० ओ० संख्या ३७९२ ।

(दो) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ की धारा ६ के अन्तर्गत जारी की गई दिनांक १३ दिसम्बर, १९६२ की एस० ओ० संख्या ३७९३ ।

(तीन) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ की धारा ७ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत दिनांक २९ दिसम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १८०७ में प्रकाशित कर्मचारी भविष्य निधि (सोलहवां संशोधन) योजना, १९६२ ।

(१३) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत दिनांक १ दिसम्बर, १९६२ की अधिसूचना सं ख्या एस० ओ० ३५९५/ई० सी० ए०/२/६२ में प्रकाशित सीमेंट (किस्म नियंत्रण) आदेश, १९६२ की एक प्रति ।

प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन–उपस्थापित ५३३

नवां और दसवां प्रतिवेदन उपस्थापित किये गये ।

प्रवर समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित ५३३

महाप्रशासक विधेयक सम्बन्धी प्रवर समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

कोलम्बो सम्मेलन की प्रस्थापनाओं के बारे में प्रस्ताव ५३३—५३

२३–१–६३ को प्रस्तुत कोलम्बो सम्मेलन की प्रस्थापनाओं के बारे में प्रस्ताव तथा तत्सम्बन्धी स्थानापन्न प्रस्ताव पर चर्चा जारी रही । प्रधान मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू) ने वाद-विवाद का उत्तर दिया। श्री राम सेवक यादव के स्थानापन्न प्रस्ताव पर सभा में मत विभाजन हुआ। पक्ष में ५९, विपक्ष में ३४९, तदनुसार स्थानापन्न प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

विधेयक विचाराधीन ५५३—५७

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्र शेखर) ने दिल्ली किराया नियंत्रण (संशोधन) विधेयक पर, राज्य सभा पारित रूप में, विचार करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों को उचित स्तर पर बनाये रखने के बारे में प्रस्ताव ५५७—७७

११-१२-६२ को प्रस्तुत अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों को उचित स्तर बनाये रखने के प्रस्ताव पर चर्चा जारी रही। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

आधे घंटे की चर्चा ५७७—७९

श्री द्वा० ना० तिवारी ने रेल दुर्घटना सम्बन्धी जांच के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या ४११ के २२ जनवरी, १९६३ को दिये गये उत्तर से उत्पन्न होने वाली बातों पर आधे घंटे की चर्चा उठाई।

रेलवे मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

लोक-सभा अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित हुई।

तीसरी लोक सभा के तीसरे सत्र (भाग २, १९६३) की कार्यवायी का संक्षेप

१. सत्र की अवधि . . . . २१ जनवरी से २५ जनवरी, १९६३

२. बैठकों की संख्या ५

३. बैठकों का कुल घंटों की संख्या . . ३१ घंटे ३२ मिनट

४. मत विभाजन की संख्या . . . २

५. सरकारी विधेयक

(१) सत्र के आरम्भ में विचाराधीन . . १५

(२) पुरस्थापित किये गये . . . १

(३) राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखे गये ३

(४) प्रवर समिति को सौंपे गये . . —

(५) संयुक्त समिति को सौंपे गये . . १

(६) प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित . . १

(७) संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित . . —

(८) पारित किये गये . . . ३

(९) राज्य सभा द्वारा बिना सिफारिश के लौटाये गये —

(१०) राज्य सभा द्वारा संशोधन सहित लौटाये गये —

(११) सत्र की समाप्ति पर विचाराधीन . . १६

६. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक

(१) सत्र के आरम्भ में विचाराधीन . . ४०

(२) पुरस्थापित किये गये . . . —

(३) जिन पर चर्चा हुई . . . —

(४) वापस लिये गये . . . —

(५) अस्वीकृत . . . . —

(६) पारित किया गया . . . —

(७) जिन पर आंशिक रूप से चर्चा हुई . —

(८) चर्चा निलम्बित . . . —

(९) सत्र की समाप्ति पर विचाराधीन . ४०

७. नियम १९३ के अन्तर्गत हुई चर्चाओं की संख्या (अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय)

(१) सूचनायें प्राप्त हुई . . . ७१

(२) चर्चायें हुईं . . . ४

८. नियम १९७ के अन्तर्गत दिये गये वक्तव्यों की संख्या (अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना)

(१) सूचना प्राप्त हुई . . . ७१

(२) मंत्रियों द्वारा दिये गये वक्तव्य . . ४

९. आधे घंटे की चर्चा . . .

१०. सरकारी संकल्प

(१) प्रस्तुत किये गये . . . —

(२) स्वीकृत . . . . —

११. सरकारी प्रस्ताव

(१) प्रस्तुत किये गये . . . १ (नियम ३४२ के अधीन जिस पर चर्चा हुई)

(२) स्वीकृत हुए . . . —

१२. गैर सरकारी सदस्यों के प्रस्ताव

(१) प्राप्त हुए . . . ४

(२) गृहीत किये गये . . . —

(३) प्रस्तुत किये गये . . . —

(४) स्वीकृत हुए . . . —

१३. गृहीत प्रश्नों की कुल संख्या

(१) तारांकित . . . १४१

(२) अतारांकित (जिसमें वे तारांकित प्रश्न शामिल हैं जो अतारांकित कर दिये गये) . २७०

(३) अल्प सूचना प्रश्न . . . ४

१४. विभिन्न संसदीय समितियों के लोक सभा को उपस्थापित प्रतिवेदनों की संख्या

(१) लोक लेखा समिति . . . १

(२) प्राक्कलन समिति . . . ५

(३) कार्य मंत्रणा समिति . . १

(४) सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति . . .

	पृष्ठ
श्री बागड़ी	५५९—६१
डा० क० ल० राव	५६१–६२
श्री रामेश्वरानन्द	५६२—६४
श्री दे० शि० पाटिल	५६४—६६
श्री शिवनारायण	५६७—६९
श्री गौरी शंकर कक्कड़ .	५६९—७१
श्री शिवाजी राव सं० देशमुख .	५७१–७२
श्रीमती लक्ष्मी कान्तम्मा	५७२–७३
श्री राम रतन गुप्त . .	५७३
श्री इकबाल सिंह	५७३—७५
श्री बाल कृष्णन	५७५
श्री राम सेवक यादव . . .	५७५–७६
श्री नन्दा	५७६–७७
रेल दुर्घटना की जांच के बारे में आधे घंटे की चर्चा— .	५७७—७९
श्री द्वा० ना० तिवारी	५७७
श्री हरि विष्णु कामत	५७७–७८
श्री सें० वें० रामस्वामी	५७८–७९
दैनिक संक्षेपिका	५८०—८७
तीसरे सत्र (भाग २, १९६३) की कार्यवाही का संक्षेप . . .	५८८
समेकित विषय सूची (२१ से २५ जनवरी, १९६३/१ से ५ माघ, १८८४ (शक)	१—४

P.L.S. 41. XII. 31. 63.
140

© १९६३ प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त ।

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियम (पांचवां संस्करण) के नियम ३७९ और ३८२ के अन्तर्गत प्रकाशित और भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली की संसदीय शाखा में मुद्रित ।